खण्ड-408, अंक-5
मंगलवार, 30 अग्रहायण, शक संवत् 1915
(21 दिसम्बर, 1993 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1993)

खण्ड 408 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1993

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को लिये जाने की मांग ...	1
प्रश्नोत्तर	1-8
नियम 301 की सूचनाएं	9-10
जनपद हरदोई, बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में जंगली गायों व नीलगायों द्वारा फसलों की क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	10
मेसर्स महाराष्ट्रा स्टील, गाजियाबाद में 15 करोड़ की विद्युत चोरी में अभियुक्तों के खिलाफ यथोचित कार्यवाही कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	10-11
आगरा में गम्भीर विद्युत संकट के समाधान हेतु उसे विद्युत कटौती से मुक्त रखने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ,... ...	11
जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम बसुई विकास खण्ड नरेन्द्र नगर में बिजली के तारों की चोरी रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	11-12
जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के ग्राम मगरामर में निर्माणाधीन श्रीमती कुसुमा देवी संयुक्त चिकित्सालय के अधिग्रहण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	12
जनपद बरेली में नीलगायों द्वारा की जा रही फसलों की क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	12-18
गन्ना किसानों के पिछले वर्ष से करोड़ों रुपये बकाये की धनराशि का भुगतान सुनिश्चित कराने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	13-19
अयोध्या में आयोजित रामायण मेले के आयोजकों द्वारा तुलसीदल नामक पत्रिका में अपमानजनक तथ्यों को प्रकाशित किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	18-19
नियमों के विपरीत नियम 300 व 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं की ग्राह्यता पर बोलने हेतु समय दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न ...	19-21
अयोध्या में आयोजित रामायण मेले के अवसर पर "तुलसी दल" नामक स्मारिका में हिन्दू भावनाओं को आहत करने वाले तथ्यों को प्रकाशित करने के बारे में उठाये गये औचित्य के प्रश्न	22-24
श्री अफजाल अंसारी, सदस्य, विधान सभा के घर पर गैर कानूनी ढंग से की गयी लूट-पाट पर सदन में माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार जांच रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न	24-30
न्यायालय द्वारा श्री कल्याण सिंह को बिना शर्त बरी किये जाने संबंधी आदेश का पालन कराने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	31

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि०, कानपुर का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1986-87 ..... (सदन के पटल पर रखा गया) ...	31
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि०, कानपुर का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1988-89 (सदन के पटल पर रखा गया)	31
यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि० एवं लेखा विवरण वर्ष 1986-87 (सदन के पटल पर रखा गया)	31
यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ का 21वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	32
उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, लखनऊ का स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	32
उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि० का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	32
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	32-34
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993 (पारित)	34-38
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 (जारी)	38-43
सदन में मद से संबंधित मंत्री के उपस्थित रहने पर भी संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने पर उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न	43-44
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 [प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव (अस्वीकृत) एवं विधेयक पारित].....	44-47
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993 (पारित)	48-50
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993 (पारित)	51-54
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993 (पारित)	54-68
हनुमान कमाण्डो फोर्स का कथित धमकी भरा प्राप्त पत्र को सदन के संज्ञान में लाने का प्रयास	69
शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के लिये ऋण की सीमा में वृद्धि किये जाने संबंधी संकल्प (अनुमोदित)	69-71

विषय		पृष्ठ-संख्या
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	...	71-104
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993 (पुरःस्थापित)	...	104-105
वित्तीय वर्ष 1993-94 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान		105-116
अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग ..... (स्वीकृत)	...	116
अनुदान सं० 3–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) ..... (स्वीकृत)	...	116
अनुदान सं० 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) ..... (स्वीकृत)	...	117
अनुदान सं० 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) ..... (स्वीकृत)	...	117
अनुदान सं० 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)		117
अनुदान सं० 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)		118
अनुदान सं० 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत)		118
अनुदान सं० 9–ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)		118
अनुदान सं० 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)....		119
अनुदान सं० 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)		119
अनुदान सं० 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (स्वीकृत)		119
अनुदान सं० 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)		120
अनुदान सं० 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)		120
अनुदानसं० 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)		120
अनुदान सं० 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत).....		121
अनुदान सं० 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत)		121
अनुदान सं० 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)		121
अनुदान सं० 19–कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)		122
अनुदान सं० 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत)		123
अनुदान सं० 21–खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)		123
अनुदान सं० 22–खेल विभाग (स्वीकृत).....		123
अनुदान सं० 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)		124
अनुदान सं० 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)		124
अनुदान सं० 25–गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)		125
अनुदान सं० 26–गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)		125
अनुदान सं० 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)		125
अनुदान सं० 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)		125
अनुदान सं० 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)		126

अनुदान सं० 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत) 126
अनुदान सं० 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत) 126
अनुदान सं० 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत) ... 127
अनुदान सं० 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत) 127
अनुदान सं० 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) 127
अनुदान सं० 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) 128
अनुदान सं० 37–नगर विकास विभाग (स्वीकृत) 128
अनुदान सं० 38–नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) 128
अनुदान सं० 40–नियोजन विभाग (स्वीकृत) 129
अनुदान सं० 41–निर्वाचन विभाग (स्वीकृत) 129
अनुदान सं० 42–न्याय विभाग (स्वीकृत) 129
अनुदान सं० 43–परिवहन विभाग (स्वीकृत) 130
अनुदान सं० 44–पर्यटन विभाग (स्वीकृत) 130
अनुदान सं० 45–पर्यावरण विभाग (स्वीकृत) 130
अनुदान सं० 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) 131
अनुदान सं० 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) 131
अनुदान सं० 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) 131
अनुदान सं० 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) (स्वीकृत) ... 132
अनुदान सं० 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) 132
अनुदान सं० 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) 132
अनुदान सं० 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) 133
अनुदान सं० 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) 133
अनुदान सं० 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत) 133
अनुदान सं० 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत) 134
अनुदान सं० 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) 134
अनुदान सं० 60–वन विभाग (स्वीकृत) 134
अनुदान सं० 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) 135
अनुदान सं० 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) 135
अनुदान सं० 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) 135
अनुदान सं० 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत) 136
अनुदान सं० 67–विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) 136
अनुदान सं० 68–विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) 136
अनुदान सं० 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत) 137

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान सं० 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	137
अनुदान सं० 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	137
अनुदान सं० 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	138
अनुदान सं० 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) (स्वीकृत)	138
अनुदान सं० 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	138
अनुदान सं० 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	139
अनुदान सं० 77–श्रम विभाग (सेवा योजन) (स्वीकृत)	139
अनुदान सं० 78–सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	139
अनुदान सं० 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) (स्वीकृत)	140
अनुदान सं० 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण) (स्वीकृत)	140
अनुदान सं० 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	140
अनुदान सं० 83–सहायता एवं पुनर्वास विभाग (स्वीकृत)	141
अनुदान सं० 84–सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	141
अनुदान सं० 86–सूचना विभाग (स्वीकृत)	141
अनुदान सं० 87–सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत).....	142
अनुदान सं० 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत)	142
अनुदान सं० 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (स्वीकृत)	142
अनुदान सं० 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन व बाजीकर) (स्वीकृत)	143
अनुदान सं० 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	143
अनुदान सं० 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत)	143
अनुदान सं० 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	144
अनुदान सं० 95–उत्तरांचल विकास विभाग (स्वीकृत)	144
उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का अनुपूरक) विधेयक, 1993 (पारित)	144-54
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	154

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 21 दिसम्बर, 1993

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
चन्द्र भूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू, श्री	फर्रुखाबाद
जगरनाथ चौधरी, श्री	जौनपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दरोगा, श्री	आजमगढ़
नरेन्द्र सिंह, श्री	मैनपुरी
परशुराम, श्री	फैजाबाद
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	फर्रुखाबाद
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 1993

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।).

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को लिए जाने की मांग

श्री नरेश अग्रवाल–

नियम 311 में हमने एक सूचना दिया है जो प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के संबंध में है । गन्ना किसानों में रोष है । इसलिये सारे नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा करायी जाए ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाएं । पहले अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हो जाने दें, उसके बाद जो कहना है वह कहेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

(व्यवधान) लाखों किसानों के बकाये के भुगतान का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाएं ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गढ़वाल में भूकम्प पीड़ित पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हेतु पशुपालन विभाग को आवंटित धनराशि के व्यय की जानकारी

**1–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गढ़वाल में आये भूकम्प में भूकम्प पीड़ित पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था हेतु राहत कोष से पशुपालन विभाग को 1.25 करोड़ रुपये का धन आवंटित किया गया था ? उक्त राहत कोष से पशुओं के लिये कौन सा और कितना चारा खरीदा गया ? क्या यह सही है कि विभाग ने आवंटित राशि से चारा न खरीदकर मिनरल मिक्सचर एवं दवाइयां क्रय कीं ? यदि हां, तो इसके लिये किस अधिकारी ने संस्तुति दी थी ? उक्त मिनरल मिक्सचर कब खरीदा गया तथा कब बांटा गया ? उक्त मिक्सचर की खरीद किस अधिकारी द्वारा की गयी तथा क्या वे इसके लिये प्राधिकृत थे ? क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन तथा मत्स्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)–

गढ़वाल क्षेत्र में आये भूकम्प से पीड़ित पशुओं को चारे की व्यवस्था हेतु पशुपालन विभाग को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए मिनरल मिक्सचर तथा फीड सप्लीमेंट क्रय हेतु 50.00 लाख रु० तथा इसकी ढुलाई के लिए 5.00लाख रुपया एवं मृत पशुओं के शव निस्तारण तथा बीमार पशुओं के उपचार हेतु औषधि आदि के क्रय हेतु 75.00 लाख रु० कुल 1.30 करोड़ रुपये की धनराशि दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत की गयी थी जिससे उक्त सामग्री का क्रय कर उसे भूकम्प पीड़ित जनपदों में बांटा गया था ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिनरल मिक्सचर के क्रय आदेश फरवरी, 1992 में दिये गये तथा उसकी आपूर्ति मार्च, 1992 में फर्म द्वारा पशुलोक, ऋषिकेश पर की गयी थी तथा मार्च/अप्रैल, 92 में विभागीय संस्थाओं पर पहुंचा दी गयी । इसका वितरण मार्च, 92 से किया गया और लगभग पूरी मात्रा अगस्त, 92 तक बांटी जा चुकी थी ।

मिनरल मिक्सचर का क्रय प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पाल्ट्री एण्ड लाईव स्टाक स्पेशलिटीज लि० लखनऊ द्वारा किया गया जिसके लिए वे प्राधिकृत थे ।

प्रकरण में प्रयोजन/सामग्री के चयन की उपयुक्तता, नियमानुसार उपयुक्त गुणवत्ता तथा न्यूनतम सम्भव दरों पर क्रय, तथा सामग्री के समुचित वितरण पर सूचना एकत्रित की जा रही है । यदि कोई अनियमितता दृष्टिगत हुई तो अपेक्षित कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

श्री नेजभान सिंह–

मान्यवर, जो सूचना एकत्र की जा रही है, उत्तर दिया है, इसमें प्रश्न था कि किस अधिकारी ने संस्तुति दी थी ? तो मैं जानना चाहता हूं कि यह सूचना क्या बाहर से आयेगी या सचिवालय में उपलब्ध है ?

श्री अध्यक्ष–

वह पोरशन जिसकी सचना अभी तक नहीं आई है, वह अंश स्थगित माना जाएगा, शेष अंश पर प्रश्न पूछे जा सकते है । आप उत्तर दीजिए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह बात आपकी सही नहीं है । आप या तो पूरे प्रश्न को स्थगित कीजिए या पूरा प्रश्न लीजिए, इस तरह टुकड़ों में बांटना ठीक नहीं है । इस तरह आधा प्रश्न रखना उचित नहीं है....(व्यवधान

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये, मैं पूरा प्रश्न ही स्थगित कर रहा हू ।

अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाये जाने के पश्चात् प्रदेश में घटित घटनाएं एवं मृतकों की जानकारी

*2–श्री नरेश अग्रवाल, श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या की घटना के बाद प्रदेश में कितने दंगे हुये, कितने व्यक्तियों की जान गयी तथा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किये

गये ? विवादित ढांचा गिराये जाने के बाद प्रदेश में व्याप्त तनाव को देखते हुये इस समस्या का स्थायी समाधान हेतु वर्तमान सरकार कौन सी नयी योजना लागू कर रही है तथा मन्दिर व मस्जिद के निर्माण के लिये क्या नीति व रूप-रेखा है ?

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

सन्दर्भित घटना के बाद प्रदेश में 12 दंगों को सम्मिलित करते हुए कुल 54 साम्प्रदायिक घटनायें हुई जिनमें 219 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 17822 व्यक्तियों के विरुद्ध 4427 मुकदमें पंजीकृत हुए ।

प्रकरण माननीय उच्चतम् न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सम्प्रति किसी योजना को लागू करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि 17,822 व्यक्तियों के खिलाफ मामले रजिस्टर्ड हुए, तो इनमें से कितने व्यक्ति हाजिर हुए ? कितने गिरफ्तार हुए ? और कितनों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ? इसके साथ ही किन-किन जिलों में दंगे हुए और जहां पर दंगे ज्यादा हुए, वहां पर भविष्य में दंगे न होने के लिए उन्होंने कौन सी योजना तैयार की हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उन्होंने एक संक्षिप्त सूचना मांगी थी, जिसकी सूचना मैंने दी । अब यह जो पूछा जा रहा है, एक कुछ घटना को लेकर यह दंगे हुए थे पूरे प्रदेश में 6 दिसम्बर की घटना को लेकर । उसमें जो प्रशासन कर सकता था किया, अब इसकी सूचना इतने विस्तार में तो मेरे पास नहीं है । जिलेवार सूचना है, यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे मैं पढ़ दूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

यदि मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर इनके पास नहीं है, तो यह भी स्थगित हो जाए । मैंने बड़े स्पष्ट प्रश्न पूछे हैं । मेरा स्पष्ट आरोप है कि इन 17,822 में से.....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं–6 दिसम्बर को प्रदेश में अयोध्या में हुई इस घटना के सम्बन्ध में बिजनौर में एक, बरेली में एक, फैजाबाद में एक और हरिद्वार में एक दंगा हुआ ....(व्यवधान) सहारनपुर में दो । साथ ही जो लघु साम्प्रदायिक दंगे हुए बाराबंकी में एक (व्यवधान) इस तरह कहें तो पूरी सूची भेज दूं, मेरे पास है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

ठीक है, ठीक है, आपके पास यह है, लेकिन अब आप यह बताएं कि जो यह 17,822 मामले हैं, इनमें से कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए और कितने जेल गये ? तथा जितने लोग बाहर हैं, वह क्यों बाहर हैं ? इन पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई, इसको आप स्पष्ट कर दें ?

बेनी प्रसाद वर्मा–

पता नहीं आप इससे कौन सा मत निकालेंगे । कहें तो बता दूं, यह मेरे पास है । इनमें से 12,863 जमानत पर छोड़े गये, मुचलके पर 5,227 छोड़े गये हैं । जेल में हिरासत के दौरान जिनकी मृत्यु हुई वह 3 हैं और जो जेल में हिरासत में हैं, वह 45 हैं, इस प्रकार कुल यह 17,883 है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, अभी जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई उनकी संख्या 17,822 बताई गई उसके बाद पुनः यह संख्या 17,883 बताई गई ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मूल प्रश्नकर्ता को आप पहले बुलायें ।

श्री अध्यक्ष–

आप बाद में कहियेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि 17,822 लोगों के खिलाफ मुकदमें पंजीकृत किये गये पुनः अनुपूरक उत्तर में इन्होंने यह संख्या–17,883 बताई है । मान्यवर, या तो सूचना एकत्र करने में गड़बड़ी हुई है या गलत सूचना दी जा रही है । दूसरी बात मैं यह कहना चाह रहा हूं कि 6 दिसम्बर की घटना के बाद एक वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रहा । इस राष्ट्रपति शासन में अभियुक्तों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई और नई सरकार बनने के बाद क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे । जिनकी वजह से यह घटना हुई वही पूछ रहे हैं । उस समय संयम बरतते तो यह न होता ।

डा० सरजीत सिंह डंग—

मान्यवर, घटनाओं के इतिहास में दंगों का एक बड़ा कीर्तिमान इस सरकार में बैठे लोगों के समय में स्थापित हुआ है । भारतीय जनता पार्टी के समय में कोई दंगे नहीं हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूंछे, विस्तार में न जायें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि मूल प्रश्न के उत्तर में सदन को सूचित किया गया है कि 17,822 लोगों के विरुद्ध मुकदमें पंजीकृत हुए । अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में योग 17,883 बताया गया । मान्यवर,

या तो पहले वाली सूचना गलत है या फिर यह दूसरी सूचना गलत है । दूसरा एक प्रश्न और है कि कितनों के खिलाफ राष्ट्रपति शासन में कार्यवाही हुई ? और कितनों के खिलाफ नई सरकार बनने के बाद कार्यवाही हुई ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मूल प्रश्न में जो उत्तर दिया गया है वही अप-टू-डेट पोजीशन सम्मानित सदन के सामने रखी गई है । सदन से कोई तथ्य छिपाया नहीं जाता है । 31-3-93 तक 17,883 लोगों को गिरफ्तार किया गया इसमें से कुछ जमानत पर, मुचलके पर छोड़े गये, कुछ जेल में मर गये और कुछ अभी भी जेल में हिरासत में है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो सवाल किया गया है, उसकी जो मूल भावना है उसमें स्पष्ट तौर से यह पूछा गया है कि क्या विवादित ढांचा गिराये जाने के बाद प्रदेश में व्याप्त तनाव को दूर करने के लिये सरकार स्थाई समाधान हेतु वर्तमान में कोई नयी योजना लागू कर रही है ? मन्दिर मस्जिद के निर्माण के लिये अलग नीति अख्तियार करेगी ? राज्यपाल के अभिभाषण में भी है और मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि परस्पर समझौते के आधार पर करेगी । मान्यवर, यदि कोई समझौता नहीं होता है तो जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय होता है, उसी के आधार पर विवाद का हल होगा ? प्रश्नगत प्रकरण ऊच्चतम न्यायालय में है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इसमें उच्चतम न्यायालय से हटकर मन्दिर मस्जिद निर्माण के लिये हल ढूंढने का प्रयास कर रही है ? दूसरा प्रश्न यह है कि अभी जैसा कि उत्तर में कहा गया कि 4427 मुकदमें पंजीकृत हुए हैं । इन 4427 में अद्यतन स्थिति क्या है ? कितने मुकदमों में चार्ज शीट लग गयी है और उनकी न्यायालय में क्या स्थिति है ? इसे बताने की कृपा करें । यह दो अनुपूरक प्रश्न हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जैसा मूल उत्तर में है मामला अदालत के विचाराधीन है, फिर भी सरकार का वही मत है जो राज्यपाल महोदय ने कहा है–"बाबरी मस्जिद एवं राम जन्म भूमि विवाद का ऐसा हल ढूंढने के लिए मेरी सरकार वचनबद्ध है जिससे किसी पक्ष को विजय या पराजय का एहसास न हो । यदि आपसी बातचीत से कोई निर्णय नहीं होता है तो सरकार इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी ।"

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने यह पढ़कर सुनाया कि मन्दिर मस्जिद के विवाद को इस तरह से सुलझाया जाएगा । जिससे किसी समुदाय को विजय पराजय का एहसास न हो, तो मान्यवर, इस सिलसिले में अब तक शासन की ओर से कौन से उपाय किए गए हैं और यदि नहीं किए गए हैं तो कितने दिनों के अन्दर इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करने का उपाय निकालेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् वर्मा जी वरिष्ठ सदस्यों में से हैं । दो सप्ताह हुए हैं नीति स्पष्ट कर दी है इस पर अमल करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मंत्री जी ने नीति स्पष्ट की मैं जानना चाहता हूं कि इस नीति को प्रतिपादन कितने समय के अन्दर कर दिया जाएगा । ऐसा न हो कि नीति रखी रह जाएं और यह माननीय मंत्री जी ही न रहें ।

(शोर)

(श्री प्रमोद तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा जबाब तो दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का जबाब तिवारी जी के साथ आ जाएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

हमको इनके साथ न मिलाइये । इनको भाजपा के साथ मिला दें चाहे किसी के साथ मिला दें, हमें न मिलाएं ।

(हंसी)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है मान्यवर, इसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत सरकार ने इस प्रकरण को सिद्धान्तः रूप से मान लिया है । मन्दिर का निर्माण किया जाएगा, मस्जिद का निर्माण किया जाएगा, प्रकरण विचाराधीन है किस स्थान पर निर्माण किया जाएगा यह नहीं है राज्य सरकार ने इसमें कुल मिलाकर भ्रम की स्थिति पैदा की है । आपसी बातचीत से कोई निर्णय नहीं होता है यदि उच्चतम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है । राज्य सरकार की मंशा है कि बातचीत से इस मामले पर शान्तिपूर्वक हल निकले, तो क्या आप बातचीत कर रहे हैं ? यदि बातचीत कर रहे हैं तो सदन को अवगत करायेंगे, बातचीत किससे कर रहें हैं क्या आप सदन को विश्वास में लेंगे । विवादग्रस्त ढांचे को एक राजनीतिक दल ने अपनी राजनीतिक स्वार्थलिप्सा के कारण, राजनीति में बने रहने के लिए गिरवाया है ।

(शोरगुल)

मान्यवर, एक कहावत है "चोर की दाढ़ी में तिनका" राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा किया गया है । इनकी राजनीतिक स्वार्थलिप्सा के कारण विवादग्रस्त ढांचे की वजह से हजारों मासूमों की जानें गई हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न पूछें।

श्री प्रमोद तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भविष्य में यदि कोई राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए हिंसा और दंगा कराए, ऐसे दलों के सदस्यों के चुनाव लड़ने को अवैध करार करने का कोई प्रस्ताव आप लाएंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, राजनीति का कोई आधार होता है। नीति और कार्यक्रम माननीय तिवारी जी ने जो शंका व्यक्त की है हमारी सरकार इसके लिए बचनबद्ध है कि लोगों की लाशों से वोट की रोटी सेंकने के लिए जो प्रयास करेगा उसके विरुद्ध कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा।

श्री मुख्तार अनीस–

महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं उसमें विरोधाभास है। एक तो कहा गया है कि आपसी बातचीत के द्वारा और दूसरा कहा गया है कि अदालत द्वारा तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपसी बातचीत का कोई सिलसिला प्रारम्भ किया गया है कि नहीं किया गया है इस विवाद को हल करने के संबंध में ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अभी तो वर्तमान सरकार सत्तारुढ़ हुई है हमने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस बात को ध्यान रखते हुए कि जो 6 दिसम्बर के बाद दंगे हुए थे तो जब तक माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री के पद पर आरुढ़ थे तब तक पूरे प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ (व्यवधान) और उसके बाद जब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और इसकी सूचना रेडियो और टेलीविजन से प्रसारित कर दी गई उसके बाद ही दंगाइयों ने पूरे प्रदेश में उत्पात करना शुरू कर दिया। (व्यवधान) तो क्या यह सही है कि जिन लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना अंकित कराई गई उन सबके बारे में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर सबको आरोप मुक्त कर दिया और यदि यह सही है तो इसके बारे में मा० मंत्री जी वस्तु स्थिति क्या है इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह सूचना पहले दी जा चुकी है कि कितने लोगों को हिरासत में रखा गया कितने लोगों को चलके पर छोड़ दिया गया और कितने लोगों को जमानत पर छोड़ा था।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हमारे दल को आप उचित अवसर नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(मा० श्री राम आसरे वर्मा ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय उप नेता विरोधी दल के प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है।

एक मा० सदस्य–

मान्यवर, मुझे भी अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तिवारी जी को बुला लिया है। अवसर मिल जायगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूं और नियमावली का उल्लेख करना चाहता हूं। नियमावली में व्यवस्था है कि जिन माननीय सदस्यों का प्रश्न है उनको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा करा लें तो बहुत से चेहरों पर जो नकाब है वह हट जायगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी ने अभी नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा कराने के लिये कहा है। कृपया नियमानुसार दे दीजियेगा, मैं चर्चा करा लूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं दे दूंगा। सवाल तो पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी, आप संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं। मैंने चर्चा की अनुमति दे दी है तो आप क्यों जिद कर रहे हैं ? अब प्रश्नों का समय समाप्त होता है।[1]

---

[1] **नोट**–नत्थी 'क' के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

नियम 301 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 दिसम्बर, 1993 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद सुन लूंगा ।

पहली सूचना श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल की जनपद हमीरपुर के विकासखण्ड सुमेरेपुर, कुरारा, मुस्करा व कबरई में वनरक्षकों द्वारा किसानों की फसलें नष्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

(श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर अस्वीकार की गयी)

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री मदनगोपाल वर्मा की जनपद फतेहपुर के क्षेत्र जहानाबाद का ग्राम चांदपुर से लहुरीमऊ मार्ग पर नोन नदी पर अधूरे पुल निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के संबंध में है ।

(श्री मदन गोपाल वर्मा का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर अस्वीकार की गयी)

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई के बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में जंगली गायों व नील गायों द्वारा फसलों की क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

(श्री विश्राम सिंह यादव का नाम पुकारे जाने एवं उनके उपस्थित होने पर स्वीकार की गयी)

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना पढ़ी हुई मानी जाती है ।

चौथी सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की मेसर्स महाराष्ट्रा स्टील गाजियाबाद में 15 करोड़ की विद्युत चोरी में अभियन्ताओं के खिलाफ यथोचित कार्यवाही करने के संबंध में है ।

(श्री बालेश्वर त्यागी का नाम पुकारे जाने एवं उनके उपस्थित होने पर स्वीकार की गयी)

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना पढ़ी हुई मानी गई है ।

पांचवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल की है, आगरा में गम्भीर विद्युत संकट के समाधन हेतु उसे विद्युत कटौती से मुक्त रखने के संबंध में। यह सूचना पढ़ी हुई मान ली गयी।

सातवीं सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की है, ग्राम बसुई, ग्राम सभा नोर, विकास खण्ड नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल में बिजली के तारों की चोरी के संबंध में। यह सूचना पढ़ी हुई मान ली गयी।

प्रतीक्षा सूची में से श्री ऊदल जी की सूचना ली जा रही है, क्योंकि पहले तीन लोग उपस्थित नहीं हैं। इनकी सूचना उन्नाव की तहसील पुरवा के ग्राम मगरामर में निर्माणाधीन श्रीमती कुसुमा देवी संयुक्त चिकित्सालय के अधिग्रहण के संबंध में है। इसे पढ़ी हुई मान ली गयी।

अगली सूचना कुंवर सर्वराज सिंह की, जनपद बरेली में नीलगायों द्वारा की जा रही फसलों की क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसे पढ़ी हुई मान लिया गया।

स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं जिनका विवरण निम्नवत् है –

जनपद हरदोई के बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में जंगली गायों व नीलगायों द्वारा फसलों की क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव–

। मान्यवर, हरदोई जनपद के 90. बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र मेंगरा नीलम रामगंगा गंगा नदियां बहती हैं, जिनकी कछारों में हजारों जंगली गायें व नीलगायें हजारों किसानों की हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि पर खड़ी फसलों को प्रतिवर्ष चरकर उजाड़ देती हैं जिससे किसान तबाह व बर्बाद हो जाता है, लाखों रुपये की फसल नष्ट करके राष्ट्रीय नुकसान करती है। अरबल, दहलिया, सैनियापुर गावों तथा उनके आस-पास का इलाका विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

उक्त गम्भीर समस्या के किसान परेशान है जनता में आक्रोश है अतः अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।।

मेसर्स महाराष्ट्रा स्टील, गाजियाबाद में 15 करोड़ की विद्युत चोरी में अभियुक्तों के खिलाफ यथोचित कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बालेश्वर त्यागी–

। मान्यवर, अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं :–

दिनांक 26-11-93 को विद्युत विभाग द्वारा मेसर्स महाराष्ट्रा स्टील साउथ साईड आफ जी०टी० गाजियाबाद में सम्भवतः उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी 15 करोड़ रुपये की बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया है। इस बाबत थाना कोतवाली गाजियाबाद में 28-11-93 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है। जिसमें उक्त उद्योग द्वारा लगभग 15 करोड़ रुपये की बिजली चोरी का स्पष्ट उल्लेख

नोट:–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है । यह चोरी विद्युत तार में पिन लगाकर करेन्ट प्रवाह को मीटर तक जाने से रोककर सीधे विद्युत उपभोग करके नवम्बर, 1992 से की जा रही थी ।

आज तक भी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उल्टे मामले को कम दर्शाने के लिये अब 8 करोड़ 67 लाख रु० की चोरी बताई जा रही है ज्ञात हुआ है कि शासन के शीर्षस्थ पर बैठे लोगों के दबाव में मामले को रफा-दफा करने का प्रयास चल रहा है । एक बल्ब जलाने वाले जेल में हैं और 15 करोड़ की चोरी करने वाले खुले घूम रहे हैं । उन्हें अपने विरुद्ध होने वाली कार्यवाही से बचने के लिये न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने का पर्याप्त समय प्रदान किया गया है अतः सारे प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया जाय । ।

आगरा में गम्भीर विद्युत संकट के समाधान हेतु उसे विद्युत कटौती से मुक्त रखने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल–

। मान्यवर, प्रदेश के महानगरों में आगरा ताजमहल आदि अपनी ऐतिहासिक व दर्शनीय इमारतों के लिये देश विदेश के लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है और बड़ी संख्या में पर्यटक वहां आते हैं दूसरी ओर ताज की सुरक्षा व सौंदर्य की रक्षा के लिये प्रदूषण से रोकने के लिये आगरा के उद्योगों में जेनरेटर लगाये व चलाये जाने पर प्रतिबन्ध है केवल विद्युत की सुचारु आपूर्ति से ही यह उद्योग चल सकते हैं । आगरा में विद्युत का भीषण संकट बना रहता है । ग्रीष्मकाल में कई-कई दिन व कई-कई रात घंटों बिजली गायब रहती है । परन्तु शीतकाल में भी विद्युत आपूर्ति में व्यवधान व कटौती की जारी है । जिससे जनता में व्यापक क्षोभ व असंतोष है इस कारण वहां एक ओर उद्योग धंधें चौपट हो रहे हैं वहीं पर्यटकों की संख्या में हो रही गिरावट से आगरा के विकास की गति अवरुद्ध हो रही है ।

अतएव लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि आगरा महानगर को उसकी विशिष्ट स्थिति के कारण विद्युत कटौती से पूर्णतः मुक्त रखा जाय । ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम बसुई, विकास काण्ड नरेन्द्र नगर में बिजली के तारों की चोरी रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मानवर सिंह कंडारी–

। मान्यवर, वर्ष 1990 में ग्राम बसुइ विकास खण्ड नरेन्द्र नगर में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड टिहरी गढ़वाल ने बिजली के खम्भे गाड़ दिये थे । लगभग 4 वर्ष बीत गये हैं किन्तु अभी तक इन खम्भों में बिजली के तार नहीं खींचे गये हैं । मैंने इस मामले को पिछले साल विधान सभा में उठाया था किन्तु अभी तक यह मामला अधर में लटका हुआ है । सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि लगभग

नोट–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

आठ किलोमीटर बिजली के तार चोरी हो गये हैं परन्तु अभी तक यह मालूम नहीं हुआ है कि किस व्यक्ति ने यह तार चोरी की है दोषी व्यक्ति को पकड़ा नहीं जा रहा है । ऐसा लगता है कि विद्युत वितरण खण्ड इस मामले को रफा-दफा करना चाहता है । ग्रामवासी विद्युतीकरण की सुविधा के लिए तरस रहे हैं ।

कृपया मामले की जांच उत्तर प्रदेश सरकार से तुरन्त करवायें ताकि दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जा सके । ।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के ग्राम मगरामर में निर्माणाधीन श्रीमती कुसुमा देवी संयुक्त चिकित्सालय के अधिग्रहण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ऊदल–

। मान्यवर, उन्नाव जनपद की तहसील पुरवा के अन्तर्गत ग्राम मगरामर में निर्माणाधीन अस्पताल श्रीमती कुसुमा देवी संयुक्त चिकित्सालय के अधिग्रहण के संबंध में डा० पी० एस० त्रिपाठी के पत्र दिनांक 20-11-93 संबोधित प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि इस अस्पताल का शिलान्यास पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने किया था तथा उसके अधिग्रहण की घोषणा की थी । अस्पताल दस लाख की लागत से निर्मित होना है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है । ।

जनपद बरेली में नीलगायों द्वारा की जा रही फसलों की क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* कुंवर सर्वराज सिंह–

। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मांग करते हुऐ एक अति महत्वपूर्ण जनकल्याण का प्रकरण सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं मेरे जनपद बरेली में हजारों नील गायों की वजह से फसलों के भंयकर नुकसान के कारण आम किसान आर्थिक तंगी का शिकार हो गया है । जिसके कारण ग्रामीण अंचल में हो रही इस भयंकर तबाही से जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है । जनता की इस समस्या को समझते हुये वर्ष 89-90 में वर्तमान नेता सदन की लोकप्रिय सरकार में इस समाधान का निर्णय किया गया था परन्तु भाजपा सरकार द्वारा इस ओर कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया । अस्तु मैं आपके माध्यम से इस लोक-प्रिय सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब इस समस्या का ठोस कारगर हल किसानों के लाभार्थ कराने हेतु तत्काल निर्देश देने की कृपा करें । ।

नोट–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गन्ना किसानों के पिछले वर्ष के करोड़ों रुपये बकाये की धनराशि का भुगतान सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

अब मैं माननीय पाल साहब से अनुरोध करूंगा कि वह अपने विषय पर, केवल ग्राह्यता पर बोलें ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह जो मैंने प्रश्न उपस्थित किया था, देश के 35 लाख गन्ना किसानों के संबंध में है । जिसकी ग्राह्यता के संबंध में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, प्रदेश की नई सरकार का गठन हुआ है, मान्यवर, अभी तक गन्ना किसानों का जो पिछले सत्र का बकाया है, उसके भुगतान के संबंध में कोई भी नीति स्पष्ट नहीं हुई है और न किसी कार्यवाही का उल्लेख किया गया है । उत्तर प्रदेश में पिछले साल गन्ना किसानों का देय 1319 करोड़ का बना था ।

माननीय मुख्य मंत्री स्वयं इसके बारे में बतायेंगे । लेकिन मैं अपने जनपद का कह सकता हूं, एक मिल का 1 करोड़ 40 लाख रुपया बाकी है । देवरिया के कई लोग हैं, जिसमें किसान आज भी भयंकर रूप से असन्तुष्ट है । आज प्रदेश में जो लिखित रूप में बकाया है, उसके संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? मान्यवर, जब चीनी का मूल्य बढ़ गया और फ्री-सेल का कोटा बढ़ गया, तो यह महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है । आज इस स्थिति के बावजूद भी जबकि गन्ना लेने के 15 दिन के बाद भुगतान कर देना चाहिए । आज ब्याज देने की स्थिति को कौन कहे, बकाया भुगतान नहीं हो रहा है । भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई है, किसानों से इनका कोई मतलब नहीं है । रामकोला के मामले में माननीय मुख्य मंत्री के साथ मैं भी गया था । वहां के बारे में यह प्रयास किया गया था कि दुबारा रामकोला न बनने पाये इस साल की भी पेराई शुरू हो गयी है । 160 चीनी मिलों में करीब-करीब पेराई शुरू हो गयी है । लेकिन आज भी गन्ना का दाम बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से मिल मालिक किसानों को पैसा नहीं दे रहे है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में सुनिश्चित जानकारी करायेगी कि उनको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या सरकार किसानों को पैसा भुगतान करने के संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगी ?

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि किसान के गन्ने की बड़ी मात्रा में घटतौली हो रही है । अगर कोई किसान मिलों में 50 कुन्तल गन्ना ले जाता है, तो उसे 48 कुन्तल ही तौला जाता है, 2 कुन्तल गन्ना किसान का मार दिया जाता है । यह काम जो हो रहा है वह मिल मालिकों की मिली भगत से हो रहा है और इससे किसान बहुत नुकसान उठा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि घटतौली के संबंध में सरकार का रवैया क्या होगा ? किसानों के गन्ने के भुगतान के संबंध में यह व्यवस्था की गयी थी, उनके पैसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है । आज गन्ना किसानों के सामने बड़ी दिक्कत है । मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मिलों का खाता ही बैंकों में नहीं, इसलिये चेकों द्वारा गन्ना किसानों को पैसा दिये जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है और उनके पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है । पुरानी सरकार ने चेक की व्यवस्था लागू की थी, लेकिन वह प्रभावकारी नहीं हो सकी है,मान्यवर, जहां तक नये सत्र में भुगतान को सुनिश्चित करने का संबंध है, यह बहुत अहम बात है और बहुत अहम मसला है कि किसानों के गन्ने का मूल्य बकाया है । इसलिये आपसे निवेदन है और प्रार्थना है कि आप इस पर चर्चा करा दें । कल के बाद सदन नहीं चलेगा और अगला सत्र पता नहीं कब आवे, तब तक किसान बड़ी कठिनाई में रहेंगे ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमारे साथी पाल जी ने जिन बातों को कहा है, मैं उन पर बल देता हूं । दुख इस बात का है कि राजनीतिक लाभ के लिये कहा जाता है कि 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है, लेकिन आज जिस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है, सरकार की नीति स्पष्ट न होने के कारण बड़ा दुख होता है । मैं इस पर और अधिक बल दे रहा हूं । मान्यवर, जितना गन्ना पैदा होता है, उसका 30 प्रतिशत गन्ना ही पिराई होती है और फिर भी एक-एक और दो-दो सत्र तक किसानों का पैसा बकाया रहता है, जिससे उनका शोषण होता है । मान्यवर, एक ओर जब किसानों से पैसा वसूल किया जाता है, तो उनसे ब्याज भी वसूल लिया जाता है और दूसरी ओर जब उनको पैसा दिया जाता है, तो ब्याज की बात कौन कहे उनको मूल पैसा भी ठीक से नहीं भुगतान किया जाता है । इसका कारण यह है कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है ।

गेहूं का मूल्य निर्धारित किया गया है, चावल का मूल्य निर्धारित किया गया है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी जो धरती पुत्र हैं और किसानों की सरकार है, आप स्पष्ट घोषणा करें कि गन्ना किसानों के मूल्यों का भुगतान किया जायेगा । आपकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये । केन्द्र सरकार ने जो मूल्य घोषित किया और राज्यपाल ने जो बढ़ोत्तरी की घोषणा की है उससे पांच रुपया अधिक की घोषणा आप कर दें, तो यह समझा जायेगा कि आप किसानों के हित में बात कह रहे हैं । यह किसानों की गरीबी मिटाने की बात होगी । सरकार को अपनी नीति स्पष्ट कर देनी चाहिये । किसानों को जो देय होता है, उस पर उनको ब्याज देना होता है, लेकिन जो किसानों का पैसा सरकार पर बकाया होता है, उस पर उसे कोई सुविधा नहीं मिलती है। मैं चाहता हूं कि इस विषय की गम्भीरता को देखते हुये सारे नियमों को निलम्बित करके चर्चा कराने का कष्ट करें ।

नोट – * वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जो यह नियम 311 के अन्तर्गत हमने प्रस्ताव दिया है....

श्री अध्यक्ष–

यह प्रस्ताव नहीं है, सूचना है।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जब तक यह अस्वीकृत नहीं हो जायेगा तब तक यह प्रस्ताव रहेगा जब आप इसे अस्वीकृत कर देंगे तब यह प्रस्ताव नहीं रहेगा।

(व्यवधान)

वैसे मान्यवर, जो आप कह रहे हैं वह ठीक है, मैं ही गलती पर हूं। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन के दौरान गन्ना मूल्य के बकायों का ज्यादा से ज्यादा भुगतान किया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार थी और राष्ट्रपति शासन के उपरान्त के आंकड़ों को यदि आप देखें तो यह पता चलेगा कि बकायों की क्या स्थिति है। मान्यवर, यह जो रामकोला काण्ड हुआ था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, रामकोला काण्ड के खून के छींटे भारतीय जनता पार्टी पर सदा पड़े रहेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास यह विभाग है आप एक निश्चित घोषणा कर दें कि इस तारीख तक योजनाबद्ध ढंग से जितना बकाया है उसका भुगतान करा देंगे और मिल मालिक यदि भुगतान नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे। उनके साथ भी आप वही व्यवहार करेंगे जो व्यवहार सरकारी देयों के बकाये के संबंध में किसानों के साथ होता है, उन मिल मालिकों को भी जेल के सीखचों के पीछे डालेंगे। मान्यवर, रामकोला के दोषी घूम रहे हैं जनता ने उनको सजा दे दी है मैं चाहूंगा कि रामकोला काण्ड के संबंध में एक आयोग का गठन कर आप दोषियों को दण्डित करने का काम करें, इसकी घोषणा आप आज सदन में करें।

*श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत दिये गये इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने यह आदेश दिये कि गन्ना मूल्यों का भुगतान फैक्टरी के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से न होकर, बैंकों के माध्यम से किया जाय। इसमें दो तीन दिक्कतें आ रही हैं। मिल भुगतान करता है सोसाइटी को, सोसाइटी भुगतान करती है बैंक को, बैंकों के कर्मचारी कहते हैं कि हमारे यहां स्टाफ की कमी है, हम इस काम को नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी मिलें हैं जिनमें किसानों के बैंक खाते अभी तक नहीं खुल पाये हैं, सोसाइटियों में करोड़ों रुपया ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि बैंकों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था को खत्म करके, सोसाइटी के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय लिया जाय। मान्यवर, सीतापुर, लखीमपुर आदि अनेक ऐसे जिले हैं जहां गन्ना बहुतायत में होता है। लाखों एकड़ क्षेत्र में गन्ना पैदा होता है, संबंधित किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया जा

नोट –* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे सदन की समाप्ति से पूर्व यह घोषणा सदन में करें कि वे इस संबंध में क्या-क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों की जिस दिक्कत की ओर माननीय नेताओं ने ध्यान आकर्षित किया है मैं उससे अपनी सहमति प्रकट करता हूं और साथ में यह बड़ी चिन्ता की बात है कि गन्ना किसानों का बहुत पैसा अभी बकाया है जिसे सरकार ने नहीं दिया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई बातें बतायी गयीं । मैं केवल इतना याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बनते-बनते ही श्री कल्याण सिंह ने 70 करोड़ रुपया अपने राजस्व से देकर जितनी सरकारी और सहकारी मिलें हैं उनका अप टू डेट भुगतान करा दिया था । अभी प्रमोद तिवारी जी ने माननीय मुख्य मंत्री से मांग की है कि जहां निजी पूंजीपतियों ने गन्ने का भुगतान नहीं किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी इस आदरणीय सदन के सदस्य थे, शायद वह भूल गये थे कि यह भारतीय जनता पार्टी का ही साहस था कि उसने हमारे प्रदेश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही की, उनको कारावासित किया गया और जेल में उनको स्थान दिया गया ।

(श्री नरेश अग्रवाल के बोलने के लिये खड़े होने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, इस तरह से किसानों का भुगतान कराया गया और जहां तक पेमेन्ट को चेक से देने का सवाल है तो इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि यह बड़ी पुरानी मांग उठती रही है कि काश्तकारों को जो पेमेन्ट किया जाता है उसमें कटौती कर ली जाती है और घटतौली की जाती है और इसमें काफी भ्रष्टाचार किया जाता है । इस दिक्कत से बचने के लिये भारतीय जनता पार्टी ने चेक से पेमेन्ट करने का तरीका निकाला था । उसके बाद सरकार तो हमारी खत्म हो गयी लेकिन जो बैंक की दिक्कत है या मिल मालिकों के द्वारा सोसाइटी को देकर और सोसाइटी से बैंक में जाने की जो दिक्कत है अब उसकी जिम्मेदारी मुलायम सिंह जी की सरकार पर है । मैं बल देता हूं कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाय । बैंकों से बात की जाय, सरकारी और सहकारी मिलों को आदेशित किया जाय ताकि हमारे काश्तकारों को समयबद्ध तरीके से भुगतान हो जाय ।

हमने माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान पढ़ा है कि उनका भुगतान अप टू डेट कर दिया जाय । लेकिन केवल आदेशों से समाधान होने वाला नहीं है । सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि यह आज घोषणा की जाय कि इसके लिये कितने करोड़ रुपया सरकार की ओर से निकाला जाना है, कितना प्राविधान किया जाता है रुपये का, जिससे सरकारी और सहकारी चीनी मिलों का भुगतान अप-टू-डेट कर दिया जायगा और जो इनकी मिलें हैं उनके मालिकों पर यह कैसे जिम्मेदारी सौंपी जाय कि वे इसका भुगतान सुनिश्चित करें । मान्यवर, आज काश्तकार अपनी बही, अपनी पर्चियां लिये घूम रहा है और उसका भुगतान नहीं होता और अगर उसके ऊपर बकाया है तो राजस्व विभाग के लोग उसे हवालात में भेज देते हैं तो आज इस तरह के आदेश को साफ करने की आवश्यकता है कि अगर किसी के ऊपर बकाये की पर्ची है तो उसके ऊपर जितना रुपया उसका बकाया है उतनी कृषि देयों की वसूली नहीं की जायेगी । इस बात का स्पष्ट आदेश सरकार की ओर से होने की आवश्यकता है । इस बात पर बल देते

हुए मैं इस बात पर भी बल देता हूं कि गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों का भुगतान अप-टू-डेट सुनिश्चित किया जाय ।

(श्री प्रमोद तिवारी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि बी० जे० पी० के शासन के समय कितना गन्ने का मूल्य बकाया था और राष्ट्रपति शासन के समय कितना बकाया रह गया ?

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी, आप बैठ जाइये ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, गन्ने के सवाल पर माननीय नेताओं की सूचना और उसके संदर्भ में जो आपने अपनी बात और किसानों की हमदर्दी जाहिर की है, उसके बारे में मुझे कहना है कि जब सरकार का पैसा बाकी रहता है तब तो सरकार की मशीनरी डन्डा खोपड़ी पर चलाकर हमसे वसूली करती है लेकिन जब हमारा पैसा मिल मालिकों पर रहता है तब भी डन्डा मारा जाता है । रामकोला इसका उदाहरण है । मान्यवर, चाहे लगान हो, सिंचाई हो या कोई भी बिल हो, बिजली का बिल हो तो समस्त सरकारी देयों की वसूली जबरदस्ती चालू हो गयी है । लोग कटघरे में बन्द किये जा रहे हैं और हमारा पैसा उनके मिल मालिकों पर बकाया है तब भी हमारी खोपड़ी पर डंडा पड़ता है तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने आदेश जारी किया है मिल मालिक किसानों का 15 दिन के अन्दर पेमेन्ट नहीं करेंगे तो उनको ब्याज सहित पेमेन्ट करना पड़ेगा ।

क्या उस पर अमल हो रहा है, जो गन्ना किसानों के बारे में आपने कागजी आदेश दिये हैं, उनको व्यवहार में लाने के लिये, उन चीजों को जमीन पर उतारने का काम करें । गैर सरकारी, सहकारी चीनी मिलों का जो बकाया है, सबसे ज्यादा बकाया निजी चीनी मिलों का है । गन्ना किसानों की गाढ़ी कमाई का इस तरह से तमाम पैसा बकाया है । मान्यवर, गन्ना किसानों को जो राहत और तमाम और चीजें देने की बातें की जाती हैं, आपके सत्ता में आने में किसानों ने राहत महसूस की है । उनके उत्पाद के बकाया का चीनी मिल मालिकों से तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करायें । उनके ऊपर जो अन्य कृषि देय बकाया है, जब तक उनके गन्ने के बकाया का भुगतान न हो जाय, तब तक वह देय न वसूले जायें । मान्यवर, अगर आप गन्ने के मूल्य में कुछ वृद्धि कर सकें तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद होगा । गन्ने के बकाये मूल्य का तुरन्त भुगतान करायें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मित्रसेन जी अब आप बैठ जायें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, हमारी सरकार किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार है, यह वह साबित भी कर देगी । मान्यवर, पूरा सदन जानता है कि माननीय मुलायम सिंह जी जो हमारे नेता है, एक किसान

के बेटे हैं । रामकोला मामले की अगुवाई उन्होंने की । रामकोला जैसे काण्ड की दुबारा नौबत हमारे सरकार के समय में नहीं आयेगी । माननीय गुप्ता जी अभी कह रहे थे, माननीय जगदम्बिका पाल जी, माननीय नरेश जी और माननीय प्रमोद जी और मित्रसेन जी ने अभी बातें कहीं, हम जानना चाहते हैं कि बैंकों से पेमेन्ट की व्यवस्था किसने की थी .....

(व्यवधान)

आज से बैंक से पेमेन्ट की व्यवस्था खत्म, समितियों के माध्यम से भुगतान किया जायेगा । जितना पैसा बकाया है, 31 दिसम्बर तक, हमारा पूरा प्रयास है कि किसानों को उनका पिछला बकाया दे दिया जाय ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

31 दिसम्बर के उपरान्त चीनी मिल मालिकों के ऊपर सख्त कार्यवाही की जायेगी । (व्यवधान) मान्यवर, आज सदन में काफी विधायी कार्यों के पूरा होने की बात है इसलिये श्रीमन्, इसमें ज्यादा समय न लिया जाय । मान्यवर, माननीय सदस्यों की जो यह सूचना थी, यह नियम 311 के अन्तर्गत नहीं आती । माननीय सदस्यों की जो आशंकायें थीं वह दूर हो गयी होंगी । किसान विरोधी गये, अब किसानों के दोस्त आये हैं, किसानों की समस्याओं को हम दूर करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें । माननीय जगदम्बिका पाल, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने जो यह नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी थी, मैंने माननीय सदस्यों को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना, इस संबंध में जो शंकायें थीं उनका काफी समाधान हो चुका है । चूंकि नियम के अन्तर्गत यह ग्राह्यता की कोटि में नहीं आती है इसलिये उसे निरस्त किया जाता है ।

अयोध्या में आयोजित रामायण मेले के आयोजकों द्वारा "तुलसी दल" नामक पत्रिका में अपमानजनक तथ्यों को प्रकाशित किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

एक अन्य सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की है जिसमें उन्होंने अयोध्या मेले से संबंधित कुछ बात कही है मैं यह चाहता हूं कि वे अपनी बात थोड़ा संक्षेप में रख लें, इसको कोई नियम ऐसा न बना लिया जाय कि नियम 311 में प्रतिदिन सुन ही लिया जाय । आगे इस संबंध में हम लोग भविष्य में बैठेंगे। इस नियम 311 के अन्तर्गत यहां पर हम लोग विस्तार से चर्चा नहीं होने देंगे ऐसा निर्णय हम लोग करेंगे, इस तरह की बातें आने से सदन की कार्यवाही बहुत बाधित होती है, बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, अभी दो दिन पूर्व अयोध्या में एक रामायण मेले का आयोजन किया गया जो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, जिसे आयोजित करने में

(शोर/व्यवधान)

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भी भरपूर सहायता किया गया था। मान्यवर, यह बहुत ही दुख का विषय है कि हम लोगों को यह देखने में आ रहा है कि बार-बार सरकार और दूसरे लोगों की तरफ से एक सुनियोजित तरीके से जो बहुसंख्यक वर्ग की आस्थाओं के जो प्रतीक हैं उन आराध्य देवी देवताओं के ऊपर छींटाकसी और बहुत सी अनर्गल बातें कहकर बहुसंख्यक वर्ग के धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं पर प्रहार किया जा रहा है जो घोर निन्दनीय है। ऐसे लोगों तथा संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना चाहिए। उल्टे सरकार द्वारा ऐसे विद्वेष मूलक कार्यों हेतु धन दिया जाना घोर निन्दनीय है।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह तो कोई तरीका नहीं है। जब आपने एक सदस्य को बोलने के लिये आमंत्रित किया है तो सत्तारूढ़ दल द्वारा बार-बार बाधा पहुंचाने का प्रयास करना, मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं। आप पहले सदन को व्यवस्थित करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी आप कृपया ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। मान्यवर, अभी पिछले दिनों सहमत द्वारा फैजाबाद में एक पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और उसमें भी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हर प्रकार से सहायता किया गया जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के ऊपर छींटाकसी करते हुए मां सीता को श्रीराम की बहन बताया गया था और लोगों में भयंकर आक्रोश व्याप्त हो गया था। (व्यवधान)

नियमों के विपरीत नियम 300 एवं 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं की ग्राह्यता पर बोलने हेतु समय दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, पहले मुझे पूरा तो सुन लें।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से उत्पन्न व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, पहले मुझे सुन लें आपने मुझे कृपापूर्वक अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, कदाचित हमारे सामने बैठे हुए वरिष्ठ सदस्य, श्री गुप्ता जी इससे सहमत होंगे कि सदन की कार्यवाही नियमपूर्वक चले और जो नियमों के विपरीत प्रयास कर रहे हों उन्हें रोका जाय । मान्यवर, यह जो नियम–300 के अन्तर्गत मामला उठाया गया है मैं इसके संबंध में पहले नियम–300 को पढ़ देता हूं । उसमें लिखा है कि औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हों । श्रीमन्, मामला आपके संज्ञान में है लेकिन हमने सूचना पढ़ी है वह कहीं-से संविधान के ऐसे अनुच्छेद में नहीं शामिल है, सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं है जिससे कि नियम 300 के अन्तर्गत यह विषय आता हो

(समय 12 बजे)

श्रीमन्, निवेदन है कि नियमों से परे जो सूचना है, उसको सुनने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको निरस्त किया जाय ।

(विपक्षी सदस्यों की ओर से शोर/व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह आपके अधिकार क्षेत्र में है कि आप इसे ग्राह्य करें अथवा निरस्त करें लेकिन जो कुछ हुआ है उससे हिन्दू जन मानस की आस्थाओं को चोट पहुंची है और इसे व्यक्त करने की संविधान के अन्दर व्यवस्था है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियम 300 के संबंध में जो बात कही है, उसके संबंध में स्पष्ट कर दूं कि मैंने नियम–300 के अन्तर्गत इस सूचना को लिया नहीं है केवल नियम–311 में संक्षेप में कहने के लिये मैंने समय दिया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, नियम–311 में तो यह और भी अनावश्यक है । राम नाम करते हुए तो इनका राम नाम सत्य हो चुका है, उसके बाद भी यह उसी के पीछे पड़े हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियम–300 को पढ़ कर उल्लेख किया । मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो विषय माननीय चौधरी जी उठा रहे हैं, वह नियमों से संगत इसलिये है कि जो समारोह वहां हो रहा है, उसे कोई निजी व्यक्ति करता, पत्रिका का प्रकाशन करता, तो कदापि आपत्ति नहीं होती, जबकि उस समारोह का पूरा व्ययभार सरकारी बजट के अंश से हुआ है, जिसे सांस्कृतिक कार्य विभाग और पर्यटन विभाग ने दिया है । इस प्रकार सरकारी धन द्वारा हिन्दू देवी देवताओं का अपमान तथा हिन्दू भावनाओं को आहत करने का जो प्रयास किया गया है, यह अत्यन्त चिन्ताजनक बात है ।

(विपक्षी सदस्यों की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

वहां जिस पैसे का उपयोग हुआ है, उसे विधान मंडल पास करता है, इसके बाद विनियोग विधेयक पास करते हैं, आप उस पैसे को खर्च करने का अधिकार देते हैं इसलिये उस पैसे के खर्च का हिसाब विधान सभा को देने के लिये यह मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। आज हमें इस पर शंका हो गयी है। किस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को लांछित किया जा रहा है, इससे पूरे प्रदेश में उत्तेजना व्याप्त हो रही है, इसलिये चौधरी जी, जो विषय उठा रहे हैं, वह नियमों से संगत है।

श्री अध्यक्ष–

मैं यह जानना चाहता हूं कि आप ग्राह्यता पर बोल रहे थे ? लेकिन आप ग्राह्यता से हट गये थे, ग्राह्यता से हटकर बोल रहे थे। मैंने आपसे ग्राह्यता पर बोलने के लिये कहा था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आपत्ति उठायी थी, जो विधिक आपत्ति उठायी थी, उसका उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ था। एक बात और मान्यवर, इसकी सूचना आपको मिल चुकी थी, आपने सूचना पढ़ ली, उसके बाद आपने जब उचित समझा तो चौधरी साहब को बोलने को कहा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। मान्यवर, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से.....

श्री अध्यक्ष–

आपकी व्यवस्था की बात जब चौधरी साहब बोल लें, तब आपकी बात सुन लेंगे, आप शांति से बैठ जायें। मैं सभी की बात सुनूंगा, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं, कभी नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, व्यवस्था के लिये प्रमोद तिवारी को सुन लें।

(व्यवधान/शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत हो जायें, किसी की बात नहीं सुनी जायेगी। कोई चीज कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी।

(भाजपा सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

अभी पिछले दिनों मान्यवर, फैजाबाद जिले के अन्तर्गत "सहमत" द्वारा.....

(शोर/व्यवधान)

अयोध्या में आयोजित रामायण मेले के अवसर पर "तुलसीदल" नामक स्मारिका में हिन्दू भावनाओं को आहत करने वाले तथ्यों को प्रकाशित करने के बारे में उठाये गये औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

राजकीय कोष से सहायता प्राप्त आयोजन द्वारा हिन्दू देवी देवताओं के विरुद्ध मनगढ़न्त तथा घिनौनी बातें लिखकर हिन्दू भावनाओं को आघात पहुंचाने का घृणित प्रयास किया गया है।

(व्यवधान/शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सरकारी धन पर, हिन्दू भावनाओं को आघात लगाकर, जानबूझकर एक घृणित प्रयास किया जा रहा है। (व्यवधान) इस शासन की नीति के खिलाफ, शासन द्वारा ..... (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था कोई स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सदन में जब कोई स्पष्ट बात नहीं कहनी है और अपनी संख्या बल पर प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने की कुचेष्टा करनी है तो मैं इस आदरणीय सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

(व्यवधान/शोर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 की सारी सूचनायें अग्राह्य कर दी हैं।

श्री मित्रसेन यादव–

अध्यक्ष जी, रामायण मेले का मामला, जो कि मेरे जिले से संबंधित है, उसके बारे में मुझे भी कुछ कहना है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के बारे में कोई भी व्यवस्था न उठायें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, 311 से संबंधित नहीं है, दूसरी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद तिवारी.....

श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष महोदय, हम एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं भारतीय संविधान के अनुसार यहां धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त लागू है । एक राजनैतिक दल के नाते नहीं एक जाति विशेष का नाम लेकिन धर्मनिरपेक्षता को कलंकित करने का प्रयास किया गया है । मैं चाहूंगा कि जो कुछ भी उन्होंने बर्हिगमन के पहले एक धर्म का नाम लेकर बहिर्गमन किया, कार्यवाही से धर्म का नाम निकाल दें । ये विश्व हिन्दू परिषद् के सहयोगी हैं और रामायण मेले के आयोजक नृत्य गोपाल दास वह भी इन्हीं से सम्बन्धित हैं और महन्त नृत्य गोपाल दास ने उस पुस्तिका का प्रकाशन किया है, जिसमें तमाम तरह की आपत्तिजनक बातें कही हैं । भारतीय जनता पार्टी व उसकी सहयोगी विश्व हिन्दू परिषद् इसके लिये दोषी हैं । भगवान राम के बारे में तमाम आपत्तिजनक शब्द कहे गये हैं ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

यह मामला समाप्त हो गया है । इस पर अब बोलने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, इस मेले को विघटित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं । आप जो बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री मित्रसेन यादव–

[× × ×]

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, अभी श्री गुप्ता जी ने जो कुछ कहा, उसका उत्तर देना आवश्यक हो गया है। सांस्कृतिक कार्य विभाग केवल रामायण मेले के अवसर पर जिला प्रशासन के तत्वावधान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा रामायण मेला समिति की स्मारिका इत्यादि से कोई संबंध नहीं है और न ही इस कार्य हेतु कोई वित्तीय सहायता दी जाती है। यह जो कुछ हो रहा है, राजनैतिक कारणों से व राजनैतिक लाभ हेतु खुद ही ये लोग उसे करवा रहे हैं और फिर उसे यहां पर उठवा रहे हैं।

(श्री गुप्ता जी के पुनः अपने आसन पर आ जाने के बाद)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने इसीलिये पहले बोल दिया था कि जो पत्रिका प्रकाशित हो गयी है, उसे प्रतिबंधित कर दिया जाय और जो उसके मुद्रक, प्रकाशक व लेखक हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

(शोर/व्यवधान)

श्री अफजाल अंसारी स० वि० स० के घर पर गैर कानूनी ढंग से की गयी लूटपाट पर सदन में मा० अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार जांच रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 के अन्तर्गत दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री राम आसरे वर्मा जी व श्री ऊदल जी की है। अब आप ही बतायें कि आप लोगों में से कौन बोलेगा। आप माननीय सदस्यों की सूचना 11 मई, 1992 को सदन में माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार श्री अफजाल अंसारी के घर पर गैर कानूनी ढंग से की गई लूटपाट की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही के संबंध में है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का मौका दिया।

(श्री राम आसरे वर्मा जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री तिवारी जी आप कृपा करके बैठ जायं। माननीय श्री वर्मा जी को पहले बोलने दीजिये।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय अफजाल अंसारी पिछली विधान सभा में भी और इस माननीय सदन के भी सदस्य हैं उससे पहले भी यह सदस्य रहे हैं। पिछली विधान सभा में जब यहां बैठक चल रही थी उस समय यह मामला यहां उठाया गया था और इनके घर की लूटपाट जिस बेरहमी के साथ हुई उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन के अन्दर कार्यवाही हुई उसमें हमारे नेता कांग्रेस के प्रमोद

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तिवारी जी ने मार्मिक शब्दों में उस घटना के बारे में बयान दिया था उन्होंने कहा था "उनके साथ जो कुछ हुआ, उनके वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, धर्म निरपेक्ष पिता के साथ जो कुछ हुआ, उनके घर के पशुपक्षियों के साथ जो कुछ हुआ वह इतना दुखद, घृणित है और निन्दनीय है कि अगर कोई सरकार उनके बचाव में खड़ी होती है और दोषी को दंडित नहीं करती है तो उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और हो नहीं सकती।" यह उस समय प्रमोद तिवारी जी ने कहा था।

माननीय ऊदल जी ने उस घटना पर बयान करते हुए कहा था "औरतों के बदन पर जो कपड़े थे, वही बचे हैं और बाकी सब पुलिस ले गयी है, विधायक जी के नाम की तो जीप भी पुलिस ले गयी। नगर पालिका के चेयरमैन उनका भी सारा सामान ले गयी। उनको कुछ दिन पहले जैकेट मिली थी, उस जैकेट को भी ले गयी।

इस दर्दनाक स्थिति का सदन के सामने बयान किया गया था उस समय तत्कालीन अध्यक्ष माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी ने एक व्यवस्था दी थी कि इस घटना की जांच उच्च स्तरीय न्यायिक सेवा के किसी अधिकारी से करायी जाय और उसके लिये इस विधान सभा के पूर्व सचिव श्री भालचन्द्र शुक्ला को नियुक्त किया गया लेकिन उन्होंने अपनी असहमति जाहिर की तो जस्टिस ज्ञानेन्द्र कुमार जी हाईकोर्ट के जज थे उनको यह कार्य सुपुर्द किया गया। इसकी जांच हुई और जांच के दौरान जो आरोप थे वह सच पाये गये। जांच रिपोर्ट भी शासन को भेज दी गयी और राष्ट्रपति शासन के दौरान उस जांच रिपोर्ट पर माननीय राज्यपाल के हस्ताक्षर भी हो गये उसे स्वीकार भी उन्होंने कर दिया। लेकिन आज तक उस जांच रिपोर्ट के आधार पर जो कार्यवाही अपेक्षित थी वह नहीं की गयी। जब मान्यवर, सदन में एक निर्णय लिया गया और उस निर्णय के आधार पर जांच रिपोर्ट आ गयी तो उसके आधार पर कार्यवाही की जाय और उससे सदन को अवगत कराया जाय जिसके लिये औचित्य का प्रश्न हमने उठाया है। इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि जो इस मामले में जांच रिपोर्ट आयी है उस जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है उससे सदन अवगत हो। अगर एक विधायक के साथ इस तरह की घटना घटे उसमें कार्यवाही करने में किसी तरह की कोताही होती है तो फिर सामान्य नागरिक का क्या हाल हो सकता है इसकी आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। मैं पुनः अपनी बात को दोहराना चाहूंगा और आपके माध्यम से चाहूंगा कि वह जांच रिपोर्ट क्या है उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह प्रदेश का दुर्भाग्य था कि यहां बीच के दौर में एक ऐसी जालिम सरकार स्थापित हुई थी जिसमें लोगों का जीना दूभर हो गया था जिसमें विधायकों की गरिमा से चिढ़ थी उनके सम्मान से चिढ़ थी, विधायक के परिवार से चिढ़ थी। यही नहीं उस समय जो सरकार थी उसका उदाहरण है अफजाल अंसारी (व्यवधान) पहले उनको चुप कराइये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि आपमें हृदय है और विधायक का सम्मान चाहते हैं तो दलगत भावना से ऊपर उठकर जिन्होंने

श्री अफजाल अंसारी और उनके परिवार के लोगों का अपमान किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाये । मान्यवर, श्री अफजाल अंसारी उस परिवार के हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिये लहू बहाया है और अपने परिवार का बलिदान दिया है और ऐसे विधायक के घर की औरतों का अपमान किया गया तथा जबरदस्ती उनकी अंगुली से अंगूठी उतारी गयी थी ..... । (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें और व्यवधान न पैदा करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, उनके परिवार के पालतू कबूतरों की गर्दनें मरोड़ी गयी । उनके सगे भाई को बंदी बनाया गया और श्री अफजाल अंसारी के घर की कुर्की की गयी ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाएं और शांति बनाये रखें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं कि उस समय के विधायकों को और खासतौर से श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी को जिन्होंने श्री अंसारी पर हुए अत्याचार को यहां उठाया तो उनको तत्कालीन विधान सभाध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, ने यहां बोलने नहीं दिया । (व्यवधान)

मान्यवर, इस संबंध में जांच रिपोर्ट आ गयी है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि उसका परीक्षण सरकार कराकर यहां सदन के पटल पर रखे जिससे दोषी व्यक्तियों को जो सामने हैं उनको सजा दी जा सके ।

(व्यवधान)

मान्यवर, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने निर्णय दे दिया है । आयोग का निर्णय आ चुका है और सदन के पटल पर रखा जा चुका है । इसलिये अनुरोध है कि श्री अफजाल अंसारी के घर की कुर्की के नाम पर, बी० जे० पी० सरकार के इशारे पर, उनके घर के और परिवार के लोगों को दंडित और प्रताड़ित किया गया था, इसलिये दोषी व्यक्तियों को ऐसी कड़ी सजा दी जाये जो कानून के मुताबिक आवश्यक हो और जिससे भविष्य में ऐसी घटना करने की उन्हें हिम्मत न पड़े ।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी अफजाल अंसारी जी के प्रकरण में यहां जो कुछ कहा गया, आपके सामने प्रस्तुत किया गया, माननीय अफजाल अंसारी साहब भी विधायक थे उनके साथ जो कुछ हुआ उसकी जितनी निन्दा की जाये कम है, किन्तु अब भी उस मामले में जो हो रहा है, वह भी ठीक नहीं है। यह हमारी नैतिकता है, हम राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं और अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को समझते

हुए जब सरकारी मशीनरी किसी किस्म का किसी का उत्पीड़न करती है तो उसमें हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए पार्टी की विचारधाराओं से ऊपर उठकर । सदन के सदस्य होने के बाद ऐसी कोई बात उनके साथ हुई और भारतीय जनता पार्टी के लोगो को इसमें आपत्ति है कि हमने जांच कराई थी । केवल जांच करा देने से ही आप गर्व महसूस नहीं कर सकते हैं । यदि आप यह जांच कराने के पहले ही दोषी लोगों को इस प्रकरण में सजा दे देते, उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी होती, उन्हें दण्डित किये जाने का काम किया होता, तो मैं समझता कि आपकी नीयत साफ थी । क्योंकि कोई सच्चाई छिपती नहीं है, उसी समय इसकी चर्चा में सारी सच्चाई और वास्तविकता हमारे सबके सामने आ गयी थी । बाजीपुर और वाराणसी की पुलिस ने उनके घर की निर्ममता पूर्वक कुर्की की कार्यवाही करके घर पर जो लूटमार की थी, जो बेरहमी और बेइज्जती की थी वह सबको मालूम हो चुका था ।

यह अंसारी साहब का वह परिवार है, जो मात्र स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार नहीं है, बल्कि इसी परिवार मे महान देशभक्त ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग हुए हैं, जिन्होंने देश के लिये अपने प्राण न्योछावर किये । मैंने इस बारे में थोड़ा निवेदन कर दिया है कि इस विषय में काफी कुछ कहा जा चुका है, आज जो प्रकरण प्रस्तुत है उसमें बहुत कुछ कार्यवाही हो चुकी है, अब इसमें सबसे बड़ी कार्यवाही यह होनी चाहिए कि जो जांच आयोग में दोषी पाये गये हैं, जिस रिपोर्ट को महामहिम राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है और जिसकी सूचना गृह सचिव तक पहुंच चुकी है, उनके खिलाफ सख्त और शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए ।साथ ही इनकी बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति हुई है, बीसों लाख का इनका नुकसान हुआ है, हम आपसे चाहेंगे कि जिन लोगों ने इस सम्पत्ति को बर्बाद किया है, आप उनको जो भी सजा दें, संस्तुतियों के अनुसार वह उनकी तनख्वाह से कट रहा होगा, लेकिन घर की क्षतिपूर्ति, जितना आंकलन किया गया है, उसकी पूर्ति तो आप कर दें । उनके घर की जो बर्बादी हुई है, उसको अपने शासन में रहते हुए आप पूरा कराने का कष्ट करें । इस चुनाव में भी जानबूझकर उन्हीं प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को वहां रखा गया है और उन्होंने उन्हें चुनाव में हराने का पूरा प्रयास किया है ... (व्यवधान) आपने रखा और दूसरों ने भी रखा ।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह लोग अभी अपने पदों पर आरूढ़ हैं, एक हमारे बिहार के विधायक पप्पू यहां आये थे, उनके साथ जो ज्यादती यहां की पुलिस ने की है, वह भी बड़ी शर्मनाक बात है, पुलिस मार से आज भी उनकी पीठ में घाव है, जिसको देखकर बिहार की सरकार और बिहार का सदन क्या कहता होगा । कानून से ऊपर कोई नहीं है । कानून में केवल गिरफ्तार करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उनके साथ जो निर्दयतापूर्ण व्यवहार हुआ है, वह उत्तर प्रदेश सरकार के लिये एक अत्यन्त शर्मनाक घटना है । इसलिये इन दोनों घटनाओं पर आप अपना निर्णय अवश्य सुनायें, जिससे जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले और जो प्रताड़ित हैं, वे राहत महसूस करें ।

श्री ऊदल–

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं कि आयोग ने जिन लोगों को दोषी पाया है और अपनी रिपोर्ट में संस्तुति के साथ भेज दिया है और महामहिम ने उस पर अपनी संस्तुति भी दी है, वे बनारस और गाजीपुर में आज भी मौजूद हैं । इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए, मुकदमा कायम होना चाहिए

और उन्हें निलम्बित करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए । और जो उनकी क्षति निर्धारित की गयी है, वह क्षतिपूर्ति भी उनके परिवारवालों को होनी चाहिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी जो विषय उठाया गया वास्तव में वह बहुत दुखद है लेकिन जिस तरह से पूरे सदन में उसे उठाया गया है उससे हमारे ऊपर आरोप लगाये गये हैं । पुलिस ने बल प्रयोग किया, ज्यादती की, इसकी जानकारी तो जांच रिपोर्ट से मिलेगी । एक साल तक कार्यवाही क्यो नहीं की गयी यह भी सदन को जानने की आवश्यकता है । सरकार के आदेश क्या हुए थे । पिछली बार मैं भी विधायक था और अंसारी जी भी विधायक थे । मान्यवर, इनके परिवार के एक सदस्य जिनका बहुत लम्बा-चौड़ा आपराधिक इतिहास था वह बहुत दिनों से फरार थे ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

देखिये, आप इस तरह की बात न उठायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हम पर हमला हो गया और हमें सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मेरी बात तो सुन लीजिये । मेरा कहना यह है कि औचित्य के प्रश्न में.....

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, चूंकि अंसारी जी इस सदन में मौजूद हैं हम चाहते हैं कि इनको भी दो मिनट का समय दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय गुप्त जी से बड़े विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रकरण औचित्य के प्रश्न के रूप में रखा गया है उसकी ग्राह्यता पर मैं सुन रहा हूं । चूंकि रिपोर्ट भी आ चुकी है अब क्या हुआ था क्या नहीं, वह कौन परिस्थितियां थीं जिनमें यह सब हुआ, यह सब बातें सामने नहीं आनी चाहिए । अब तो यह होना चाहिए कि जो आयोग ने रिपोर्ट दी है उसकी कार्यवाही हुई अथवा नहीं हुई, होनी चाहिए अथवा नहीं इस पर निर्णय देना होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारे ऊपर आरोप लगाये गये हैं .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आयोग की रिपोर्ट आ गयी है .....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आयोग की रिपोर्ट आ गयी है उसी के अनुसार कार्यवाही होगी। आप बैठ जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, दूसरों को तो रोका नहीं आपने हमारे ऊपर आरोप लगाये जा रहे थे। हमारी सरकार पर आरोप लगाये जा रहे थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप संसदीय प्रक्रिया के ज्ञाता है। जब आयोग की रिपोर्ट आ गयी है तो क्या उस पर पुनर्विचार सदन में किया जा सकता है ? मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं है।

* मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय नेता, नेता कांग्रेस, प्रमोद तिवारी जी, माननीय मित्रसेन यादव जी, माननीय ऊदल जी ने और माननीय गुप्ता जी ने भी कहा और उस पर चर्चा की और सुझाव रखें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा नाम लेने में क्या आपत्ति है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय राम आसरे वर्मा जी ने भी यह सवाल उठाया। इस सदन को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय अफजाल अंसरी जी के साथ जो कुछ हुआ था इस संघर्ष में हमने भी अगुवाई की थी। उनकी पार्टी से हम पीछे नहीं थे और मैं मौके पर भी गया था वहां पर विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ था उंससे साबित हो गया था कि माननीय अफजाल अंसारी के परिवार के साथ पुलिस जुल्म और अत्याचार की सीमा लांघ गयी थी। आयोग की रिपोर्ट आ गई। आयोग की रिपोर्ट के संबंध में हमने जानकारी कर ली है। माननीय ऊदल जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है। आयोग की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जल्दी की जायेगी । माननीय गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूं, यह अफजाल अंसारी जी का आपराधिक इतिहास बता रहे थे, लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि अफजाल अंसारी जी ने स्वयं इस बात को कहा था कि मेरा भाई अपराधी है उसके विरुद्ध जो कार्यवाही की जा सकती हो करें, मौत की सजा दे सकते हैं दें, लेकिन मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, तो जो अफजाल अंसारी जी ने खुद कहा है कि आपराधिक इतिहास उसको आप मत दोहराइये । मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो, अगर पुनरावृत्ति करेंगे तो आपराधिक इतिहास किनका नहीं है । अब तो वह मौका है कि अच्छे-अच्छों का आपराधिक इतिहास पता चलेगा ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार बदले की भावना से कोई कार्य नहीं करेगी । आप सदन में थे आपको याद होगा, यह कहा गया था मै उन बातों को दबा रहा हूं आपने घोषणा की थी कि मुलायम सिंह यादव के इलाके का मामला है, तो जो यह तय करेंगे वह मान लिया जायेगा । आपने उस वक्त घोषणा की थी कि इटावा में हत्या हुई उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जो कहेंगे वह मान लिया जायेगा और अपने गृह मंत्री को आपने पीछे से भेज दिया अपने अनुसार रिपोर्ट दे दी । लेकिन हमारी सरकार वह सरकार नहीं है । हम केवल समाजवादी पार्टी के या बहुजन पार्टी के मुख्य मंत्री नहीं हैं हम उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता के मुख्य मंत्री हैं हम विश्वसनीयता की बात करेंगे । अफजाल अंसारी जी के साथ जुल्म और अत्याचार हुए हैं । मौके पर देखा होता, कोई भी संवेदनशील सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी इसलिये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो हम इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

जो औचित्य का प्रश्न श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री राम आसरे वर्मा जी, श्री ऊदल जी ने उठाया था उस पर ग्राह्यता के लिये बहुत से लोगों को सुना । माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है । उसे अस्वीकार किया जाता है और आगे का प्रश्न औचित्य का, जो प्रमोद तिवारी जी, नरेश अग्रवाल जी ने प्रस्तुत किया है, इसमें मैं ग्राह्यता पर केवल श्री नरेश अग्रवाल जी को सुनना चाहूंगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, सभी नेताओं ने यह फैसला किया था कि कोई सवाल आज नहीं करेगे । अब माननीय गुप्ता जी को सुनना चाहते हैं । मैं भी इसलिये बैठा हुआ हूं तो कल जैसा निर्णय लिया गया उसी तरह कर लें।

श्री अध्यक्ष–

कल जो कार्यमंत्रणा की मीटिंग हुई यद्यपि मैंने उससे अवगत करा दिया था, जो सूचना दी गई थी उस संदर्भ में भी मैंने कह दिया था कल जब निर्णय हो चुका है तो अब 311 में कोई सूचना नहीं दीजिएगा । आग्रह करने पर मैंने सुन लिया अब मुख्य मंत्री जी ने कार्यमंत्रणा की बात पुनः कह दी है तो मैं सारे औचित्य के प्रश्नों को निरस्त कर रहा हूं । कल लिये जा सकते हैं ।

न्यायालय द्वारा श्री कल्याण सिंह को बिना शर्त बरी किये जाने संबंधी आदेश का पालन कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह संज्ञान में लाने का प्रयास किया गया है मान्यवर, कल कोर्ट के द्वारा माननीय कल्याण सिंह को बिना शर्त ससम्मान बरी करने के आदेश जारी हो गये हैं और अभी 11.30 तक मेरे पास जानकारी है कि अभी तक सरकार की ओर से उन्हें कारावास से मुक्त नहीं किया गया । सरकार की ओर से इस माननीय सदन में कोर्ट के सम्मान की बात तो बहुत की जाती है । लेकिन इस संबंध में चूक कहां है और कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं उनके कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की कहीं साजिश तो नहीं है इस संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उचित कार्यवाही करें ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, गुप्ता जी ने जो सूचना दी है वह मेरी जानकारी में नहीं थी लेकिन अब आपने जानकारी दे दी है कल 11.30 को उनकी रिहाई के आदेश दिये जा चुके हैं । इसलिये अगर अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई होगी तो मैं तत्काल रिहा करने के निर्देश दे दूंगा कि उनको तत्काल रिहा कर यहां लाया जाये ।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि०, कानपुर का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1986-87 †

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदानंद अंचल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, कानपुर का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1986-87 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि०, कानपुर का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1988-89†

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदानंद अंचल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, कानपुर का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1988-89 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड एवं लेखा विवरण वर्ष 1986-87 †

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदानंद अंचल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1986-87 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

नोट :– † छपे नहीं गये ।

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डिस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का इक्कीसवां प्रतिवेदन †

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदानंद अंचल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1987-88 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लखनऊ का स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का विवरण

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ का स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा वर्ष 1990-91 को भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (पन्द्रहवां प्रतिवेदन) वर्ष 1987-88 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–एक की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 20 दिसम्बर, 1993 की अपनी बैठक में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर, 1993 के सदन द्वारा स्वीकृत तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :––(यदि सदन की सहमति हो तो इसे पढ़ा हुआ माना जाये)

(सदन की सहमति से निम्नलिखित कार्यक्रम पढ़ा हुआ माना गया)

दिसम्बर, 1993

21 मंगलवार

(1) विधायी कार्य,

(क) नियम 128 के द्वितीय परन्तुक के प्राविधानों को शिथिल करते हुए निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—

1–उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993—आधा घंटा।

---

† छपे नहीं गये।

2–उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993—आधा घंटा ।

3–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993—आधा घंटा ।

4–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993—आधा घंटा ।

5–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993—आधा घंटा ।

(2) माननीय मुख्य मंत्री जी निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"चूंकि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1988 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन अधिकतम धनराशि जो राज्य विद्युत परिषद् किसी भी समय ऋण के रूप में ले सकती है, दस करोड़ रुपये होगी जब तक कि राज्य सरकार, राज्य विधान सभा के अनुमोदन से उच्च अधिकतम धनराशि निर्धारित न करें और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने उक्त उपबन्धों के अनुसार दिनांक 6 अप्रैल, 1989 को पारित विधान सभा के एक संकल्प द्वारा दिये गये उत्तर प्रदेश विधान सभा के अनुमोदन से, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के लिये ऋण लेने की अधिकतम सीमा 2,500 करोड़ रुपये (दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये) निर्धारित कर दी थी ।

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने 31 मार्च, 1993 तक 2,349 करोड़ रुपये (दो हजार तीन सौ उनचास करोड़ रुपये मात्र) का ऋण लिया है और परिषद् को वर्ष 1996–97 तक स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक निधि उपलब्ध कराने हेतु अग्रेतर ऋण की आवश्यकता होगी और इसी कारण से यह आवश्यक समझा गया है कि परिषद् द्वारा लिये जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा 2,500 करोड़ रुपये से बढ़ा दी जाय और उसको 4,000 करोड़ रुपये पर निर्धारित कर दी जाय ताकि परिषद् अपनी आयोजनागत योजनाओं जिनके लिये पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, के कार्यान्वयन हेतु अपने संसाधनों में वृद्धि कर सके,

अतएव विधान सभा इस संकल्प के माध्यम से अनुमोदन करती है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार उक्त उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ऋण लेने की 2,500 करोड़ रुपये (दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये) की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकती है और उसे तात्कालिक प्रभाव से 4,000 करोड़ (चार हजार करोड़ रुपये मात्र पर निर्धारित कर सकती है।"

(3) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

(4) अपराह्न 5.00 बजे

वित्तीय वर्ष 1993-94 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार तथा मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

22 बुधवार श्री राज्यपाल के अभिभषण पर चर्चा।।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उससे सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993

मुस्लिम वक्फ एवं सहकारिता मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी क्या इस संबंध में कुछ अपने विचार भी रखेंगे?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह औपचारिक विधेयक है। इसमें 40 पैसे की जगह पर टैक्स बढ़ाकर 80 पैसे किया गया है। यह 80 पैसे वसूल भी किया जा रहा है। यह विधेयक लाकर इसको रेगुलराइज किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम आसरे वर्मा, श्री राकेश सचान, श्री समीर भाटी, श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, आप में से यदि कोई सदस्य संशोधन रखना चाहे तो रख सकता है।

श्री राकेश सचान–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के विचार से सहमत हूं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह जो संशोधन का प्रस्ताव है इसके माध्यम से कहा गया है कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, जो सुझाव मंत्री जी ने विधेयक के बारे में रखे हैं उनसे सहमति व्यक्त करता हूं और अपने प्रस्ताव पर बल नहीं दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहेंगे ?

(किसी सदस्य द्वारा अपने विचार न रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, उत्तर भाषण में कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, पूरा सदन इससे सहमत है कि 40 पैसे की जगह पर 80 पैसे टैक्स लिया जाय। मान्यवर, इसको पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2, खण्ड–3 व खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1993 कहा जायगा ।

(2) यह 1 अप्रैल, 1992 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1939 की धारा 3 का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में अंक और शब्द "40 पैसे" के स्थान पर शब्द "अस्सी पैसे" और अंक और शब्द "20 पैसे" के स्थान पर शब्द "चालीस पैसे" रख दिये जायेंगे ।

मूल अधिनियम के अधीन अल्कोहल के क्रय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण का वैधीकरण

3–मूल अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अल्कोहल के क्रय पर उद्ग्रहीत और संग्रहीत या उद्ग्रहीत और संग्रहीत किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कर को इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत समझा जायेगा और विधिमान्यतः उद्ग्रहीत और संग्रहीत समझा जायेगा, और तद्नुसार :–

(क) ऐसे कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए समस्त कृत्यों, की गई कार्यवाहियों या चीजों को सदैव से विधि के अनुसार किया गया समझा जायेगा, और

(ख) इस प्रकार उद्ग्रहीत और संग्रहीत कर की वापसी के लिये राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के, जो भी हो, विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही न तो चलाई जायेगा और न जारी रखी जायेगी ।

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3 व खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डा० सरजीत सिंह डंग–

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मा० अध्यक्ष जी, 12 से अधिक हो गया, अब इसको क्यों ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा । माननीय डंग जी, आप बैठ जायं ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(घोर व्यवधान)

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

| × × × |

(घोर व्यवधान)

(मद संख्या–14 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के सदन में उपस्थित न रहने पर संकल्प प्रस्तुत न किया जा सका।)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधयेक, 1993 को जनता की राय जानने के लिये 6 माह तक परिचालित किया जाय ।

मान्यवर, यह प्रस्ताव रखने का एक विशेष कारण है, मैं समझता हूं, इसीलिये यह प्रस्ताव रखा है । इस बात से इस ओर और उस ओर के माननीय सदस्य सहमत हैं कि नकल हमारे समाज के लिये बहुत ही बड़ा अभिशाप है । इसका दुष्परिणाम यह होता है कि जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करता है और वह अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले छात्रों से पीछे रह जाता है और अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले छात्र आगे बढ़ जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि वह इस अध्यादेश को समाप्त कर देंगे । मान्यवर, मैं इस बात को अनुचित समझता हूं । प्रतिभावान छात्रों का क्या होता है, इस पर आप विचार करें । नकल कौन करता है । निरसन विधेयक लाकर किसानों का बहुत बड़ा अहित किया है । मान्यवर, नकल में सफल कौन होता है, एक तो सफल वही होता है जिसके पास बाहुबल है, वही नकल में सफल होता है और दूसरे थैलीपोश हैं, जो नकल में सफल होते हैं । वह अपने बच्चों को 2-2 ट्यूशन लगाते है, तो कौन बच्चे पास होंगे ।

नकल हमारे किसान का बेटा नहीं कर पाता है, कमजोर वर्ग का बेटा नहीं कर पाता है । वह 3-4 किलोमीटर पढ़ने के लिये जाता है और वह पढ़ कर लौटता है तो थका मांदा आता है और सो जाता है या घर में आकर अपने पिता को कटिया काटने में सहायता करता है और अगर कुछ समय मिलता है तो पढ़ लिख लेता है । अगर वह मेहनत करके प्रतिभा अर्जित करता है, तो उसकी प्रतिभा उन नकल करने वाले छात्रों के सामने दब जाती है । समाज के कमजोर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर ही यह

अध्यादेश जारी किया गया था । इसमें कहीं पर संशोधन की तो आवश्यकता हो सकती है । मुझे याद है कि यह आदेशित किया गया था कि किसी छात्र को हथकड़ी न लगायी जाये और अगर दण्ड कठोर है तो उसे नरम करना चाहिये, लेकिन नकल करने वाले छात्र को दण्डित किया जायेगा । लेकिन आपने इसका निरसन कर दिया है, यह आपने बड़ा भारी पाप किया है । कमजोर वर्ग और मुख्य रूप से किसान आपको माफ नहीं करेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर जनमत जानने के लिये भेज दिया जाय । शिक्षा मंत्री जी का अभी बयान आया था कि नकल रोकने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है अगर कहीं पर नकल करने की शिकायत पायी जायेगी तो शिक्षकों को हथकड़ियां लगायी जायेंगी । क्या यही उसका उपचार है ।

मान्यवर, इससे समाज का भला नहीं होने वाला है । यह बहुत बड़ा मामला है, कि इसको निरसित कर दिया गया है । अध्यादेश जारी किया है । जब सदन चल रहा हो, तो अध्यादेश जारी करना संसदीय परम्पराओं का अपमान है । उस समय माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने आलोचना की थी । सदन को आहूत किया जा चुका है और अध्यादेश जारी कर दिया । हमने संसदीय परम्पराओं का मान किया, लेकिन आपने संसदीय परम्पराओं का अपमान किया है कि इसे आपने निरसित कर दिया, जो आपने अपराध किया है, उसे जनता माफ नहीं करेगी । मैंने प्रस्ताव किया है कि इस पर जनता की राय ले ली जाये, इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम आसरे वर्मा जी ने अपना संशोधन प्रस्ताव रखा है, कृपया वह अपने संशोधन को रखें ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें । (समय 1 बजे) मान्यवर, जो नकल संशोधन विधेयक लाया गया है,, लाया जा रहा है । इस पर पुलिस का हस्तक्षेप तुरन्त रोक दिया जाय लेकिन नकल की प्रणाली पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ताकि जो लोग पढ़कर आना चाहते हैं उनका भविष्य सुधरे । मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पुलिस का हस्तक्षेप हटा दिया जाय इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे निर्णय लिया जाय ।

* श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि नकल अध्यादेश जब से जारी किया गया है उस समय से नकल के नाम पर तमाम विद्यार्थियों को पक्षपात करके, दुश्मनी निभाकर, निर्दोष लोगों को पुलिस के हस्तक्षेप के द्वारा उनको कटघरे में लाया गया । तमाम हमारी बहनों को कटघरे में, अदालत में लाया गया । मान्यवर, उसका उदाहरण है कि हमारे भोगनीपुर थाने में एक पुलिस अधिकारी ने 2 छात्राओं को नकल के नाम पर थाने में रोका और हम लोगों ने वहां अनुरोध किया कि उन छात्राओं को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जमानत पर छोड़ दिया जाय परन्तु उस थानेदार ने हमारे अनुरोध को नहीं सुना। उन छात्राओं को सारी रात थाने में रोक रखा गया और सुबह उनको छोड़ा गया। तो मान्यवर, मेरा यह कहना है कि नकल पर अंकुश तो लगना चाहिये लेकिन नकल के नाम पर जो हर विद्यालय में पक्षपात ढंग से दुश्मनी निभाई गयी, पुलिस का हस्तक्षेप बना रहा, पुलिस ने निर्दोष छात्रों की बेइज्जती की तो इसमें पुलिस पर अंकुश लगे और पुलिस का हस्तक्षेप हटाया जाये और कोई ऐसा प्राविधान किया जाय और इसे प्रवर समिति के द्वारा विचार किया जाय कि कैसे नकल को रोकें, नकल नहीं होनी चाहिये इस पर हम सहमत हैं।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, विधेयक निरसन के लिये यह जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें नकल लागू करने के पूर्व की स्थिति और लागू करने के पश्चात् की स्थिति पर ध्यान दिया जाय तो पूर्व की स्थिति जो समाज में हो गयी थी कि विद्यार्थी नहीं पढ़ते थे और उसके मां बाप पढ़ते थे, विद्यार्थी नकल की छूट को लेकर बाहर गुण्डागर्दी करते थे और मां बाप नकल कराने केन्द्रों पर जाया करते थे और तमाम विद्यालयों से इनके लिये जो धनशाली लोग थे, पैसे वाले लोग थे, फर्स्ट डिवीजन, सेकेन्ड डिवीजन धन से खरीद लिया करते थे और चाकू के बल पर,. कट्टे के बल पर नकल कर लिया करते थे। लेकिन जो गरीब किसान का बेटा था, गांव में रहता था जहां शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है वहां उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ करता था लेकिन जब से यह लागू हुआ तब से उनको फायदा हुआ था। मान्यवर, जब कोई चीज लागू होती है तो उसके कुछ कुपरिणाम, परिणाम सामने आते हैं। (व्यवधान) उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने जोर देकर यह कहा था कि अगर हमारे परिवार का भी कोई व्यक्ति नकल कराता हुआ पकड़ा जायेगा तो उसे भी दण्ड दिया जायेगा। अब जो यह नकल अध्यादेश समाप्त कर दिया गया है इससे बच्चे समझते हैं कि हमें नकल करने की छूट हो गयी है और तमाम विद्यार्थियों की पढ़ाई इस समय बिल्कुल बन्द हो गयी है। अध्यापकों के प्रति जो नैतिक जिम्मेदारी डाली गयी है उससे अध्यापक पढ़ाने में और इम्तिहान में अपने को असुरक्षित महसूस कर रहें हैं। नकल अध्यादेश के लिये एक कमेटी बना कर, इसकी जो गड़बड़ियां हैं, उसको दूर करके, इसे 6 माह के अन्दर लागू किया जाय। मान्यवर, तत्काल जो भी इम्तिहान होने वाले हैं, उस पर, हमारी जो नकल विरोधी नीति थी, उस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, नकल एक बुराई है, इसे सभी मानेंगे। इस पर अंकुश लगाने के लिये पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अधिनियम बनाया गया लेकिन जब उस अधिनियम को लागू किया गया, उसके बाद जो उसके परिणाम देखने को मिले वह बड़े दर्दनाक थे। जिन्हें देखते हुए हर व्यक्ति को यह मानना पड़ा कि शिक्षा विभाग में इस बुराई का निदान पुलिस के हस्तक्षेप से या अदालत के हस्तक्षेप से नहीं हो सकता। इसलिये मान्यवर, अधिनियम को समाप्त करने की जहां तक बात है, उससे सहमत हूं। नकल की बुराई पर अंकुश लगे, इस के बारे में कौन-कौन से उपाय निकाले जायं इसके प्रयास सत्ता पक्षा की ओर से होने चाहिये। जो भी इस बुराई से प्रभावित छात्र रहे हों उनको पुलिस के कठघरे और अदालत के कटघरे से बचाया जाय। शिक्षाविदों की समिति बनायी जाय जिनसे राय ली जाय कि इस संबंध में कौन-कौन से उपाय किये जायें ताकि बुराई से छुटकारा मिल सके।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर, बोलने की अनुमति मांगने पर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी भी इससे सहमत होंगे कि संशोधन पर जिनके नाम छपे होते हैं वे ही बोलते हैं, उन लोगों को बुलाने की ही परम्परा है । फिर अन्त में कोई जानकारी चाहे तो कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, विधेयक के संबंध में कुछ और लोगों के भी विचार आने दीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 के संबंध में कृपयापूर्वक बोलने का अवसर दिया ।

(व्यवधान)

मान्यवर, सबसे पहले आज जो यह निरसन विधेयक लाया गया है इसके साथ मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

(शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया संक्षेप में बोलेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विधेयक को मात्र 45 मिनट में समाप्त करने की बात कही थी लेकिन उन्होंने शपथ लेने के मात्र 20 मिनट बाद ही इसे समाप्त कर दिया । मान्यवर, मैंने इस सदन में पहले भी सवाल उठाया था । 27 हजार छात्र छात्राओं को हथकड़ी लगाकर उन पर मुकदमा कायम किया गया इसकी वजह से तमाम छात्र-छात्राओं नें शर्म से आत्महत्या कर ली । यह उनके भविष्य को बनाने की बात किया करते थे, उनके जीवन को संवारने की बात किया करते थे लेकिन इन्होंने उन 27 हजार छात्र-छात्राओं पर मुकदमा चलाकर उनका भविष्य अंधकारमय कर दिया । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो जिलाधिकारियों को मुकदमा समाप्त करने के निर्देश दिये गये हैं, तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह कहूंगा कि उन मुकदमों को जिलाधिकारी समाप्त नहीं कर सकते हैं उनको शासन स्तर से खारिज कराना होगा । अतः इसकी कार्यवाही कृपया आप शासन स्तर से ही करायें।

(शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें । मैं माननीय बदन सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं ।

* श्री बदन सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल इतनी बढ़ गयी थी कि इससे इसकी पवित्रता नष्ट हो गयी थी और उसको कायम करने के लिये उत्तर प्रदेश बोर्ड ने एक नियम बनाया था कि सेशन मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जायें और नियुक्त भी किये गये । लेकिन वे भी इसको रोक नहीं पाये । मान्यवर, इससे जो मेधावी छात्र थे उन्हें मन मसोसकर रह जाना पड़ता था और जो पैसे के बल पर, शक्ति के बल पर नकल करते थे वह अच्छे नम्बरों से पास हो जाया जरते थे और इसका प्रभाव अध्यापकों पर भी पड़ा। अध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया । उन्होंने यह सोचा कि पढ़ाने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है । मान्यवर, नकल इतनी बढ़ गयी थी कि केन्द्रों पर जो कक्ष निरीक्षक नियुक्त किये जाते थे उनका जीवन भी असुरक्षित हो गया था क्योंकि छात्र हथियार लेकर जाते थे और वक्त पड़ने पर उनको डराते भी थे । अतएव इसको दृष्टिगत रखते हुए यह नकल विरोधी अध्यादेश को लाना पड़ा और इसने उसको रोका भी ।

(शोर/व्यवधान)

मान्यवर, इससे पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन मिलेगा । इसलिये जो विधेयक आया है उसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो कि एक माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे । इन्हीं शब्दों के साथ जो विधेयक सरकार ने रखा है मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो जनमत बनाने परिचालित कराने का प्रस्ताव रखा है, उस पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनका आभारी हूं । लोगों ने इसके खिलाफ और पक्ष में कहा है लेकिन सभी इस बात से सहमत थे कि नकल एक अभिशाप है और इसको समाप्त किया जाना चाहिए और यह बहुत जरूरी भी है । मान्यवर, आपने भी यह अनुभव किया होगा और लोगों ने भी यह कहना शुरू कर दिया था कि मैंने उस साल हाई स्कूल व इण्टर की परीक्षा पास की जब कल्याण सिंह की सरकार थी ... (व्यवधान)

मान्यवर, उस वर्ष का नाम लेकर आदमी गौरव के साथ कहता था कि मैंने उस साल इम्तहान पास किया है, जब कल्याण सिंह की सरकार थी और नकल की कोई व्यवस्था नहीं थी । मान्यवर, माननीय सदस्यों ने कहा कि मुकदमें चलवाये गये, छात्र पकड़वाये गये । मान्यवर, ममता इनके मन में भी हो सकती है, ममता हमारे मन में भी है, लेकिन जब ममता बच्चे को गलत रास्ते पर जाने के लिये मजबूर कर दे तो कभी-कभी पिता या मां कठोर कार्यवाही भी करते हैं और हमारा आपका हाथ भी उठ जाता है। हम छात्रों के भविष्य को सुधारना चाहते थे, हम यह भी मानते हैं कि नकल कानून कुछ कठोर अवश्य था, लेकिन उसको धीरे-धीरे संशोधित करने की आवश्यकता थी । अच्छा होता कि इसे पास करने से पूर्व प्रवर समिति को भेजने अथवा जनता की राय जानने के लिये परिचालित कर लिया जाय । केवल एक क्षणिक सस्ती लोकप्रियता (चीप पापुलैरिटी) प्राप्त करने के लिये अगर इस तरह का कदम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उठाया जायेगा, तो वह अच्छा नहीं होगा और इस तरह आप छात्रों के साथ घोर अपराध और अन्याय करेंगे । इसलिये मान्यवर, मैं पुनः अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और निवेदन करता हूं कि इसे प्रेवर समिति को भेजने अथवा जनता की राय जानने के लिये परिचालित कर लिया जाय, उसके बाद ही कोई कारगर कदम उठाया जाय ।

सदन में मद से संबंधित मंत्री के उपस्थित रहने पर भी संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने पर उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी का नाम पुकारे जानें पर तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री सदन में उपस्थित हैं, वह अपने श्रीमुख से ही इसका जवाब दें तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी इसका जवाब दे सकता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, वह स्वयं जवाब दें, आपने उनका नाम लिया है ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों की ओर से शोर/व्यवधान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, नेता के बोलने के बाद भी यह लोग बोल रहे हैं, कहते हैं, हमारा दल बड़ा अनुशासित है।

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे, जिससे घोर व्यवधान होता रहा)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय गुप्ता जी, अगर इस तरह से व्यवधान डाला जाय तो हम लोग किस तरह बोल पायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप बहुत अर्से से इस सदन में आते रहे हैं और संसदीय परम्पराओं के आप अच्छे ज्ञाता भी हैं, मैं समझता हूं कि आपके दल के लोग यह कहते हैं कि शिक्षा मंत्री बोलें तो क्या कहीं ऐसा भी है कि केवल शिक्षा मंत्री उत्तर दे

सकते हैं। क्या सामूहिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत कोई मंत्री उत्तर दे सकता है अथवा नहीं दे सकता। आप अपने दल को व्यवस्थित कीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने कृपा-पूर्वक एक प्रश्न मुझसे किया, मैं बहुत आदर के साथ, जितनी विनम्रता से आपने कहा उससे हजार गुना विनम्रता से कहना चाहूंगा, पूर्व दृष्टांत भी हैं और आप भी कदाचित इस बात को जानते होंगे और इस आदरणीय सदन के जो पुराने सदस्य हैं, वह इस बात को जानते होंगे। मान्यवर, संयुक्त उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह नहीं है कि जिस मंत्री का मद हो उसके सदन में उपस्थित रहते कोई दूसरा उपस्थित करे, दूसरा मंत्री इण्टरवीन कर सकता है, माननीय मंत्री जी विषय रखते और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इण्टरवीन करते लेकिन उत्तर उन्हीं को देना है। मान्यवर, यह परिपाटी रही है, लेकिन व्यवस्था जो भी देना चाहें, वह दें। लेकिन मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं। अगर मा० मंत्री विद्यमान हैं तो उत्तर उन्हीं को देना चाहिये। परम्परा यही रही है, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी,

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय गुप्त जी योग्य होते हुए भी गुमराह करने की कोशिश कभी-कभी करते हैं। आप भी संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं और मैं भी इसके पहले रह चुका हूं। अक्सर देखा जाता है कि मुख्य मंत्री के पास प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी होती है, वह सदन में बैठे रहते हैं, उनके विधेयकों और दूसरी मदें, दूसरे मंत्री उपस्थित करते रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री करते रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जब आप थे तो आप भी पेश करते रहे। इस तरह का औचित्य का प्रश्न शायद ही विधान सभा में कभी आया हो, लेकिन हम समझते हैं कि कोई तर्क है ही नहीं, तर्क के धरातल पर ये शून्य हैं। अनावश्यक सदन का समय बरबाद कर रहे हैं। हमें कभी गुप्त जी से ऐसी आशा नहीं थी कि वह ऐसे सवाल उठायेंगे।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 (क्रमागत)

(व्यवधान/शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आरम्भ कीजिये।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं गुप्त जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, गुप्त जी ने कहा कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये और जनता की राय ले ली जाये। माननीय गुप्त जी मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जनता की राय आ गयी है इसीलिये हम इधर बैठे हैं और आप उधर बैठे हुए हैं।

(व्यवधान/शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह कौन सा तर्क है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज माननीय गुप्त जी विपक्ष का निर्वहन कर रहे हैं, हम लोग जब विपक्ष में थे तब भी ये लोग इस तरह से शोर मचाते थे और बोलने नहीं देते थे, न सुनते थे और आज भी नहीं सुन रहे हैं, अच्छी बात भी सुनने की कोशिश नहीं करते । मान्यवर, यह नकल विधेयक था, उसके निरसन के लिये विधेयक क्यों लाना पड़ा इसके बारे में बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा क्योंकि अभी तमाम विधायी कार्य बाकी हैं । हम समझते हैं कि दुनिया के किसी देश में इस तरह का कानून नहीं होगा कि 14 साल के लड़के-लड़कियों को हथकड़ी लगाकर जेल भेजा जाय । नकल करने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया जाये । नकल के पक्षधर न हम हो सकते हैं और न कोई समाज का समझदार आदमी हो सकता है मैं कहना चाहता हूं कि जो उस समय हुआ, सदन चल रहा था गाजीपुर से सूचना आयी कि एक लड़की जिसको नकल के आरोप में जेल भेजा गया, उसको हार्ट अटैक हो गया.....

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा शेम-शेम की आवाजें)

(व्यवधान)

अभिभावाकों को यह चिन्ता हो रही थी कि ऐसी लड़कियों से कौन नौजवान शादी करेगा जो जेल की सजा भोग चुकी है । श्रीमन्, हृदयहीन सरकार ही ऐसे काले कानून को थोप सकती है परन्तु संवेदनशील सरकार ऐसे कानून को जनता के ऊपर नहीं थोप सकती । जैसा कि माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद हम 45 मिनट के अन्दर इस काले कानून को खत्म कर देंगे । सत्ता में आने के बाद 20 मिनट के अन्दर ही इस काले कानून को खत्म कर दिया गया । 14 साल के लड़के और लड़कियों को जेल में खूंखार अपराधियों के साथ बंद रखा गया, 24 घंटे तक उन्हें हवालात में रखा गया और आज भी 25 हजार छात्रों के खिलाफ मुकदमे पेंडिंग हैं । 4 साल तक उन्हें कचेहरियों के चक्कर लगाने पड़ते । आप हमें बतायें कि दुनिया के किसी भी देश में इस तरह का कोई कानून नहीं है कि 14 साल के बच्चों को केवल नकल के कारण हवालात मे बंद किया जाय । ऐसे काले कानून को केवल फासिस्टवादी सरकार ही बना सकती है । इसलिये इस कानून को खत्म किया गया। न हम नकल करके आये हैं और श्री गुप्ता जी नकल करके आये हैं ।

पहले भी शिक्षा होती थी । हम भी नकल के पक्षधर नहीं हैं । हमारी विधायिका के वरिष्ठ सदस्य श्री हरिकृष्ण अवस्थी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है । जिसमें छात्र प्रतिनिधि भी होंगे, शिक्षक होंगे व अन्य मनीषि भी होगे, विद्वान होंगे, जो नकल रोकने के संबंध में अपनी राय देंगे । जो उनके विचार आयेंगे, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी । हम भी नहीं चाहते हैं कि नकल हो । होता यह था कि जो बड़े लोग हैं, उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनका परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहता है, काल्विन ताल्लुकेदार का 100 प्रतिशत रिजल्ट रहता है, सिटी मान्टेसरी स्कूल का 100 प्रतिशत रिजल्ट रहता है परन्तु जो गांव के स्कूल हैं, जहां पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनका परीक्षा परिणाम

4-5 प्रतिशत रहता है । गरीब लोगों के बच्चों को हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट का सार्टिफिकेट प्राप्त न हो सके, यह बड़े लोगों की साजिश थी । मैं यह तर्क इसलिये नहीं दे रहा हूं कि हम नकल के पक्षधर हैं। हम भी चाहते हैं कि नकल रुके । मगर हम नहीं चाहते कि 14 साल की लड़कियां जेलों में जायें । हमारे जिले से पहली बार चुनकर आयी श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा जी इस पर पहली बार बोलीं । पिछली सरकार में उनको लोगों ने घेरा होगा । महिलायें तो संवेदनशील होती हैं, उनका हृदय कोमल होता है, वह इससे ज्यादा दुखी थीं । इसलिये इस प्रकार के काले कानून को खत्म करने का वायदा श्री मुलायम सिंह जी ने किया था, उस वायदे को उन्होंने पूरा किया है । माननीय श्री गुप्ता जी ने कहा कि इसमें जनता की राय ले ली जाय । जनता की राय तो आ गयी है, जिसके कारण हम इधर बैठे हैं, और आप उधर बैठे हैं । श्री पाल जी ने मुकदमें वापस लेने की बात कही, मैं बताना चाहता हूं कि मुकदमें वापस लेने के आदेश दे दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

श्री गुप्ता जी आप अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल जी आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

जी हां, मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि गुप्ता जी ने अपना संशोधन वापस नहीं लिया है, इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

"प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 को जनता की राय जानने के लिये 6 माह तक परिचालित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–3 व खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992 के निरसन के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) अधिनियम, 1993 कहलायेगा ।

(2) यह 6 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1992 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 1993

निरसन

3–उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) अध्यादेश, 1993 एतद्द्वारा निरसित किया जता है ।

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाय,

(कोई विचार न आने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–6 व खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम –उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 कहा जायगा ।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

परिभाषा

2–इस अधिनियम में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में रिक्तियों का आरक्षण

3–(1) राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के पक्ष में रिक्तियों का निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :—

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में—अट्ठारह प्रतिशत,

(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में—दो प्रतिशत :

परन्तु यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों को आरक्षण लागू था तो ऐसा आरक्षण 16 नवम्बर, 1992 से पांच साल की कालावधि तक लागू रहेगा ।

(2) यदि अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी रिक्तियों को अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये भर्ती का वर्ष इकाई के रूप में लिया जायेगा न कि यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या :

परन्तु किसी भी समय आरक्षण, यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या से उपधारा (1) में नियत प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण : उपधारा (6) में उल्लिखित किसी व्यक्ति की गिनती इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिये नहीं की जायेगी ।

(4) यदि भर्ती के किसी वर्ष, में उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति बिना भरे रह जाती है, तो, अगले चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से विशेष भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रयास किया जायेगा ।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट रिक्ति के उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से बिना भरे रह जाने की दशा में उसे भर्ती के अगले वर्ष में इस शर्त के अधीन अग्रनीत किया जा सकेगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1989 के अधीन नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण को सम्मिलित करते हुए रिक्तियों का कुल आरक्षण भर्ती के उस वर्ष में कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(6) यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के लिये यथा निर्धारित समान मानकों पर चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा ।

कठिनाइयों को दूर करना

4--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

अपवाद

5-इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो।

निरसन और अपवाद

6-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 1993 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1993

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 6 तथा खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993 पारित किया जाय।

श्री जगदम्बिका पाल-

इस पर एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

कोई संशोधन नहीं आये हैं। चलने दीजिये।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई विचार रखेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आगे लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक मिनट कुछ कहना चाहूंगा । मान्यवर, आरक्षण के बारे में जो विधेयक प्रस्तुत किये जा रहे हैं उसमें किसी विवाद की गुंजाइश नहीं है क्योंकि मेरी पार्टी की नीति है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जो व्यवस्था रही है वह पूरी लागू रहनी चाहिए ।

मान्यवर, जहां तक विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण विधेयक जो आया है इसमें एक बात की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि जो हमने पढ़ा है उसमें अब तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और विकलांगों तथा एक्स सर्विसमैन के लिये जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको कम कर दिया गया है । मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आरक्षण इसलिये दिया गया है कि उन्होंने अनेक कष्ट उठाकर अपना जीवन बलिदान किया है और कालकवलित हो गये हैं इसलिये अब उनके आश्रितों के लिये क्षतिपूर्ति हेतु व्यवस्था किया है । लेकिन उनके आरक्षण में जो प्रतिशत था उसमें कमी करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिये इसका मैं विरोध करता हूं । अब आप कहेंगे कि कुछ जजमेंट हैं जिसके कारण 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं कर सकते हैं ।

मान्यवर, 27 प्रतिशत मंडल कमीशन की सिफारिशों के हम भी पक्षधर हैं । लेकिन अच्छा होता अगर सरकार की ओर से इस बात का आश्वासन दिया जाता कि हम मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करेंगे और अनुसूचित जातियों, जन जातियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, विकलांगों और एक्स-सर्विस मैन के लिये आरक्षण की व्यवस्था जारी रखने के लिये आवश्यक होगा तो संविधान में

संशोधन का प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार से सिफारिश करेंगे । इसमें पूरा सदन सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करता कि आरक्षण बढ़ाया जाये और कानूनी अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए लेकिन इनके आरक्षण के प्रतिशत में कमी न की जाए ।

मान्यवर, चुनाव के समय मैंने श्री मुलायम सिंह का भाषण सुना था लेकिन सरकार बनाने के बाद 8 दिसम्बर को जो उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने थोड़ा स्वीकार किया और एलान किया था कि सरकार द्वारा जो जातियां मंडल कमीशन में कवर नहीं होती हैं, जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों में कवर नहीं होती हैं उसमें से गरीब लोगों को गरीबी के आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था करेंगे लेकिन 50 प्रतिशत का बहाना लेकर यहां छोड़ दिया । इसलिये अच्छा होता कि यहां एलान करते कि जो जातियां इसमें कवर नहीं होतीं उन्हें गरीबी के आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु सदन में प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार से सिफारिश करें चूंकि पिछड़ी जातियों में जो आरक्षण किया है उसमें सम्पन्न लोगों की रेखा बनायी है । श्री उमेश चन्द्र की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी थी जिसकी रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं किया है । किन्तु संशोधन कर दिया गया । उसके बाद इनकम की सीमा सरकारी कर्मचारियों के लिये, डाक्टर्स और इंजीनियर्स के लिये आपने 10 लाख रुपये वार्षिक आय का प्रतिबन्ध लगा दिया । शहर में सम्पत्ति रखने वालों पर प्रतिबन्ध लगा दिया लेकिन अच्छा हुआ किसानों को छोड़ दिया जिसके लिये मैं भी सहमत हूं । लेकिन जो क्रीमी लेअर बनायी है उसमें कितने लोग आयेंगे । मैं समझता हूं कि प्रदेश में 100 लोग भी नहीं आयेंगे । इसलिये हमारी पार्टी की नीति है कि आरक्षण नीचे से ऊपर होना चाहिए लेकिन आपने अप्रत्यक्ष रूप से सम्पन्न लोगों के लिये व्यवस्था कर दिया है ।

मान्यवर, काल्विन ताल्लुकेदार कोलेज में वही बच्चा पढ़ने जायेगा जो सम्पन्न होगा, इसलिये गांव का बच्चा कम्पटीशन में कैसे आ पायेगा । तो यह आरक्षण के कम्पटीशन में कैसे आ पायेगा । इसलिये इस बात पर आपको विचार करना चाहिए अपनी नीति घोषित करनी चाहिए । आपने जो सीमा रेखा निर्धारित की है वह ठीक नहीं है, उसमे प्रकारान्तर से अभिजात्य वर्ग को सुविधा प्रदान करने की बात है । इसलिये अग्रिणी जातियों के भी 10 परसेंट गरीबों को जो आरक्षण देने की बात है, वह आवश्यक है और उसके लिये यह 50 प्रतिशत की सीमा रेखा बढ़ाई जाये । इसके लिये संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, वह आप करें और यों इसको हम सर्वसम्मत से यहां पास करने के समर्थक हैं । इसमें विधिक बाधाओं को दूर करके दूसरे वर्गों के भी गरीब बच्चों को आरक्षण की सुविधा दी जाये । मैं सरकार को राम मनोहर लोहिया जी के विचारों की याद दिलाना चाहता हूं जिसके वह बहुत बड़े समर्थक और पक्षधर हैं, उन्होंने अनेक स्थानों पर कहा था कि गरीब ठाकुर, गरीब ब्राह्मण, गरीब लाला और गरीब बनिया भी हैं, जैसे पिछड़ी जातियों के लोग गरीब हैं । यह गरीबी ही सामाजिक विषमता का बहुत बड़ा कारण है । सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों.....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह आगे आ रहा है, अभी नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह अभी मैं कहे दे रहा हूं, जिससे आगे बोलना न पड़े.....(व्यवधान) लेकिन उन जातियों को वह सम्मान प्राप्त नहीं है । इसलिये मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं दोनों विधेयकों को एक में जोड़कर, कि उनको भी आप इसमें लाने की कृपा करें और क्रीमी-लेयर की सीमा में परिवर्तन करने का कष्ट करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो बात कही है, आने वाले विषय की वह बात बोल गये हैं। वह विषय जो बाद में आयेगा, उस पर आपने अभी से धाराप्रवाह बोल दिया है। आरक्षण के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं, मुझे सिर्फ यह अनुरोध करना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या सैनिकों ने इस देश के लिये जो बलिदान किया है, उसको देखते हुये उनके आश्रितों को मिलने वाली सहूलियतों में किसी प्रकार की कमी न की जाये। आप उसे बरकरार रखते हुये पिछड़ी जातियों के 27 प्रतिशत के आरक्षण को पूरा कीजिये, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनके आरक्षण कोटा में कोई कमी न आए, यह हमारी चिन्ता का विषय है, उसमें यदि संविधान की कोई बाधा है, तो उसमें आप परिवर्तन करें और उसके लिये आपको जितने भी संख्याबल की आवश्यकता होगी वह हमारी तरफ से आपको प्राप्त होगा। क्रीमी-लेयर की बात अभी आई है, लेकिन इसमें मेरा प्रबल अनुरोध है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के आरक्षण में कोई भी कमी न आने दी जाये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह पहले 15 प्रतिशत था अब इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जा रहा है। और जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने शंका जाहिर की है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये इसकी क्या व्यवस्था है, मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसके बारे में हम चाहेंगे कि तिवारी जी से बात करने के बाद ही कोई अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप इसे स्थगित कर दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप तो चाहते हैं कि इसे स्थगित कर दिया जाय। पिछड़े वर्ग का वोट लेकर आप चुनाव जीत कर आते हैं और जब उनके लाभ के लिये कोई काम होता है तो उसमें बाधा डालते हैं। जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे उस समय पिछड़े वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण का अध्यादेश जारी किया गया था।

श्री प्रमोद तिवारी–

अभी यह विधेयक लाया ही नहीं गया है उस पर चर्चा न करायें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

अभी जो विधेयक लाया ही नहीं गया है उस पर मंत्री जी बोल रहे हैं। अभी हम तो बोले नहीं हैं। इस पर चर्चा न करायें। एक-एक करके लें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

तो मान्यवर, हम यह कह रहे थे कि गुप्ता जी अपनी विद्वता का लाभ उठाते हुए अपनी नीतियों को लागू करते हुए इसमें 10 प्रतिशत की बात कह रहे हैं इनसे पिछड़े वर्ग का लाभ नहीं देखा जाता। अपने

कार्यकाल मे इन्होंने हमारे अध्यादेश को लैप्स होने दिया और आज भी जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश हैं, मण्डल कमीशन में क्या आदेश हैं कि 50 फीसदी से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है यह ऐसी बात कह रहे हैं ताकि कोर्ट जाकर स्टे ले लिया जाय और जो लाभ मिलना है वह भी न मिल सके। हम सब बिधिक बाधाओं को दूर करते हुए आरक्षण लागू होने की बात कर रहे हैं । हम अपने पूर्वजों को जिन्होने आरक्षण के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, उनके विचार हमेशा पिछड़े वर्ग को उठाने के रहे, उनके विचारों को जब आज सार्थक स्वरूप मिल रहा है उस पर भी यह बाधा डाल रहे हैं । जो भारत सरकार ने रास्ता अपनाया है । सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं । 50 प्रतिशत आरक्षण के बारे में साफ-साफ मण्डल कमीशन में भी दिया गया है । आपने भी पढ़ा होगा । वैसे तो आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है । सरकारी नौकरियों में 25 प्रतिशत की सिफारिश कर रहे हैं । वह लागू हो जायेगा तो गुप्ता जी आप परेशान न हों बाकी का 75 प्रतिशत में यह खुद ही कब्जा कर लेंगे । इनको बैशाखी मिल जाने दाजिये । इसी जनादेश को लेकर हम आये हैं ।

कांग्रेस पार्टी ने अपने को सुधार लिया है, जनता दल इससे सहमत है । हम सब बचनवद्ध हैं । आपको छोड़कर पूरा सदन इससे सहमत है कि ज्यों का त्यों प्रस्ताव किया गया है उसी के अनुसार पारित कर दिया जाय । इसमें आप अड़ंगा डाल रहे हैं । मैं जानता हूं कि आपके पक्ष के लोग भी इससे सहमत होंगे । इस बात को हम उनके चेहरे से समझ सकते हैं । पिछड़े वर्ग का जो सदस्य चुनकर यहां बैठा है वह इससे असहमत नहीं है वह इसका विरोध नहीं कर सकता है । आप ऐसी बात कह रहे हैं जिससे यह कोर्ट चला जाय और स्टे मिल जाय । जो जनता की सैकड़ों वर्षों की इच्छा थी, जो सामाजिक न्याय से वंचित थे जिनको समाज में एक सम्मान की जिन्दगी नहीं मिल पा रही थी जिसे जीवन यापन के लिये संसाधन नहीं मिल पा रहे थे उनके लिये यह विधेयक लाया गया है । अतः संशोधन को निरस्त करते हुए ज्यों का त्यों इसे पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आरक्षण विधेयक पर माननीय सदस्यों की बात हमने सुनी ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतवूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 6, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993

शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 कहा जायेगा ।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में,—

(क) "पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1989 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(ख) "आश्रित" का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के,—

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और

(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहिता पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है ।

(ग) "भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौसेना या वायुसेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो—

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिये अपेक्षित हो ; ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गयी है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है ; या दुराचरण या अदक्षता के कारण

पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है,

और इसमें टैरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं--

(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिये पेंशन पाने वाले,

(दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और

(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले ।

(घ) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और--

(एक) जिसने वीरगति प्राप्त की हो; या

(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा हो ; या

(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिये निरुद्ध हुआ हो ; या

(चार) जिसने कम से कम दस बेंतों का दण्ड भोगा हो ; या

(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो ; या

(छः) जिसे फरार घोषित किया गया हो ; या

(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो ; या

(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो ; या

(नौ) जो इण्डिया इण्डेपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो ; या

(दस) जिसे गांधी-इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो ।

स्पष्टीकरण :-इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं समझा जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो ।

(ङ) "शारीरिक रूप से विकलांग" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है--

(एक) जो पूर्ण दृष्टिहीनता से ग्रस्त हो या जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के अन्तर से या उससे कम हो या

जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता चश्में के साथ ठीक आंख में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) से अधिक न हो; या

(दो) जिसे जीवन के सामान्य प्रयोजना के लिये सुनने का बोध न हो या जिसकी ठीक कान में सुनने की क्षमता की क्षति 90 डेसिबल से अधिक हो या जो दोनों कानों से पूर्ण रूप से न सुन सके; या

(तीन) जिसे शारीरिक दोष हो या अंग विकृति हो जिससे कार्य करने में हड्डियों, पेशियों और जोड़ों के सामान्य कार्य करने में बाधा पड़ती हो;

(च) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

शारीरिक रूप से विकलांग आदि के पक्ष में रिक्तियों का आरक्षण

3—(1) राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों का पांच प्रतिशत निम्नलिखित के पक्ष में आरक्षित होगा :—

(एक) शारीरिक रूप से विकलांग,

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, और

(तीन) भूतपूर्व सैनिक।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों का अलग-अलग कोटा वह होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा अवधारित करे।

(3) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे संबंधित हैं। उदाहरण के लिये यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार यदि वह खुली प्रतियोगिता श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित श्रेणी में रखा जायेगा।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये भर्ती का वर्ष इकाई के रूप में लिया जायेगा न कि यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या :

परन्तु किसी भी समय आरक्षण, यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या में अपनी-अपनी श्रेणियों के लिये अवधारित कोटे से अधिक नहीं होगी ।

(5) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों के बिना भरे रहने पर उन्हें भर्ती के अगले वर्ष में अग्रनीत नहीं किया जायेगा ।

कठिनाइयों को दूर करना

4–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं ।

अपवाद

5–इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो ।

निरसन और अपवाद

6–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग आदि के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 1993 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1993

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

खण्डशः विचार

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 6, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

श्री काशी सिंह ऐरी संशोधन का रूप प्रस्तुत करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है। मान्यवर, इससे असम्बद्ध होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। संशोधन का उद्देश्य केवल यह है कि कुछ कतिपय बातें जो कही गयी हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को आपने आज्ञा दी वह बोल रहे थे मैं उनको ध्यानपूर्वक सुन रहा था, मुझे दुख हुआ जब पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात आयी, उनका मानना है और हमारा भी मानना है कि गरीब व्यक्ति चाहे वह अन्य वर्गों के हों उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उनकी इस बात से मैं सहमत हूं। मान्यवर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने चुनाव के समय यह घोषणा की थी कि उत्तराखण्ड बनायेंगे लेकिन जब इनकी सरकार बन गई तो इन्होंने उत्तरांचल के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाए और अपनी बात से मुकर गये और यही आरक्षण के प्रश्न पर हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो माननीय गुप्ता जी उत्तरांचल का जिक्र जरूर करते। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन

करना चाहता हूं 1991 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री थ और आरक्षण के संबंध में कौशिक समिति का गठन हुआ था और उस समय पर्वतीय क्षेत्र के जो पिछड़े लोग हैं उनको 2 प्रतिशत आरक्षण दे दिया था । माननीय राजेन्द्र जी आप और आपकी पार्टी उत्तरांचल की पक्षधरता की बात करते हैं तो आपको मेरी बात सुनने का धैर्य रखना चाहिए । अब मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं आज जो सी० पी० एम० टी० की परीक्षा होती है उसमें पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को दो प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है । प्रदीप टंडन ने इस पर आपत्ति की और इस आरक्षण को खत्म करने के लिये माननीय उच्च न्यायालय में गये ।

माननीय उच्च न्यायालय ने पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि चूंकि पर्वतीय क्षेत्र शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है और यह एक दूर दराज का क्षेत्र है और वहां संचार के साधन भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम हैं इसलिये पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को आरक्षण वैध है । इस पर प्रदीप टंडन उच्चतम न्यायालय गये तो उच्चतम न्यायालय ने भी पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को आरक्षण दिये जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को बहाल किया और कहा कि चूंकि यह क्षेत्र आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है इसके अलावा वह संचार के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है । इसलिये यह आरक्षण वैध है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मैं अपनी बात पर बल देना चाहता हूं चूंकि यह क्षेत्र शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और संचार के साधन में पिछड़ा हुआ है इसलिये वहां के विद्यार्थी अन्य भागों के मुकाबले कम्पटीशन में नहीं आ सकते । इसको मद्देनजर रखते हुए इस समय जो आरक्षण दिया जाता है पर्वतीय क्षेत्र में उसे बहाल किया जाये । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही थी तो उस समय उत्तराखण्ड क्रान्तिदल ने उस फैसले का स्वागत किया था और पर्वतीय क्षेत्र के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की थी । वही मांग आज हमारे सामने है । मैंने तब भी कहा था कि 27 प्रतिशत आरक्षण उचित है लेकिन उसमें पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को भी शामिल किया जाये और आज भी यह सुझाव देना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को कि पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आरक्षण देने पर अवश्य विचार करें । मेरा संशोधन रखने का उद्देश्य यही था अन्यथा आरक्षण दिये जाने का मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं । लेकिन इतना अवश्य चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को भी आरक्षण दिये जाने के बारे में विचार करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमने सिर्फ कहा ही नहीं है हमने यह कार्य करके भी दिखा दिया है । भारत सरकार और हमारे प्रधान मंत्री मा० नरसिंह राव जी ने 27 प्रतिशत आरक्षण जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृत किया था, उसको लागू करने की पहल भारत सरकार ने की है । इसके लिये मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी को बधाई देना चाहता हूं । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 27 प्रतिशत आरक्षण से मैं पूरी तरह सहमत हूं ।

(समय 2 बजे)

लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस आरक्षण का लाभ गरीब तबके तक पहुंचे, जो सचमुच गरीब है उन तक पहुंचे और इसके लिये आवश्यक है कि जो क्रीमी लेयर है जो साधन सम्पन्न हैं और जो सुविधा का लाभ उठा चुके हैं उनको इसकी परिधि से अलग रखा जाय, अलग निकाला जाय ताकि इसका लाभ वाकई में गरीब को मिल सके । मैं तो सिर्फ दो जातियां मानता हूं । एक गरीब जो इधर बैठे हुए हैं और दूसरे अमीर जो उधर बैठे हुए हैं (मेजों की थपथपाहट) साधन सम्पन्न लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, जो सुविधा भोगी हैं 'सम्पन्न' है उनको इसका लाभ नहीं दिया जाना चाहिए । वह सिर्फ जाति के नाम पर लाभ न उठा सकें इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

एक सदस्य–

आप किसमें आते हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

हम गरीब हैं किसान की तरफ हैं । मान्यवर, पूंजीपतियों के चंदे पर चलने वाली यह पार्टी है । (भा० ज० पा० की ओर संकेत)

मान्यवर, एक चीज का आग्रह मैं मुख्य मंत्री जी से और करना चाहता हूं कि सवर्णों में भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए चाहे वे किसी जाति के हों और उनके लिये भी आरक्षण का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आना चाहिए । जो केन्द्र सरकार की मंशा है और जो आपने वायदा किया है 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायगा उसका मैं स्वागत करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण विधेयक पर मैं पूरी तरह से अपनी सहमति व्यक्त करता हूं । मान्यवर, सभी जानते हैं कि जनता दल और जनता दल के नेता माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की आवाज उठायी थी । आज भी मण्डल आयोग की सिफारिश के परिपेक्ष्य में एक उम्मीदवार को माला पहनाने की नीयति लेकर माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी दिल्ली छोड़े हुए

हैं । मैं चाहूंगा कि वह दिन जल्दी आये जब वह इसके परिप्रेक्ष्य में किसी नौजवान को माला पहनाने का काम करें । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया गया है तो उनको आयु में छूट देने का भी प्राविधान किया जाय, इस पर विचार करें । दूसरी बात यह है कि पिछड़े वर्ग के लिये जो पद आरक्षित हैं उनको दूसरे लोगों से न भरा जाय सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोगों से ही वह पद भरे जायं । इन दोनों बातों की व्यवस्था करने पर शासन विचार करे ।

* श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस विषय पर अपनी पार्टी की नीति स्पष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरे समक्ष बैठे हुए सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो ध्यान आकृष्ट किया तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की पक्षधर है । 1985 की राष्ट्रीय कार्य समिति में भारतीय जनता पार्टी ने मंडल आयोग की 27 फीसदी आरक्षण नीति का समर्थन किया था और इस बात पर बल दिया था कि 27 फीसदी आरक्षण लागू होना चाहिए । लेकिन इनमें और हममें अन्तर केवल इतना है कि हम ममता के आधार पर समता का महल खड़ा करना चाहते हैं । इसी के साथ मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि समाज में वैमनस्यता न बढ़े, पिछड़े वर्ग के लोगों को संरक्षण, आरक्षण मिले लेकिन इसके साथ-साथ जो उच्च वर्ग के गरीब बन्धु हैं, उनको भी आरक्षण मिले। इसमें किसी भी तरह से हमारे मन में खोट नहीं आनी चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री से इतना निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के बन्धुओं के लिये आरक्षण की बात कही है, उसी तरह से जो उच्च वर्ग के गरीब बन्धु हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाय । मान्यवर, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 27 प्रतिशत आरक्षण की पक्षधर है, केवल एक निवेदन आपके माध्यम से जो मैंने रख दिया है, वह यह है कि ममता के आधार पर समता का आधार होना चाहिए ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने जो संशोधन रखा है, उसके माध्यम से उन लाखों-करोड़ों लोगों को और खासकर पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिले, ऐसी मेरी भावना है । इसलिये मैं इस पर बल तो नहीं देता हूं, लेकिन चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान दें, ताकि उन सबको भी आरक्षण का लाभ मिल सके ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

(घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं इस विधेयक का सर्वसम्मति से पारण चाहता हूं, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से तो पारित कर दें, लेकिन क्या इसमें परिवर्तन के साथ केन्द्र सरकार से इसके बारे में निवेदन करेंगे ? आपने शंका प्रकट की, हमारा कोर्ट में जाने का कोई इरादा नहीं है उन गरीबों के लिये जो आरक्षण में नहीं आते हैं 10 प्रतिशत का आरक्षण उनके लिये आप करने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, माननीय काशी सिंह ऐरी जी और माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय राम आसरे वर्मा जी और माननीय गुप्ता जी और माननीय राम कुमार वर्मा जी, उधर के लोगों ने तो अक्षरशः समर्थन किया है। आपने इसमें थोड़ी सी गुंजाइश रखी और बाद में आपको स्पष्टीकरण देने के लिये खड़ा होना पड़ा। आपने स्पष्टीकरण शब्द कहा है दो प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र के लिये था, उसको लैप्स होने के लिये मजबूर किया गया । श्रीमन्, जो भावना तिवारी ने व्यक्त की है, हमारी सरकार का मत है, और हमने समाजवादी आन्दोलन से राजनीति शुरू की है । गरीब चाहे जिस जाति का हो, उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए । हमारी सरकार जो है वह गरीबों के लिये आरक्षण की पक्षधर है । वैधानिक कठिनाइयों को देखते हुए जो कुछ हम कर सकते हैं कर रहे हैं । भारत सरकार इस पर विचार कर रही है । हमारी नीति तो पिछली सरकार के समय ही स्पष्ट हो गयी थी । महिलाओं को आरक्षण देने के लिये हम अलग से पक्षधर हैं, लेकिन आज हमारे सामने वैधानिक कठिनाई है, उसको देखते हुए 50 प्रतिशत की सीमा के अन्दर ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिससे पिछड़े और गरीब वर्गों को समुचित लाभ मिल सके । मैं समझता हूं कि इस पर काफी विचार हो चुका है, कहीं पर कोई खास बात नहीं है, इसलिये मैं ऐरी जी से कहूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

ऐरी जी क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है, इसलिये मैं अपना प्रस्ताव वापस ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–7, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1989 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है –

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1993 कहा जायेगा ।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1989 में नई धारा 1–क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1989 में जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्––

परिभाषायें "1–क––इस अधिनियम में,––

(क) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।"

धारा 2 का प्रतिस्थापन

3–मूल अधिनियम की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्––

"2–(1) राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों पर पिछड़े वर्गों के सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के लिये आरक्षण पिछड़े वर्गों के पक्ष में रिक्तियों में सत्ताईस, प्रतिशत आरक्षण होगा :

पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण

परन्तु इस उपधारा की कोई बात अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों की किसी श्रेणी को लागू नहीं होगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भर्ती का वर्ष इकाई के रूप में लिया जायेगा न कि यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या :

परन्तु किसी समय आरक्षण यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या में, उपधारा (1) के अधीन नियत प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण : उपधारा (5) में उल्लिखित किसी व्यक्ति की गिनती इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए नहीं की जायेगी ।

(3) यदि भर्ती के किसी वर्ष में, उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति बिना भरे रह जाती है तो अगले चयन की प्रक्रिया

प्रारम्भ होने के पूर्व ऐसी रिक्ति को नागरिकों के पिछड़े वर्गों में से विशेष भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रयास किया जायेगा ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिक्ति के, उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के या किसी अन्य कारण से बिना भरे रह जाने की दशा में उसे भर्ती के अगले वर्ष में इस शर्त के अधीन अग्रनीत किया जा सकेगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण को सम्मिलित करते हुए रिक्तियों का कुल आरक्षण भर्ती के उस वर्ष में कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(5) यदि नागरिकों के पिछड़े वर्गों से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता सामान्य अभ्यर्थियों के लिए यथा निर्धारित समान मानकों पर चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा ।"

धारा 3 का प्रतिस्थापन

4–मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्––

"3–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

कठिनाइयों को दूर करना

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा ((पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा–23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं ।

अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति

3–क–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों को संशोधित कर सकती है और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों को तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना को यथाशक्य, शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की धारा उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वें किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

नई धारा 5 का बढ़ाया जाना

5-मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्---

"5-इस अधिनियम की धारा 1-क, 2, 3 और 3-क के उपबन्ध ऐसे मामलों में प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया 11 दिसम्बर 1993 के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के, जैसा कि वह उक्त दिनांक के पूर्व था, उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किये जायेंगे मानो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1993 अधिनियमित न हुआ हो।

अपवाद

नई अनुसूची-दो का बढ़ाया जाना

6-मूल अधिनियम की अनुसूची को अनुसूची-एक के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार संख्यांकित अनुसूची-एक के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्-

"अनुसूची-दो

(धारा 2 देखिये)

1-निम्नलिखित की पुत्र या पुत्री :-

(क) सीधी भर्ती किया गया या किसी राज्य सेवा से पदोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा या अन्य केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य ; या

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा या किसी अन्य राज्य सेवा का कोई सदस्य जो ऐसी सेवा में सीधी भर्ती से आया हो ; या

(ग) भारत सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय या ऐसे विभाग या मंत्रालय के अधीन शैक्षिक, शोध या किसी अन्य संस्था के समूह "क"/श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (क) में सम्मिलित नहीं है ; या

(घ) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्था के समूह "क"/श्रेणी–एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (ख) में सम्मिलित नहीं है ; या

(ङ) सशस्त्र सेना या अर्द्ध सैनिक बल का कोई अधिकारी जो कर्नल या समकक्ष पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो :

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्य या अधिकारी की वेतन से आय प्रतिमास दस हजार रुपये या अधिक हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक होऔर उसका या उसकी पत्नी का नगर क्षेत्र में अपना मकान हो।

2–चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, अभियन्ता, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेंट की वृत्ति में लगे या सम्पर्क और सूचना व्यवसायी, प्रबन्ध और अन्य परामर्शी, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी या शिक्षण संस्था या कोचिंग इन्स्टीट्यूट चलाने वाले या शेयर या स्टाक दलाल या मनोरंजन के व्यवसाय में लगे हुए किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री :

परन्तु उसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम न हों, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो।

3–किसी व्यवसायी, जिसकी अनवरत तीन वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

4–किस उद्योगपति, जिसकी चालू इकाइयों में विनियोजन का स्तर दस करोड़ रुपये से अधिक हो और ऐसी वाणिज्यिक उत्पादन में कम से कम पांच वर्षों से लगी हों और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

5–किसी व्यक्ति, जिसके पास उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन नियत सीमा के भीतर जोत हो, जिसकी कृषि से आय को छोड़कर वेतन, व्यवसाय या उद्योग आदि जैसे स्रोतों से किसी वित्तीय वर्ष में आय दस लाख रुपये हो और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

6–किसी व्यक्ति, जो उपरिलिखित श्रेणियों में सम्मिलित न हो, जिसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम

न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम दस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री ।

निरसन और अपवाद

7–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1993 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उ० प्र० अध्यादेश सं० 2 सन् 1993

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कुल कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–7, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम आसरे वर्मा–

अशोक कुमार सिंह बेबी जी राज्य मंत्री हैं उनको एक पत्र भेजा गया है जिसमें लिखा गया है कि "यू विल बी किल्ड बाई हनुमान कमाण्डो फोर्स इफ यू डू नांट रिजाइन फ्राम द पोस्ट आफ एम० एल० ए० जय श्री राम हनुमान कमाण्डो फोर्स अवध ।" वह इस माननीय सदन के सदस्य हैं और राज्य मंत्री के पद पर हैं और उनको यह धमकी दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

विधेयक पारित हो जाने दें ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

आप इसे मुझे भेज दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993 पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

हनुमान कमाण्डो फोर्स का कथित धमकी भरा प्राप्त पत्र मा० सदन के संज्ञान में लाने का प्रयास

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, बड़ा गम्भीर प्रकरण है आपने कहा था कि आप इजाजत दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इस परचे को अध्यक्ष पीठ पर भेज दीजिएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसे सुन लें । यह हनुमान कमान्डों फोर्स अवध का है उसकी ओर से यह चिट्ठी माननीय अशोक सिंह जो राज्य मंत्री हैं, उनके नाम से भेजी गयी है, उसमें यह कहा गया है–यू विल बी किल्ड बाई हनुमान कमान्डो फोर्स इफ यू डू नाट रिजाइन फ्राम दि पोस्ट आफ एम० एल० ए०। मान्यवर, अगर ये एम०एल०ए० की पोस्ट से इस्तीफा नहीं देंगे, तो मार दिये जायेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, आप इसे यहां भेज दें, मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूं पता नहीं आप किन नियमों के अन्तर्गत इसे फिर से उठा रहे हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री श्याम लाल रावत–

मान्यवर, एक बहुत ही गम्भीर मामला है । आप मेरी बात सुन लें । (एक पत्र दिखाते हुए)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ।

शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के लिए ऋण लेने की सीमा में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी संकल्प

माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदा नन्द अंचल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं–

चूंकि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन अधिकतम धनराशि जो राज्य विद्युत परिषद् किसी भी समय ऋण के रूप में ले सकती है दस करोड़ रुपये होगी जब तक कि राज्य सरकार राज्य विधान सभा के अनुमोदन से उच्च अधिकतम धनराशि निर्धारित न करे और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने उक्त उपबन्धों के अनुसार दिनांक 6 अप्रैल, 1989 को पारित विधान सभा के एक संकल्प द्वारा दिये गये उत्तर प्रदेश विधान सभा के अनुमोदन से, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के लिए ऋण लेने की अधिकतम सीमा 2500 करोड़ रुपये (दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये) निर्धारित कर दी थी ।

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने 31 मार्च, 1993 तक 2,349 करोड़ रुपये (दो हजार तीन सौ उनचास करोड़ रुपये मात्र) का ऋण लिया है और परिषद् को वर्ष 1996-97 तक स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने हेतु अग्रेतर ऋण की आवश्यकता होगी और इसी कारण से यह आवश्यक समझा गया है कि परिषद् द्वारा लिये जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा 2,500 करोड़ रुपये से बढ़ा दी जाय और उसको 4,000 करोड़ रुपये पर निर्धारित कर दी जाय ताकि परिषद् अपनी आयोजनागत योजनाओं जिनके लिये पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, के कार्यान्वयन हेतु अपने संशोधनों में वृद्धि कर सके।

अतएव विधान सभा इस संकल्प के माध्यम से अनुमोदन करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उक्त उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ऋण लेने की 2,500 करोड़ रुपये (दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये) की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकती है और उसे तात्कालिक प्रभाव से 4,000 करोड़ रुपये (चार हजार करोड़ रुपये मात्र) पर निर्धारित कर सकती है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि चूंकि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन अधिकतम धनराशि जो राज्य विद्युत परिषद् किसी भी ऋण के रूप में ले सकती है दस करोड़ रुपये होगी जब तक कि राज्य सरकार राज्य विधान सभा के अनुमोदन से उच्च अधिकतम धनराशि निर्धारित न करे और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने उक्त उपबन्धों के अनुसार दिनांक 6 अप्रैल, 1989 को पारित विधान सभा के एक संकल्प द्वारा दिये गये उत्तर प्रदेश विधान सभा के अनुमोदन से, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के लिए ऋण लेने की अधिकतम सीमा 2500 करोड़ रुपये (दो हजाार पांच सौ करोड़ रुपये) निर्धारित कर दी थी। और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने 31 मार्च, 1993 तक 2,349 करोड़ रुपये (दो हजार तीन सौ उनचास करोड़ रु० मात्र) का ऋण लिया है और परिषद् को वर्ष 1996-97 तक स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक निधि उपलब्ध कराने हेतु अग्रेतर ऋण की आवश्यकता होगी और इसी कारण से यह आवश्यक समझा गया है कि परिषद् द्वारा लिये जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा 2,500 करोड़ रुपये से बढ़ा दी जाय और उसको 4,000 करोड़ रुपये पर निर्धारित कर दी जाय ताकि परिषद् अपनी आयोजनागत योजनाओं जिनके लिये पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है , के कार्यान्वयन हेतु अपने संसाधनों से वृद्धि कर सके।

अतएव विधान सभा इस संकल्प के माध्यम से अनुमोदन करती है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ऋण लेने की 2,500 करोड़ रुपये (दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये) की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकती है और उसे तात्कालिक प्रभाव से 4,000 करोड़ रूपये (चार हजार करोड़ रुपये मात्र) पर निर्धारित कर सकती है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, इस पर विचार करने के लिए हम लोगों को अवसर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

अब इसमें कोई विचार की कोई बात नहीं है, अब आगे बढ़ने दें ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव† (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र कुमाार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपके नेता खड़े हुए हैं बोलने के लिये, कम से कम मेजें थपथपा कर स्वागत करना चाहिये । इतना ही अविश्वास है तो इन्हें हटा दें लेकिन जब खड़े हुए हैं तो में थपथपाकर स्वागत कीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कई बार जनादेश को लेकर चर्चा हुई, जब कोई बात उठती है तब इस बात का दावा किया जाता है कि जनादेश कितना किसके पास है । कुछ चुनाव का अपना विधि विधान है । लेकिन आप देखें उत्तर प्रदेश में चुनाव के जो परिणाम सामने आये हैं, उनमें जिस पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी हैं, मुख्य मंत्री के आसन पर विराजमान हैं, उनकी पार्टी को केवल मान्यवर, सोशलिस्ट पार्टी को 15 फीसदी वोट मिले । इतने ही वोट कांग्रेस पार्टी को । आपके गठबन्धन को जोड़ दिया जाय तो कुल मिलाकर 25 फीसदी वोट मिला । जबकि भारतीय जनता पार्टी को 35 फीसदी वोट मिले हैं । (भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से मेजों की थपथपाहट) पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले थे उसकी तुलना में इस बार करीब-करीब 40 लाख वोट ज्यादा प्राप्त हुए हैं । कांग्रेस पार्टी को 15 फीसदी वोट मिले, हमें उन पर दया आती है ।

जो संख्या और जनादेश की बात है तो एक बात याद आती है कि कुछ स्थिति ऐसी हुई कि एक जगह लम्बे आदमी की बात हो रही थी कि कौन सबसे लम्बा आदमी है तो एक 7 फिट का आदमी सामने आया उसने निर्णायकों का ध्यान आकृष्ट किया । इतने में 2 पांच-पांच फिट के आदमी आ गये और एक दूसरे कंधे पर खड़े होकर 9 फिट की स्थिति दर्शा दी । 7 फिट की तुलना में 9 फिट के उस रूप में बने आदमी को सबसे लम्बा मान लिया गया, यह तो निर्णायक की चूक हुई और क्या हुआ । केवल इस तरह से जनादेश की बात करना कहां तक उचित है । जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है । सबसे ज्यादा वोट हमें प्राप्त हुए हैं । (भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से मेजों की थपथपाहट) । सबसे ज्यादा संख्या हमारी है । यह विधि का विधान है कि आप उधर बैठे हैं, हमने भी आपको मुख्य मंत्री कह कर सम्बोधित किया है । आप भी बहुत परेशानी में हैं, बड़ी भारी जिम्मेदारी आप पर है ।

(इस समय 2 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

---

† दिनांक 17 दिसम्बर 1993 की कार्यवाही से ।

लेकिन यह सरकार कब तक चलेगी इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक साल से ज्यादा यह सरकार चलने वाली नहीं है । अब एक साल की बात मैंने क्यों कही । माननीय कांशी राम जी की तरफ के एक सदस्य बोले उन्होंने निर्देशित किया है कि अपने दल के सदस्यों को कि जाओ और जाकर दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करो एक साल के बाद चुनाव फिर आने वाला है । अब यह देखना है कि उस चुनाव के बाद आप यहां बैठेंगे, जीतकर आयेंगे या नहीं यह तो परिणाम ही बतायेगा । दूसरी ओर माननीय मुलायम सिंह जी ने यह कहा कि यह सरकार पांच साल तक चलेगी । यह कैसी विसंगति है, कांग्रेस पार्टी ने जब पहले समर्थन दिया तो वह अनकण्डीशनल सपोर्ट था ।

मान्यवर, एक समाचार-पत्र का मैं हवाला दे रहा हूं उसमें यह कहा गया कि वह उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार को इसलिए समर्थन दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वह सरकार में नहीं आने देना चाहती है तो यह नकारात्मक सोच है इनकी । अब सकारात्मक क्या सोच है । पार्टी के प्रवक्ता श्री गाडगिल से जब पूछा गया कि क्या आप मुलायम सिंह की नीतियों के समर्थक हैं तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि उनकी क्या नीतियां हैं ? उन्होंने इस बात से भी अनभिज्ञता जाहिर की कि मुलायम सिंह जी ने कोई घोषणा-पत्र जारी किया था तो यह कांग्रेस की नीतियां दिखायी दे रही हैं । उन्होंने समर्थन किया तो केवल एक क्षणिक बात को लेकर और उसके बाद जब माननीय प्रमोद तिवारी जी नेता चुन लिए गये तो उन्होंने सोचा कि चूंकि शासक दल है गलतियां होंगी, जनहित के कार्य नहीं होंगे, लोकतांत्रिक परम्पराओं का निर्वहन नहीं किया जायेगा, अतः उन्होंने यह कहा कि हमारा समर्थन गुण-दोष के आधार पर है । अब जनता दल को ले लीजिये । माननीय मुलायम सिंह जी ने एक बात अपने भाषण में बहुत अच्छी कही उन्होंने कहा "आज मैं दोहराना चाहता हूं कि कांशी राम जैसा नेता हिन्दुस्तान की धरती पर नहीं है ।" यह बात क्यों कही गयी ? हम भी सोचते हैं कि किसी धरती पर उन जैसा नेता इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने समर्थन दिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और यहां तक कि मुझे जानकारी है कि बंगाल में भी ज्योति बसु के साथ कुछ टकराहट है, तो किसी प्रदेश में कोई नीति स्पष्ट नहीं है । नीति है तो वह यह कि जातीय विग्रह पैदा करके कटुता का वातावरण पैदा करके शान्ति व्यवस्था के लिए खतरा पैदा किया जाय ।

(शोर/व्यवधान)

लेकिन मान्यवर, मैं तो मुलायम सिंह जी को एक अकेला अभूतपूर्व व्यक्ति मानता हूं । मुझे जानकारी मिली है कि माननीय मुलायम सिंह जी एटा जिले में गये थे और कासगंज में एक हाल का उद्घाटन किया जिसका नाम "मुलायम हाल" है । हम तो उनकी हजारों हजार साल जीने की कामना करते हैं मगर हमें क्या मालूम था कि वे अपने जीते जी स्मारक बना लेंगे । इस सरकार से हमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है । लेकिन मान्यवर, यह संसदीय परम्परा है कि जब सदन चल रहा होता है तो महत्वपूर्ण सूचनायें बाहर नहीं की जाती हैं । यदि सदन के बाहर की जाती हैं तो यह सदन की अवमानना है, आप इस पर विचार करें । अभी खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम वेतन की राशि बढ़ाई गयी, यह एक अच्छा कदम है, मैं इसकी आलोचना नहीं करता । लेकिन अच्छा होता कि इसकी घोषणा सदन में की गयी होती, इस बात से साफ होना है कि आदरणीय सदन, लोकतांत्रिक परम्पराओं, संसदीय लोकतंत्र का सम्मान इनके सामने नहीं है तो आगे आने वाले कदम अधिनायकवादी कैसे होंगे ?

मान्यवर, अभी कल्याण सिंह जी जेल में बन्द थे, हमारा अधिकार है कि हम जनमत जागरण करने के लिये मार्च करें, प्रदर्शन करें, सभायें करें । इसी के अन्तर्गत सोनभद्र जिले के लोगों ने प्रदर्शन करने का निश्चय किया और यह तय किया कि हम जूलूस बनाकर पिपरी तक जायेंगे । लेकिन मान्यवर, जिस दिन यह प्रदर्शन होना था, उस दिन और रात को लगभग ५०० कार्यकर्ताओं को उनके घरों से बन्दी बना लिया गया और जेल भेज दिया गया, यह क्या है ? स्थिति यह पैदा हो रही है कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकार, जनतांत्रिक अधिकार, हमारी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सबके ऊपर हमला किये जाने की नीति इस सरकार द्वारा अपनाई जा रही है, इसका यह एक उदाहरण है । एक मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि हमने मार्च विफल कर दिया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विफल करने के क्या यही तरीके हैं ?

श्री कल्याण सिंह जी को माननीय मजिस्ट्रेट ने ससम्मान कल बरी कर दिया और आपकी गलत नीतियों का पर्दाफाश कर दिया । राज्यपाल जी ने एक नोटीफिकेशन जारी किया कि सुरक्षा की दृष्टि से इनको यहां पर लाना सम्भव नहीं है, इसलिये नहीं लाया गया, यानि इस बात को स्वीकार किया कि सरकार ला एण्ड आर्डर की स्थिति मेन्टेन करने में पूरी तरह विफल है, राज्यपाल जी ने भी स्वतः इस बात को स्वीकार कर लिया । मान्यवर, वस्तुस्थिति यह है कि नेताओं को जेल में रखने के पीछे सरकार के पास कोई तर्कपूर्ण आधार ही नहीं है । आप विचार करें कि आज तक जितने भी कदम उठाये गये, चाहे केन्द्रीय सरकार की ओर से, चाहे राज्य सरकार की ओर से, हर कदम में सरकार को विफल होना पड़ा । मान्यवर, एक वाही कमीशन बैठा, उसने भी कहा कि हमारे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे हम इन पर कोई प्रतिबन्ध कायम रखें और नेताओं को माताटीला से छोड़ दिया गया । अब तो एक ही चारा है कि राज्य सरकार को चाहिये कि वह स्थिति सामान्य करे और इस बात को स्वीकार करे, उजागर करे कि जितने भी मुकदमें श्री कल्याण सिंह पर चलवाये जा रहे हैं, सब समाप्त किये जायें, उनके पीछे कोई आधार नहीं है । मान्यवर, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसके पीछे एक आधार है । हमारा विरोध हो सकता है, हम आपके खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे और हमारे परिवार को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाय, यह कहां तक उचित है ?

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, मामला उनके नजदीक के जिले का है, उनसे सम्बन्धित भी है । मुझे नहीं मालूम कि उन्हें जानकारी है अथवा नहीं ? माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं और हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, उनके परिवार के सारे असलहा निलम्बन आदेश के पहले ही जमा करा लिये । कोई ४६ का मामला था, सी०आई०डी० ने उस पर रिपोर्ट लगाकर उस मामले को समाप्त भी कर दिया था, लेकिन उनके सारे असलहों को जमा करा लिया गया और इस तरह से उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है । इसके पीछे कारण क्या है, कारण यह है कि कुछ लोगों का इनसे चुनावी विवाद हो गया, जिनके नाम को मैं यहां लाना उचित समझता, जो बराबर खुलेआम घूम रहे हैं । मान्यवर, वहां के एस०पी० बदले की भावना से काम कर रहे हैं । मान्यवर, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है कि निलम्बन आदेश बाद में होना है और उसके पहले ही सारे असलहा जमा करा लिये गये । मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इस पर विचार करें ।

मेरा आपका राजनैतिक विरोध अपनी जगह पर है लेकिन इस तरह से कार्य करना जनतंत्र के लिये, लोकतंत्र के लिये, आपसी सम्बन्धों के लिये किसी तरह उचित नहीं होगा । यह मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा । माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हम लोगों ने पढ़ा, उन्होंने अपने भाषण अभिभाषण सन्देश में कहा है । यह पढ़कर मुझे बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे चिन्ता भी हुई ।

उन्होंने कहा कि "अपराधों पर नियंत्रण करके नागरिकों एवं व्यापारियों के जान-माल की सुरक्षा का उचित प्रबन्ध किया जायेगा । जबरन धन वसूल करने वाले समाज विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाया जायेगा ।" इतिहास इस बात का साक्षी है कि व्यापारियों से धन उगाहने वाले लोग कौन हैं ? गम्भीरता के साथ बात सोची गयी है, आपके पार्टी के लोग हैं । तो सबसे पहले मान्यवर, इन्हें अपने दल को ठीक करना पड़ेगा लेकिन आप स्थिति को समझ लें । सरकार बनी, सरकार बनने के बाद ही हमारे प्रदेश में अपराध बढ़ने शुरू हो गये और अपराध बढ़ने का कारण क्या है ? जिस समय चुनाव सभायें हो रही थीं, राज्यपाल के अभिभाषण में मुझे दिखा नहीं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई जगह अपने चुनाव भाषणों में एलान किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम धारा 144 खत्म कर देंगे, गैंगेस्टर ऐक्ट खत्म कर देंगे, गुण्डा ऐक्ट खत्म कर देंगे । यह जानबूझकर कहा गया । असामाजिक तत्व जो समाज की सुरक्षा के लिये खतरा हैं, समाज की ला एण्ड आर्डर के लिये खतरा हैं, ऐसे लोगों को कहा कि चुनाव में सहयोग करो, इसीलिये आश्वासन दे दिया कि मेरी सरकार बनने के बाद ये सारे ऐक्ट हम समाप्त कर देंगे । सरकार बन गयी मैं समझता हूं कि जो अखबारों में समाचार प्रकाशित होते हैं, उनकी कतरनें जरूर माननीय मुख्य मंत्री जी के पास पहुंचती होंगी क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी गृह मंत्री भी हैं । "18 दिसम्बर के राष्ट्रीय सहारा" समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई और उस पेपर ने स्वयं लिखा है कि सरकार बनने के बाद इटावा जिले में अपराध भारी संख्या में बढ़ गये । एक-एक रात में कई-कई चोरियां हो रही हैं । माफिया सरगना जो कल तक बिलों में घुसे थे आज सड़कों पर घूम रहे हैं और आम लोगों के लिये खतरा पैदा हो गये हैं । मैंने अखबार का नाम लिया, तारीख बताई और शायद ये कतरनें माननीय मुख्य मंत्री जी के पास जरूर गयी होंगी और उन्होंने देखा होगा । मान्यवर, बाराबंकी जिले में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के जिले में एक हरिजन, अनुसूचित वर्ग के गांव के एक परिवार के यहां डकैती पड़ी और उस परिवार के लोगों को बड़ी निर्दयता के साथ मारा-पीटा गया, उनके साथ वह कुकर्म किये गये जिनकी चर्चा करना यहां सम्भव नहीं होगा । लेकिन उसके बाद भी उनकी सुरक्षा की दृष्टि से अभी तक सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गयी । लखनऊ राजधानी है ।

हजरतगंज के पास लाप्लास में हमारे परिचित हैं, उनके यहां पर दिन दहाड़े डकैती हो गयी । फैजाबाद में एक शासकीय अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गयी, लेकिन मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया, जब वकीलों ने हड़ताल की तब जाकर मुकदमा दर्ज किया । अनर्रा की एक जानकारी है, एक राज्य मंत्री जी की विजय की खुशी में वहां नौटंकी हो रही थी । वहां सारे लोग पुलिस कर्मी व अधिकारी भी मौजूद थे । पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष जो जाटव बिरादरी के हैं, उनका नाम है दयानन्द जाटव, पर हमला हो गया, सब सामान लूट लिया गया और कोई पुलिस कर्मी वहां से नहीं गया, जबकि जहां नौटंकी हो रही थी उसके थोड़ी दूर पर मकान था । जब वहां से लोग आये और माइक से एनाउंसमेंट किया कि ऐसा हादसा हो रहा है, तब जाकर पुलिस कर्मी वहां गये, पुलिस कर्मी भी निरंकुश

हो गये हैं। एक ओर पुलिस कर्मियों का आचरण उच्छृंखल हो गया है और असामाजिक तत्व सक्रिय हो गये हैं। हमने अपने शासन में भयमुक्त समाज की कल्पना की थी अपराध हमने कम कर दिये थे, दंगे हमने कम कर दिये थे परन्तु आज पुलिस के लोग भी मारे जा रहे हैं। ला एण्ड आर्डर की स्थिति गम्भीर बनी हुई है। सरकार के लिये यह चुनौती है। मैं आलोचना के भाव में बात नहीं कर रहा हूं। वैसे सरकार को अभी काम करते हुए बहुत कम समय हुआ है, परन्तु अगर इतने कम समय में अपराध इतना ज्यादा बढ़ जायं, तो इससे ज्यादा चिन्ता की और बात क्या हो सकती है ? 6 दिसम्बर के दिन को एक प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा था। एक ढांचा ढहाया गया था, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। शान्तिपूर्ण तरीके से कुछ संगठन के लोग उस काम को कर रहे थे परन्तु कुछ साम्प्रदायिक ताकतों ने और विघटनकारी ताकतों ने जानबूझकर अनेक स्थानों पर व रेलों में बम विस्फोट किए। कानपुर में प्रेमनगर स्टेशन पर विस्फोट हुआ, राजधानी एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ दो रेलवे कर्मचारी मर गये व दो बोगियां क्षतिग्रस्त हो गईं। कई ट्रेनों में बम विस्फोट हुए। उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई साफ कदम नहीं दिखाई दे रहे हैं। चुनाव के बाद जो वातावरण प्रदेश में बन रहा है, उसको रोकने की आवश्यकता है।

आज उत्तेजना किस तरह फैलाई जा रही है। इसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्नाव जिले की बात है। एक ग्राम प्रधान श्री राम अवतार गुप्त जी रहने वाले हैं, थाना हसनगंज ग्राम शाहपुर। एक छोटी सी बात पर कुछ लोग उनके घर गये और उन्हें मार-मार कर उनका कचूमर निकाल दिया गया परन्तु आज तक अपराधी नहीं पकड़े गये और न ही किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई। आज स्थिति की गम्भीरता को समझना जरूरी है।

मान्यवर, मैं अब कुछ बातें कृषि के बारे में कहना चाहता हूं। राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहा गया है कि ग्रामीण विकास एवं किसानों की समस्याओं के निराकरण को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। हम भी इसका समर्थन करते हैं। मैंने एक मंत्री जी का प्रेस इण्टरव्यू पढ़ा। मैं यह नहीं जानता कि उन्होंने जानबूझकर यह बात कही या फिर अज्ञानता में यह बात कही। यदि उन्होंने जानबूझकर यह बात कही है तो एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते उन्हें फाइनेन्स की स्थिति की जानकारी नहीं है। वह प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम बजट का 60 प्रतिशत ग्रामीण विकास पर खर्च करेंगे। यदि खर्च करने का उनका इरादा है तो हम स्वागत करेंगे। 60 प्रतिशत का क्या मतलब है ? शायद वह कहना चाहते होंगे कि योजना का 60 प्रतिशत। हमने भी 50 परसेंट गांवों पर खर्च किया था, शायद वह इसकी पुनरावृत्ति करना चाहते होंगे। बजट और प्लान में क्या फर्क है, इसे पहले आप इन्हें बतायें ? सस्ती लोकप्रियता के लिए यदि इस प्रकार की घोषणा करेंगे तो जनता इससे निराश ही होगी।

एक मंत्री जी जब अपनी कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और कहा कि पता लगाओ कि विभाग में कितनी नौकरियों के पद रिक्त हैं। सचिव ने बताया कि इतने पद रिक्त हैं, इसमें से इतने पद हमने लोक सेवा आयोग के लिए भेज दिये हैं और इतने अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के लिए भेज दिये हैं। अब वहां से चयन होना है। इस पर वह मंत्री कहने लगे कि मैं भी चयन सेवा आयोग में बैठूंगा। इस पर सचिव ने कहा कि आप चयन सेवा आयोग में नहीं बैठ सकते हैं। शायद अभी भी वह मंत्री अपनी जिद पर अड़े हैं। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी आप इस बात का पता

लगायें । माननीय मंत्री जी इस तरह की बातों को करके अपनी अज्ञानता व अल्पबुद्धि का परिचय न दें । मंत्री जाकर कहां चयन बोर्ड में बैठेंगे क्योंकि कल कोई गलती होगी अधिकारियों और कर्मचारियों से गलती होगी तो उनको रोकने वाला कौन होगा क्या वह खुद वहां बैठ कर, पार्टी बन कर इस तरह की घटनाओं को रोक सकेंगे । तो मंत्रियों को सिखाने और समझाने की जरूरत है ।

गन्ना की आपूर्ति के बारे में और किसानों के बारे में यहां अभी विस्तार से चर्चा हुई । मैं फिर बल देना चाहता हूं । आपने आदेश दे दिये कि अमुक-अमुक तारीख तक बकाये का पेमेंट हो जाय, हमने उसका स्वागत किया । लेकिन आज जो गन्ना सप्लाई हो रहा है उसके पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा । यह बात विचार करने की है कि एक तरफ वह पर्ची लेकर घूम रहा है उसका पेमेंट नहीं हो रहा है दूसरी तरफ जो उसके कर्जा बकाया है उसके लिये राजस्व विभाग के आदमी उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, हवालात में उसे बन्द करते हैं । जब हमारी सरकार थी हमने आदेश दिये थे कि इतने रुपयों तक बकाये के लिये कोई प्रताड़ना की कार्यवाही नहीं की जायेगी । इस सम्बन्ध में आप आदेश दें । आप किसानों की पार्टी होने का दावा करते हैं । किसान उधर भी हैं और इधर भी हैं । हम लोग अपने अपने क्षेत्र में गये हैं इस समय गेहूं का बीज और खाद सरकारी स्टोर में बिलकुल नहीं है जिससे बुआई प्रभावित हो गयी है । तो इस तरह से किसानों के नाम पर गठित सरकार के जमाने में सरकारी भंडारो में खाद और बीज नहीं है तो बुआई का क्या होगा ? नहरों में पानी नहीं है 70 फीसदी नलकूप बेकार पड़े हैं, गूलें टूटी हैं कारण कोई हो तकनीकी कारण हो लेकिन किसानों को परेशानी हो रही है ।

आपने आदेश जरूर दिया है उन आदेशों को पढ़ कर जनता प्रसन्न अवश्य होती है तो क्या आपने देखा कि आपके आदेशों का पालन हुआ कि नहीं ? 16 घंटे बिजली देने के आदेश आपने दे दिये ईमानदारी के साथ सोचें क्या गांवों में 6, 7 घंटे भी बिजली जा रही है, बिना कटे क्या बिजली जा रही है । बिजली आज बाधित रूप से जा रही है कभी दो घंटे गयी फिर एक घंटा गयी । तो इस तरह की स्थिति आज हमारे किसानों की है ।

मैं दो तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये किसानों को जोत बही देने का फैसला किया । इसके लिये हमने प्रथम चरण मे 6 करोड़ रुपयों का प्राविधान करके माननीय राजस्व मंत्री ने जोत बहियां छपाई जो हर जिले में भेजी गयीं और तय हुआ कि जिले की एक तहसील में अवश्य दी जायेंगी । इस बीच राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और फिर आपकी सरकार बनी । हम समझते कि पुस्तकें किसानों में बांट दी जायेंगी लेकिन किसानों में बहियां नहीं बांटी गयी अभी तक वह स्टोर में सड़ रही हैं । अगर आपको एलरजी है क्योंकि पुस्तक के मुखपृष्ठ पर कल्याण सिंह जी का चित्र छपा हुआ है तो आप कवर को बदल दें उस पर मुलायम सिंह जी का चित्र छाप दें । किसानों की लिये बहियों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये जरूर बांटी जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि इस बारे में भी शासन नीति स्पष्ट करेगा ।

मान्यवर, किसान कर्ज के लिये भटकता घूमता न रहे और अधिकारी कर्मचारी उसे परेशान न करें उसके लिये निर्णय लिया गया कि किसान सेवा केन्द्र प्रत्येक न्याय पंचायत में चले और इसके लिये इंस्ट्रक्शन थे कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को अधिकारी वहां रहेंगे और मंत्रियों को भी निर्देश थे कि चेक करें। वह केन्द्र बन्द पड़े हैं उसकी गम्भीरता नष्ट हो गयी है कोई मंत्री चेक करने के लिये नहीं जाता है

उसका परिणाम यह है कि केन्द्र निष्प्रभावी हो गये हैं तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमने पिछले बजट में भी इस बात पर बल दिया है और इस बार भी कहेंगे कि हमारे प्रदेश का विकास होना चाहिए उसके लिये हमें कृषि पर से जनता का भार हटाना होगा। जितना भार कम कर सकें उतनी किसानों में खुशहाली आयेगी और बेरोजगारी दूर होगी। इसके लिये दीन दयाल और अनेक योजनायें बी० जे० पी० सरकार ने विकसित किया है। लेकिन पिछला बजट जो केन्द्र सरकार ने पास किया था उसमें इसके लिये कोई धन का प्राविधान नहीं किया गया। लेकिन मैं बल देना चाहता हूं कि यदि किसानों की उन्नति करना है तो दीनदयाल योजना को प्रभावी ढंग से लागू करें।

मान्यवर, हमारी बी० जे० पी० पार्टी और प्रदेश की जनता की गायों के बारे में आर्थिक और धार्मिक सोच है। गाय धार्मिक आस्था का केन्द्र है। इसलिये बी० जे० पी० सरकार ने एक अधिनियम बनाया था कि गायों के बध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाये लेकिन वह दिल्ली चला गया राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिये और वहां भी धर्मनिरपेक्षता के कारण उस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाये। इसलिये मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और केन्द्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि जो अधिनियम बनाया गया था उस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर कराकर यहां वापस आये और उस पर यहां चर्चा की जाये।

मान्यवर, लोक सभा में डंकल प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। हमारी पार्टी की नीति है कि पश्चिमी अधिनायकवाद के चंगुल में देश और प्रदेश न फंसे चूंकि इससे देश के किसान बरबाद हो जायेंगे और खेती उजड़ जायेगी। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो यहां काम करेंगी वह किसानों का शोषण करेंगी। इसलिये अपेक्षा करूंगा कि इस सदन में प्रस्ताव आये और हम लोग मिलकर प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार को सिफारिश करें कि डंकल प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि डंकल प्रस्ताव किसानों के खिलाफ है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिये यह सरकार वचनबद्ध है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बी० जे० पी० की सरकार ने भी इस बारे में अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और इस विधान सभा द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेजा गया था। हम सभी जानते हैं कि अलग राज्य के सृजन की बात प्रदेश सरकार के परव्यू से बाहर है। इसलिये हमने प्रस्ताव भेज दिया था। अब आपकी सरकार आयी है, इसलिये हम दोनों मिलकर सर्वसम्मति से केन्द्र सरकार पर दबाव डाल सकते हैं कि उत्तरांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाये। लेकिन वहां जब तक यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है तब तक उत्तरांचल के लिये जो अलग व्यवस्था और प्राविधान है उनके अनुसार वहां जो क्षेत्रीय असमानता है उसको दूर करने के लिये जो कदम बी० जे० पी० सरकार ने उठाये थे उनको अब आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, हमने हिल कैडर बना दिया था लेकिन उसका अनुपालन सही रूप में नहीं हो रहा है, इसलिये मैं बल देना चाहता हूं कि जो हिल कैडर के नियम बनाये गये थे उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। समस्या वहां क्या है ? वह यह है कि वहां के अधिकारी प्लेन में रहेंगे तो वहां की जनता को अपने कामों के लिये अधिकारियों से मिलने यहां आना पड़ेगा। वहां पर एक गैरसैंड़ एक जगह है,

वहां पर अपर शिक्षा निदेशक के कार्यालय खोलने की बात थी । लेकिन वह कार्यालय अभी तक वहां नहीं गया । इसके लिये बहाना यह बनाया गया कि वहां पर अभी तक एस० टी० डी० लाइन नहीं है । तो इस तरह की समस्यायें पहाड़ी स्थानों पर होंगी ही, किन्तु उनका सामना करते हुए जनहित में ऐसे कदम उठाये जाना आवश्यक है । उस पर दबाव डालना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए ।

अल्मोड़ा और श्रीनगर में हमने अलग प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन कर दिया था, शिलान्यास हो गया था, लेकिन उसके बाद उनका पैसा नहीं दिया गया । परिणाम यह हुआ कि आज जहां का तहां काम रुका हुआ है । यदि हम मन से चाहते हैं कि उत्तराखण्ड अलग राज्य बने और जब तक यह नहीं बनता यह अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करे, तो उन भवनों के निर्माण आदि कार्य को पूरा कराया जाये और पैसे की समुचित व्यवस्था करायी जाये । एक बात और बहुत गम्भीर है, वहां की आबकारी नीति के बारे में । पहले वहां सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उनकी बिक्री होती थी, लेकिन अब उस नीति को बदल कर निजी हाथो में उसकी बिक्री कार्य को दे दिया गया है और उसमें ठेका प्रथा लागू हो गयी है । इसके चलते अनेक बुराइयां पैदा हो गयी हैं । उसको ठीक करने की आवश्यकता है । हमने हिल कैडर्स के निर्माण के लिये जितना पैसा दिया था, उसको भी रोका गया है । उसके लिये भी त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए । एक बात और है, जिसकी रोज चर्चा की जाती है, रोज अखबारों में चर्चा होती रहती है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी उस पर अपने अभिभाषण में कहा है — बिक्रीकर की समाप्ति के सन्दर्भ में कहा है कि राजस्व की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुए बिक्रीकर की वर्तमान व्यवस्था को खत्म करके वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी । इस पर इसके बारे में कोई स्पष्ट घोषणा सरकार की तरफ से नहीं आयी है । चुनाव के मध्य, मुख्य मंत्री ने व्यापारियों के वोट प्राप्त करने के लिये कहा था कि नवम्बर के बाद व्यापारी बिक्रीकर नहीं अदा करेंगे । लेकिन सरकार बनने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहना शुरू किया है कि भाई इसमें 6 महीने लगेंगे । लेकिन अब यह घोषणा हुई कि इस पर कोई स्पष्ट नीति हमारे सामने नहीं आयी है कि बिक्रीकर का क्या बनेगा ?

एक बात यह सुनने को मिली है कि शायद सरकार टर्नओवर टैक्स के रूप में इसको बदलना चाहती है । व्यापारियों से इस पर हमारी बातें हुई, यह टर्नओवर टैक्स क्या है । यह बिक्रीकर में अगर आज 3 लाख व्यापारी रजिस्टर्ड हैं, जो बिक्रीकर अधिकारियों के चंगुल से परेशान हैं, तो उससे उसमें 30 लाख व्यापारी फंस जायेंगे । यह जनता और व्यापारियों की परेशानी को और बढ़ाने वाला होगा । एक सूत्र से यह भी मालूम हुआ कि केन्द्र सरकार की ओर से वैल्यु एडेड टैक्स पड़ेगा । मैं समझता हूं कि यह भी बिक्रीकर का विकल्प नहीं हो सकता है । टर्नओवर का मतलब यह है कि एक जगह बिक्री हुई तो एक जगह टैक्स पड़ेगा, दूसरे जगह बिक्री होगी तो दूसरी जगह टैक्स पड़ेगा, फिर तीसरी जगह बिक्री हुई तो यह फिर तीसरे स्थान पर पड़ेगा । तो ऐसे ही हर बिक्री के साथ यह टैक्स पड़ता रहेगा । इस प्रकार एक तो यह टैक्स बहुसूत्री हो जायेगा जबकि पिछले कितने ही वर्षों से यह बिक्रीकर एक सूत्री ही है । इसलिये साफ-साफ यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि चरणबद्ध ढंग से हम बिक्रीकर को जरूर-जरूर समाप्त कर देंगे । इसमें लम्बा समय लगेगा, तो इसमें यह भी विचार करना चाहिए कि बिक्रीकर के जो लम्बित मामले हैं, उनका निस्तारण कैसे होगा ? चार-चार, पांच-पांच साल के लम्बित मामले इस समय चल रहे हैं। इसलिये सरकार को सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये नारा लगाने की आवश्यकता नहीं है, उनकी स्पष्ट और व्यवहारिक नीति हमारे सामने होनी चाहिए । हमारी सरकार ने मण्डी शुल्क एक

प्रतिशत रखने की बात कही थी, उस पर अभी तक घोषणा नहीं हुई है, जो होना आवश्यक है । आपने यह भी घोषित कर दिया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और उनकी धारा 317 निलम्बित हो जायेगी ।

(समय 3 बजे)

लेकिन आज मुझे जानकारी मिली है आपके आदेश गये हैं या नहीं गये हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, यह आप बतायें हम आपकी बात का विश्वास कर लेंगे । मेरी जानकारी है कि कई स्थानों पर अभी भी जिला अधिकारी द्वारा व्यापारियों को 3/7 में लिया जा रहा है ?

यहां पर मैं नाम का उल्लेख करना चाहूंगा वाराणसी जिले में रिठौरा कस्बे में फय्यास और कैलाश चन्द्र हैं, इनके खिलाफ 3/7 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गयी है । आपकी पार्टी के नेता हैं, उनसे वहां के लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं इसे तो बन्द कर लिया गया है, इसका निलम्बन कर दिया गया है । किसी ने, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावी लोगों ने हमारी सरकार को बदनाम करने के लिये ऐसा किया है । मान्यवर, यह तो कोई तर्क नहीं हुआ । जैसी कि घोषणा की जा चुकी है कि यह समाप्त किया जा चुका है इसके बावजूद इस प्रकार की कार्यवाही होती है तो दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जानी है ? जो-जो घोषणाएं की गयी हैं, वह अभी पूर्ण नहीं हुई हैं । व्यापारियों से वोट लेने के लिये जो बिक्रीकर समाप्ति की घोषणा की गयी थी वह अभी खत्म नहीं किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे समाप्त करने की भी इनकी नीयत नहीं है । इसी तरह से आपने घोषणा की कि बेरोजगारी की सीमा दूर की जायेगी । राज्यपाल जी ने कहा कि सरकार सजग है । सजग तो हम सब हैं लेकिन सजग होने से क्या होगा ?

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां खोल दी हैं । मान्यवर, नियुक्तियां बन्द ही कब थीं ? हम सरकार में आये थे तो पिछड़े और अनुसूचित वर्ग का कोटा पूरा करने का प्रयास किया । इधर एक साल नियुक्तियां नहीं हुई होंगी । आपने नियुक्तियां खोलने का आदेश दिया तो इसके लिये हम आपको बधाई देते हैं ।

मान्यवर, एक तरफ बेरोजगारी दूर करने की बात कही जाती है और दूसरी तरफ कारपोरेशन में कर्मचारियों की छंटनी के आदेश कर दिये । हमारी सरकार के समय में भी काफी कारपोरेशन घाटे में चल रहे थे । हमने उन्हें बन्द नहीं किया । चलचित्र निगम आपके कार्यकाल में खत्म हुआ था हमने एक-एक कर्मचारी को अपने कार्यकाल में नौकरी दी । जहां कहीं पद रिक्त होते थे चतुर्थ श्रेणी के हों या और किसी भी स्तर के उन्हें चलचित्र निगम के कर्मचारियों को दिया एक भी कर्मचारी को बेरोजगार नहीं होने दिया । आप एक तरफ नौकरी में नियुक्ति खोलने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ आदेश जारी होता है कारपोरेशन्स के खत्म होने का । यह आदेश रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज की ओर से जितनी भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके विक्रेता, चौकीदार, चपरासी करीब तीस हजार कर्मचारियों की छंटनी के आदेश कर दिये हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

कितने हजार ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त -

मान्यवर, तीस हजार । मान्यवर, स्टाफिंग पैटर्न होता तो उनकी क्षमता अनुसार उन्हें कार्य दिया जाता । उनके लिये वित्तीय प्रबन्ध करने की आवश्यकता थी । उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित करने की आवश्यकता थी । पता नहीं आपको मालूम है या नहीं यह कर्मचारी जगह-जगह धरने दे रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं । इस तरह से आप ही कह रहे है कि नौकरियों में नियुक्तियां खोल दी गई हैं और दूसरी तरफ आपका यह आदेश है । यह आदेश है कि 1991 के बाद दैनिक वेतन पर जो नियुक्तियां की गई हैं, उनको निकाल दिया जाय, इससे हड़कम्प मचा है ।

मान्यवर, अन्य घोषणायें रोज होती हैं नकल अध्यादेश के बारे में चर्चा हुई एक मंत्री जी का भाषण पढ़ा उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में तीन वर्षीय डिग्री कोर्स खत्म करके दो वर्षीय डिग्री कोर्स कर देंगे । यह कैसे हो पाएगा, क्या उत्तर प्रदेश में दो वर्षीय डिग्री कोर्स लागू करने के लिये यू० जी० सी० से बातचीत हुई है या नहीं हुई है जबकि अन्य जगहों पर तीन वर्षीय डिग्री कोर्स हो रहा है तो क्या ऐसे में आपके दो वर्षीय डिग्री कोर्स कर देने पर किसी और स्नातक विद्यालय में किसी को प्रवेश मिल पाएगा । आपको सारी बातों पर विचार करना चाहिये । दो वर्षीय और तीन वर्षीय विवाद है इसमें सम्यक नीति अपनाने की जरूरत है ऐसी नीति न अपनायें कि घोषणा कर दें और उसको पूरा न कर पायें । ऐसे में आपकी क्या स्थिति होगी इस पर भी सोच विचार कर लेना चाहिये । आपको जनता को गुमराह नहीं करना चाहिये आप सही नीतियां सामने लाएं । यदि मंत्रीगण कोई बात कहते हैं तो जनता उसे बड़े आदर के साथ देखती है । मंत्रि मंडल में जो तय होता है उसके आधार पर बोलना चाहिये । इस तरह से यदि कहा जायगा तो प्रदेश का बहुत अहित होगा ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि विकास की गति तीव्र करने हेतु संसाधन जुटाने के प्रयास किये जायेंगे । लेकिन कोई संसाधन जुटाने की बात नहीं आई । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मितव्ययता के लिये इन्होंने क्या किया ? मितव्ययता के मामले को लेकर हमारी सरकार ने एक सिंगिल मैन एपाइंट किया था उन्होंने रिपोर्ट बनाई क्या वह प्राप्त हो गई है ? क्या उस रिपोर्ट की सिफारिशों को देखा गया है या नहीं देखा गया है उसके अनुसार कार्य करें ।

आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसके अनुसार नये टैक्स बर्दाश्त करने की क्षमता जनता की नहीं है । बिक्रीकर के बारे में विकल्प की बात कही गई कोई कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें । बिक्रीकर के प्राविधानों को खत्म करें ऐसे टैक्स न लगायें जो जनता की क्षमता के बाहर हों उससे बहुत नुकसान होगा । प्रदेश की स्थिति कोई नये कर बर्दाश्त करने की नहीं है । सरकार बनने के बाद जो पूरे प्रदेश का वातावरण बन रहा है वह बहुत सम्यक् नहीं बन रहा है इसमें हमें कोई असहमति नहीं होगी । जाति-पांति के आधार पर कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है । भारत के निर्माण करने का अधिकार सबको समान भाव से है यदि हमारे समाज में किन्हीं कारणों से कोई असमानता पैदा हुई हैं तो उनको दूर करना चाहिये । लोगों को बराबरी के दर्जे पर लाने के लिये अवसर मिलें इसलिये हम आरक्षण का समर्थन करते हैं लेकिन अपने कार्यों से हम जाति विग्रह कर दें तो समाज में दुर्गम स्थिति पैदा हो

जाएगी । हमें अपने भारत के निर्माण में छोटा-बड़ा नहीं करना चाहिये । जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिये । अन्यथा जातीय संघर्ष पैदा हो जाएगा । यह समाज के लिये गलत होगा ।

आप सत्तारूढ़ दल के हैं हम सबका सहयोग आप लें । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । पटना में हनुमान जी के मंदिर में एक पुजारी जी को प्रतिष्ठित होना था । दर्जा दो पर जो पुजारी था उसको प्रतिष्ठित कर दिया गया क्योंकि वह अनुसूचित जाति का था । वहां के लोगों के विरुद्ध हमारी पार्टी के लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग श्री चिन्मयानन्द, श्री अवैद्यनाथ आदि लोग वहां गये और अनुसूचित जाति के पुजारी को वहां पर पुनः पुजारी बनाया । हम और हमारी पार्टी इसी बात की पक्षधर है कि चाहे किसी भी जाति में कोई पैदा हुआ हो उसको समानता का दर्जा देना होगा । अगर हमारे पूर्वजों की गलती की वजह से कोई घाव है तो उसे खुजलाया नहीं जाना चाहिये बल्कि उस पर फाहा लगाना चाहिये। ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिसमें समानता हो जाति और धर्म के नाम पर लोगों में समन्वय की भावना हो । मान्यवर, छद्म धर्म निरपेक्षता के आधार पर फतवे जारी हो जाते हैं जाति के आधार पर धर्म के आधार पर प्रमुख धार्मिक नेताओं का राजनीति के लिये इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको हमें रोकना होगा । हमारे देश में जो जन्मे वह एक संस्कृति, एक राष्ट्रीयता इस बात को समझ कर ऐसा समन्वय का वातावरण बनाना चाहिये । अगर इस बारे में हमने कोई प्रयास नहीं किया तो इसका भारी परिणाम सारे देश को भुगतने होंगे और स्थिति अत्यधिक खराब होगी । अब मान्यवर, मैं दो- तीन बातें और कहना चाहता हूं । मैं सीतापुर से चुनकर आता हूं ।

सीतापुर में एक आंख का अस्पताल है । स्व० मेहरे साहब ने उसे स्थापित किया था और इस अस्पताल के द्वारा उन्होंने सीतापुर को बहुत बड़ा गौरव प्रदान किया था । लेकिन आज वहां की स्थिति बहुत खराब है । मैं एक विशेष बिन्दु पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने के बारे में एक स्पेशल आडिट कराया गया और उस आडिट में कई अनियमिततायें सामने आई हैं उस रिपोर्ट को सदन में रखने की आवश्यकता है । हमारी सरकार ने न्यूनतम वेतन देने के बारे में एक नोटीफिकेशन जारी किया था जिसके तहत उन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की बात कही गई थी । लेकिन वहां के सोसायटी ने उस पर स्टे ले लिया था लेकिन स्टे लेते समय हमारी सरकार ने यह निर्णय किया था कि निर्णय आने तक हमारी सरकार कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने के लिये जितने पैसे की कमी पड़ेगी देती रहेगी । मुझे जानकारी मिली है कि आपने जो ७ लाख रुपये दिये हैं वह भी कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिले हैं । सरकार की ओर से जो रजिस्टर्ड सोसाइटी भी नहीं हैं उसको 55-55 और 56-56 लाख रुपये दे दिये जाते हैं तो इस तरह से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है । इस बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, सीतापुर एक पिछड़ा हुआ जिला है हल्द्वानी और देहरादून की तरह यहां पर विद्युत वितरण प्रणाली अभी भी पुराने सिस्टम से चल रही है । अगर किसी ट्रांसफार्मर का कोई पार्ट बिंगड़ जाता है तो उसे प्राप्त करने में मुसीबत हो जाती है । फोर्ड गाड़ी की तरह । पूरे जिले में बिजली की घोरतम अव्यवस्था है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस जिले पर ध्यान दें और उस सिस्टम को बदलने का प्रयास करें ।

हमारी जब तक सरकार थी तब तक इस दिशा में प्रयास किया गया लेकिन अब इसकी आप पर जिम्मेदारी है । वहां एक डिग्री कालेज खुला हुआ है लेकिन सरकार बदलते ही कैसा उपेक्षापूर्ण वातावरण हो जाता है । वहां बिल्डिंग भी बनी हुई है । कामर्स के क्लास भी चल रहे हैं, साइंस को मान्यता भी है

वहां सरकार की ओर से अध्यापक नहीं भेजे जा रहे हैं। इसका कारण है कि वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। लोग मुझको घेरते हैं, मैं वहां का जन प्रतिनिधि हूं। हम कहते हैं कि जाकर प्रार्थना करेंगे। अगर वहां पर अध्यापकों की व्यवस्था न हो पाये तो बिल्डिंग बेकार, और सब चीजें बेकार हो जायेंगी और कॉलेज खोलने का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये मैं अपनी बातों पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय। आप सरकार में आये जनादेश के नाम पर, असली जनादेश कहीं और है लेकिन फिर भी आप बैठे हुए हैं। बड़ी भारी आपकी जिम्मेदारी है जिनका आपको निर्वहन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या आपके सामने शांति व्यवस्था की है। आप प्रदेश को आगे बढ़ायें, हम केवल अपोज ही नहीं करेंगे, अपोज करने के साथ-साथ प्रपोज करेंगे, अच्छे सुझाव देंगे। अगर इनको आप मानेंगे, अनादर करेंगे तो प्रदेश का लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो खेद प्रकाश का प्रस्ताव आया है उस पर बल देता हूं।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज जो चर्चा हो रही है इसमें मुझे बोलने के लिये आपने अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल महोदय का जो भाषण होता है वह हमारे सदन और प्रदेश की सरकार की नीतियों का एक मार्गदर्शन होता है। महामहिम राज्यपाल महोदय सरकार की बातों को अपने मुख से कहकर सारे देश और प्रदेश को एक संदेश देते हैं। उस अभिभाषण में सरकार की नीतियों का खुलासा होता है, अभिव्यक्ति होती है। जिन लोगों ने कभी यह कहा था कि सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार और जब वह लोग सरकार में आ गये तो कहने लगे अभी तो 5 प्रदेश फिर पूरा देश। ये लोग यह नारा क्यों दे रहे थे। देश की तमाम सारी जातियों को हिंदुत्व की संस्कृति का आवरण पहनाकर देश में सत्ता कायम करने की कोशिश को सपा और बसपा गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से नकार दिया है। न केवल नकार दिया है. बल्कि इससे एक सामाजिक क्रांति का बहुत सुसंगठित संकेत मिलता है कि आज उत्तर प्रदेश में यह स्थिति आयी है तो कल पूरे देश में यह स्थिति आयेगी। इससे माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी सहमत हैं, बाहर से सहमत नहीं हैं लेकिन अन्दर से वह सहमत हैं। यह संकेत उन लोगों का है जो इस देश और प्रदेश की रीढ़ हैं और जिन्होंने सदियों से इस हिन्दुस्तान की धरती के सीने पर अपनी मेहनत और मशक्कत से देश की प्रगति की है।

इनकी बदौलत धरती पर फसलें लहलहाती हैं और यही लोग धरती के नीचे चाहे वह कोयला हो, डीजल हो या पेट्रोल हो, धरती के नीचे जो भी सम्पत्ति है यही लोग निकालकर सारे देश को एक नयी संस्कृति, औद्योगिक क्रांति में ढालने का प्रयास करते हैं। आज आपने देखा होगा, हम भी देखते हैं कि ट्रेनों की छतों पर चढ़कर न जाने कितने लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पंजाब, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद को जाते हैं किसलिये ? यह लोग इसलिये वहां जाते हैं ताकि इनके बच्चों को रोटी और कपड़ा मिल सके। यह लोग हर जगह अपनी जान जोखिम में डालते हैं और बड़े-बड़े कामों को करते हैं। अपने हाथों से बड़ी-बड़ी फैक्टरियों का चक्का अपने बाहुबल से चलाते हैं और एक रुपये से लेकर 500 रुपये मीटर तक का कपड़ा तैयार करते हैं लेकिन उनके बीबी बच्चों के लिये कपड़ा नहीं है वह नंगे रहते हैं और इस कपड़े को बड़े लोग पहनते हैं। वह लोग, जिनके हाथों से दवाइयां बनती हैं, उनके बच्चों को चूर्ण भी नहीं मिलता है। लेकिन बड़े लोगों के लिए दवाइयां उपलब्ध रहती हैं। हमारे प्रदेश

के पूर्वांचल के तमाम लोग 50-50 मंजिले बनाने में चिड़ियों की तरह कोठियां बनाते हैं और ये कोठियां जब बन जाती हैं, तो उसमें कौन लोग पहुंच जाते हैं। तो उसमें सम्पन्न लोग पहुंच जाते हैं। यह सारी करामात देखते-देखते आज हमारे 45 वर्षों से जो नौकरियों के भूखे थे, उनको नौकरी नहीं मिली, जो कारोबार के भूखे थे, उनको कारोबार नहीं मिला, जो शिक्षा चाहते थे, उनको शिक्षा नहीं मिली और जो नंगे, भूखे रह कर दूसरों के बाल-बच्चों की रक्षा की, उनको अपने बाल-बच्चों को पालने के लिये खेती करने को कौन कहे, उनके पास अपने बच्चों की लाश गाड़ने के लिये जगह नहीं है। आज हमको नहीं चाहिए आपका आरक्षण, सुख-सुविधा, आज हिस्सा चाहिये और हिस्सा केवल सम्पत्ति में नहीं चाहिए, शासन में, लेकिन इसको आप नहीं कर पायेंगे।

जहां तक धर्म और जाति का सवाल है, इसको किसने शुरू किया। कौन लोग कहते थे और किसका भला करते थे, किन लोगों को इज्जत मिली थी। ट्रेजरी बेंचेज के लोग चाहे त्रिपाठी जी का राज्य रहा हो, चाहे सम्पूर्णानन्द जी का राज्य रहा हो और किसके लिये कानून बनाते थे उन कानूनों को गरीबों तक पहुंचाने का काम आज तक नहीं हुआ। इन सबको देखते हुए आज पूरे प्रदेश में जागृति नहीं पैदा की जा सकी है। उन लोगों को, सबको नकार दिया। आज एक परिवर्तन है और यह परिवर्तन जायज है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको भेजा है, तो हमको बहुत गम्भीरता से इस बात को लेना चाहिए। इस सरकार को पूरा समर्थन हम लोग देते हैं, इसलिये देते हैं कि सरकार को जरूरत थी। आप कह रहे हो कि जनादेश हमारे पक्ष में है। अगर जनादेश आपके पक्ष में है, तो उनके पक्ष में क्या है ? तो फिर उनको बैठने का अधिकार किसने दिया। आज जो सरकार में लोग बैठे हैं, उनसे हम अपेक्षा करते हैं, हमारे राजबहादुर सिंह बैठे हैं, मैं यह कहना चाहता हूं, मान्यवर, कि मंत्री पद तो हमारे बाबू जगजीवन राम को भी मिला था और बाबू जगजीवन राम के बैठने से प्रदेश के दलितों, गरीबों का भला नहीं हुआ। जिन लोगों ने जनता ने आपको भेजा है, उसका साफ-साफ मकसद है। जो आज तमाम तरीकों से असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, भूखे हैं, उन सबको देखने की कृपा करें। आज पढ़ा लिखा हरिजन का लड़का जब अपने घर जाता है और उसके सामने बूढ़े बाप को मारा जाता है, तो उस हरिजन लड़के के दिल में क्या गुजरता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री मित्र सेन यादव–

मान्यवर, तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्पीड़न की कार्यवाही सामंत लोग कर रहे हैं और उसी के कारण यह सरकार आयी है। यह सरकार जनता की भावनाओं को संजोये हुए यहां पर बैठी है। सवाल हमारा महत्वपूर्ण है, जब प्रदेश की सरकार काम करने के लिये आगे बढ़ी है, तो उसे अवसर देना चाहिए कि वह काम करे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पहले जब विद्युतीकरण होता था.....

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री मित्र सेन यादव–

मान्यवर, हमारी पार्टी का कितना समय है ?

श्री अधिष्ठाता–

10 मिनट का समय निर्धारित है।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वह लोग विद्युतीकरण से वंचित रह गये हैं, जिनको इसकी आवश्यकता थी और बिजली उन लोगों को मिली जो धनी-मानी व्यक्ति थे। इसी तरह से दूसरे जितने भी विकास के कार्य हैं, उन कार्यों से वंचित वही लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं, गरीब हैं और कमजोर हैं। मान्यवर, आप सभी लोग जानते हैं कि इंदिरा आवास की योजना चलायी गयी, वह क्या था, 5 हजार रुपये में एक कमरा भी नहीं बनता है। हरिजन को जिन्दा मारने की योजना थी, जिन्दा मारने के लिये इन मकानों को बनाया गया। उनकी छतें गिर गयीं। इस योजना से हरिजनों का कोई भला नहीं हुआ। इन योजनाओं का लाभ गरीबों तक किस प्रकार पहुंचे, इस पर आपको सोचना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको कुछ ऐसा परिवर्तन करना चाहिए कृषि के क्षेत्र में कोई ऐसा परिवर्तन करना चाहिये क्योंकि कृषि पर आधारित 75 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। किसानों के उत्पादन की जो लागत है, उसका सही मूल्य मिलना चाहिए। कृषि में उत्पादित मूल्यों में और औद्योगिक उत्पादन के मूल्यों में समन्वय होना चाहिए। मान्यवर, आप बहुत से प्रतिष्ठानों को घाटे के कारण बन्द कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि 27 प्रतिशत का आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों में नहीं हो पायेगा। अगर आप सरकारी प्रतिष्ठानों को समाप्त कर देंगे तो आप उनको कहां पर नियोजित करेंगे और अगर ऐसा ही रहा तो जो यह बिजली बोर्ड है, वह भी बन्द हो जायेगा और जो काम होगा वह ठेके पर होगा। अगर आप निजीकरण कर देंगे, तो गरीब मजदूरों का और अधिक शोषण होगा। ठेकेदारी की जो प्रथा है, उसमें कौन लोग लूटते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, अब मैं एक मिनट में अपने जिले की समस्याओं के बारे में कह देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा जिला फैजाबाद जैसा कि आप जानते हैं बहुत पिछड़ा हुआ है।

इसलिये आपने पूर्वांचल विकास निगम भी लागू किया है। मान्यवर, आप जानते हैं कि हमारे यहां तमसा नदी है, जिसकी बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान किसानों का होता है। अतः उसको गहरा कराने की ओर ध्यान दिया जाय। मान्यवर, हमारे यहां मिल्कीपुर है जहां राजस्व विभाग ने सारे मानक के तहत स्वीकार किया है मिल्कीपुर तहसील बनाने के लिये, उसको तहसील बनाया जाय। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री मित्रसेन यादव–

विद्युत स्टेशन को संचालित किया जाय, लड़कियों का कालेज नहीं है उसे खोला जाय यह ऐसी तमाम जरूरी चीजें हैं, जो जनता के विकास के लिये बहुत जरूरी हैं उस पर भी आप कुछ कार्य करें। आपकी सरकार 2 वर्ष नहीं मैं तो कहता हूं कि पूरे 5 साल चले और आप जनता के मंसूबों को, जमीन तक लाइन में खड़े आखिरी आदमी तक उसका लाभ पहुंचावें। मैं इसका समर्थन करते हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे 5 मिनट में अपनी बात समाप्त किया करें ताकि ज्याद: स ज्यादा सदस्य अपनी बात कह सकें।

(व्यवधान)

* श्री इरशाद–

माननीय अध्यक्ष जी, समस्याएं बहुत सी हैं लेकिन मैं एक ऐसी समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और उससे बढ़ करके पूरे देश की समस्या है। किसी इंसान के लिये जहां खाने पीने की, रहने सहने का इंतजाम करने की जरूरत होती है वहीं उससे ज्यादा जरूरत उसके जानमाल की सुरक्षा की होती है। दरअसल मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर जो इस प्रदेश के अन्दर खूनखराबा हुआ, जो फिरकापरस्ती का सैलाब आया, जो फिरकापरस्ती के नाग ने हजारों भाइयों को डस लिया, जिसने हजारों बहनों के सुहाग छीन लिये, जिसने हजारों मांओं की गोदें सूनी कर दीं, उस फिरकापरस्ती की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उस फिरकापरस्ती का शिकार जो लोग हुए थे उन लोगों को राहत देने का कितना काम किया गया है, उनकी कितनी मदद की गयी है, जिन घरों को जलाया गया था उनके घरों को बसाने का, और जो दुकानें जला दिया गया था क्या उनको कोई माल असबाब दिया गया है, सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किया गया है। जो फिरकापरस्ती की बात की जाती है।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

आप तो सत्तापक्ष में हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री इरशाद–

चूंकि मैं अपनी बात को करेक्ट करना चाहता हूं अभी जो अभिभाषण हुआ था माननीय गर्वनर साहब का उसमें माइनरटीज के लिये, अकलियतों के लिये सुरक्षा की बात की गयी थी, मैं उसी चीज से जोड़ना चाहता हूं अपने इस अभिभाषण को । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब एक ऐसी सरकार जो गरीबों के लिये, अल्पसंख्यकों के लिये संघर्षरत रही है, जानमाल की सुरक्षा करती रही है, और उनकी सुरक्षा का दम भरती रही है और पहले भी जब सत्ता में थी तो सुरक्षा की व्यवस्था की थी । मान्यवर, मैं यह बात इसी आशा से कहना चाहता हूं कि जो लोग मजलूम थे जिन्होंने धर्म के नाम पर इस देश में, फिरकापरस्ती में आग लगायी थी । मान्यवर, हमारे पड़ोस में अयोध्या है जहां हजारों लोग बेघर हो गये थे उनके घरों को बसाया जाय और पिछली सरकार में जिनकी हुकूमत थी जिन्होंने साम्प्रदायिकता के नाम पर आग लगा दी थी उनको सजा दी जाय । जो लोग कत्लेआम में शामिल थे उनकी लिस्टें मौजूद हैं जिलाधिकारी और एस० पी० के पास, उनसे पूछा जाय कि उन्होंने क्या किया है । मान्यवर, इसके साथ में मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहा हूं उस क्षेत्र में से दरिया घाघरा बहती है । हर साल सैलाब की वजह से हजारों लोग बेघर हो जाते हैं । मैंने अपनी आंखों से देखा है साइकिल से जाने का रास्ता नहीं है, पैदल चलने के लिये रास्ता नहीं है । किसी औरत को, किसी बच्चे को दवा की जरूरत है, कोई इमरजेंसी हो जाय तो तत्काल पास में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, आने-जाने के रास्तों का अच्छा इन्तजाम नहीं है । मान्यवर, मेरा क्षेत्र पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र की उन्नति के लिये योजना बनायी जानी चाहिये, काम किया जाना चाहिये । मेरे क्षेत्र पर सरकार की ओर से पूरी नजरें इनायत की जायें । माननीय अध्यक्ष की ओर से बार-बार इशारा हो रहा है, इसलिये मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करके अपने क्षेत्र की तरक्की की मांग करता हूं । फिर मैं दुबारा भी अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कह लूंगा ।

* श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी सरकार का एक दिग्दर्शन होता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस अभिभाषण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मान्यवर, पूर्वान्चल सबसे ज्यादा पिछड़ा है, प्रति व्यक्ति नियोजन की राशि पूर्वान्चल में कम खर्च होती है । जिस तरह से उत्तरांचल विकास निगम की स्थापना की गयी है, उसी तरह से वहां के विकास हेतु पूर्वान्चल विकास निगम की स्थापना की जाय । प्रति व्यक्ति नियोजन की राशि जिस तरीके से प्रदेश के अन्य में निर्धारित होती है, पूर्वान्चल के लोगों को भी उसी समान दिलायी जाय । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पूर्व शासनकाल में बड़हलगंज में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल की स्थापना की बात की थी, मान्यवर, उधर बैठे हुए साथियों ने सरकार में आते ही उस काम को निरस्त कर दिया । मान्यवर, जनहित के सम्बन्ध में सबके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिये स्वास्थ्य की बात की जाती है, किसानों की बात की जाती है, पिछड़े हुए लोगों की उन्नति की बात की जाती है, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र चिल्लूपार है, मैं चाहूंगा कि माननीय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी ने वहां अस्पताल के निर्माण की जो बात कही थी, उसका निर्माण शीघ्र कराया जाय । इसी तरह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में कोई भी चर्चा महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है । हमारे यहां राप्ती और घाघरा से तमाम गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं । राप्ती नदी से, रकहट, भेड़ी, फूलकेशवपुर, असवनपार, मझौलिया, गहराघाट, कंसासुर, खुटबार, नवलपुर, आछीडीह, मोहन पुहरिया, बगहा-इन गांवों को बाढ़ से बचाव के लिये तत्काल काम किया जाय ।

घाघरा नदी से, टेढ़ियाबांध, बूढ़नपुरा, नरहरपुर, उजौना, छतिया, टेवनडेरवा–इन गांवों की बाढ़ से बचाव के लिये तत्काल व्यवस्था की जाय । शिक्षा की मान्यवर, सबके लिये आवश्यकता है, पूर्वान्चल में शिक्षा पर सबसे कम व्यय किया गया है इसलिये नियोजन में शिक्षा के प्रति भी विशेष ध्यान रखना होगा ताकि वहां जो इससे सम्बन्धित अधूरे काम हैं उनको तत्काल पूरा किया जा सके ।

किसानों के हितों के लिये हमारे महराजगंज जनपद में आनन्दपुर शुगर मिल है उस पर चार करोड़ रुपया किसानों का बकाया है । माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है मैं चाहूंगा कि उसे तत्काल पूरा कराया जाये । गोरखपुर जिले में धुरियापार में एक निर्मित शुगर मिल है उसका निर्माण तत्काल कराया जाये । इसी तरह से पशु चिकित्सा संकाय हमारे आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में नहीं है । मान्यवर, मथुरा से लेकर देवरिया तक देखें तो कहीं भी पशु चिकित्सा की सुविधा नहीं है । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में एक पशु चिकित्सा संकाय की व्यवस्था की जाये । इसी के साथ मैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करता हूं और कुछ बातें उसके समर्थन में भी कहना चाहता हूं । मान्यवर, मैं मऊ जनपद के घोसी विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं और एक कमजोर वर्ग का हूं । अभी मैं अपने क्षेत्र में गया था तो लोगों में मुझे एक राहत की सांस दिखायी दे रही है वह यह महसूस करने लगे हैं कि राजकाज हमारे लिए भी होता है, वह यह महसूस करने लगे हैं कि अब हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा । मान्यवर, मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं । मैं जाति का निषाद हूं । 1991 में जब माननीय कल्याण सिंह की सरकार आयी तो नदियों में बाढ़ आ गयी थी । बाढ़ में मल्लाहों की नावें चलीं, मैं लिखता रहा अपनी बिरादरी का अध्यक्ष होने के नाते कि हमारी मजदूरी दे दो लेकिन उन्होंने उसका भुगतान नहीं कराया वह मजदूरी अब मिलने जा रही है । जो हमारी लोकप्रिय सरकार आयी है वह उस मजदूरी का भुगतान करने जा रही है । मान्यवर, रामायण के अयोध्या काण्ड में जब इनके राम वन को जा रहे थे तो उन्हें हमीं लोगों ने पार कराया था । जब उन्होंने मजदूरी के रूप में सीता जी की अंगूठी देनी चाही तो हमने यह कहा था कि परदेश जा रहे हो जब वहां से लौटकर आना तो दे देना लेकिन वह लंका से अयोध्या लौट गये और हमारी मजदूरी भी नहीं दी, इसी तरह से कल्याण सिंह जी ने भी नहीं दी ।

(शोर/व्यवधान)

मान्यवर, अब हमारे क्षेत्र की जनता राहत की सांस ले रही है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक कानून बनाया गया था कि मल्लाह बालू खोद कर अपनी आजीविका चलायेंगे तो यह व्यवस्था हो गयी मगर इसे माननीय कल्याण सिंह जी ने खत्म कर दिया उससे हमारी रोजी रोटी चली गयी। लेकिन मान्यवर, पुनः यह लोक प्रिय सरकार आयी है और हमें रोजी रोटी देगी।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें और अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

मान्यवर, श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में बहुत सी बातों का उल्लेख किया है लेकिन मेरे जनपद सहारनपुर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है मैं जनपद सहारनपुर के देवबन्द से चुनकर आई हूं। जहां दारूलउलूम है, जहां संसार प्रसिद्ध बाला देवी सुन्दरी का मेला लगता है, जहां संस्कृत महाविद्यालय है, लेकिन आज तक इस संस्कृत महाविद्यालय के लिये किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। मैं इस सरकार को ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी। मान्यवर, आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी आज वहां के लोग विद्युतीकरण के लिये तरस रहे हैं, वहां के लोगों ने विद्युतीकरण के नाम पर कुछ भी नहीं देखा है। हमारे यहां नानौता कस्बे में दूर-दूर तक कोई डिग्री कालेज नहीं है जिससे हमारी बहनों को पढ़ने के लिये बहुत दूर-दूर जाना पड़ता है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

मान्यवर, हमारे यहां एक रणखुन्डी गांव है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है, वहां पर पिछले दिनों सरकार का एक आई०टी०आई० खोलने का विचार था, लेकिन आज तक उसको खुलवाया नहीं गया है। मैं चाहूंगी कि वहां आई०टी०आई० खोला जाय और मेरी सब बातों को राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ दिया जाय।

श्री फौजदार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद क्षेत्र से चुन कर आया हूं, यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आजतक महिला पालीटेक्निक कालेज का निर्माण नहीं हो सका है। शिक्षा के क्षेत्र में महिला इण्टर कालेज, राजकीय बालिका इन्टर कालेज, आई०टी०आई० भी नहीं हो सका है। यहां शिक्षा का स्तर काफी गिरा हुआ है, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये वहां स्कूल, कालेज तथा आई०टी०आई० की स्थापना की जाय। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारा मुहम्मदाबाद क्षेत्र सड़कों के मामले में, नहरों के मामले में भी बहुत पिछड़ा है। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रति मैं अपनी सहमति प्रकट करते हुए चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र का भी विकास हो।

(श्री काशी सिंह ऐरी, नेता, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल का नाम पुकारे जाने पर कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सभी सदस्यों को मौका मिलेगा, एक-एक करके सभी का नम्बर आयेगा ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने...(शोर).. पर्वतीय क्षेत्र की आवाज भी सुनिये चर्चा करने का मौका दिया है । इससे पहले कि मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कुछ चर्चा करूं और सुझाव रखूं, मैं इस बात के लिये माननीय मुलायम सिंह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, बधाई क्यों देना हूं उसका भी जिक्र करूंगा । उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में इस बाद का स्पष्ट उल्लेख किया है कि मेरी सरकार उत्तराखण्ड राज्य बनाने के प्रति बचनबद्ध है । आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा । मैं आपकी बात भी कह दूं । आपकी भी 31 जुलाई, 1991 का राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति मेरे पास है, जिसमें आपने लिखा है कि "मेरी सरकार कुमायूं और गढ़वाल के जिलों को शामिल करके उत्तरांचल राज्य की स्थापना की पक्षधर है ।" पक्षधर होने और वचनबद्ध होने में बहुत बड़ा फर्क है और उसी का नतीजा है मान्यवर, । माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किस तरह से 12 अगस्त, 1992 को उत्तरांचल का जो प्रस्ताव है, एक किस्म से जिस तरह से सारी लोकतंत्र की परम्पराओं और सारी प्रक्रियाओं को पूरे ताक पर रखकर यहां पर पारित किया गया, जिस पर कोई बहस नहीं हुई । उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि उत्तरांचल राज्य किसलिये बन रहा है और क्यों बन रहा है ? 12 अगस्त, 1991 को, मान्यवर, यहां पर मैं यह याद दिलाना चाहता हूं, माननीय गुप्ता जी यहां पर बैठे हैं भारत की संसद में जब यह पूछा गया कि 3 दिसम्बर, 1992 को उत्तरांचल का कोई प्रस्ताव आपके पास आया है तो वहां पर भारत के गृहमंत्री ने जवाब दिया कि मेरे पास उत्तरांचल राज्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है । 12 अगस्त को प्रस्ताव पारित होता है और 3 दिसम्बर तक स्पष्ट जानकारी है कि भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा नहीं जाता है । यह पक्षधर होने का सबूत है ।

आपके दिल में कोई जगह नहीं है उत्तरखण्ड या उत्तरांचल के प्रति । दिल में जगह माननीय मुलायम सिंह जी के है । आपकी मन्शा नहीं थी, आप राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे । नतीजा सामने आया कि 12 अगस्त, 92 को जो प्रस्ताव, जो पारित हुआ वह 3 दिसम्बर तक भारत सरकार के पास नहीं पहुंचा था और उसके बाद आपने कहा कि भारत सरकार झूठ बोल रही है । तो अगर भारत सरकार झूठ बोल रही थी तो जिस वक्त भारत के गृहमंत्री यह बयान दे रहे थे, आपके एक नहीं दो नहीं, तीन नहीं, एक दर्जन नहीं, दो दर्जन नहीं 129 सांसद लोक सभा में बैठे थे, उन्होंने भारत के गृहमंत्री को क्यों नहीं टोका, उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव क्यों नहीं लाये कि वह झूठ बोल रहे हैं । यह आपका संकल्प था, यह आपकी सोच थी उत्तरांचल के लिये, इसीलिये आपको यह प्रतिफल मिला है, उत्तरांचल ने आपको घटाया ही है बढ़ाया नहीं है । इस बात को आपको समझ लेना चाहिए और इस पर गहराई से विचार करना चाहिए । अभिभाषण में उत्तराखण्ड राज्य बनाने की जो बात कही

गयी है, उसके लिये यह सरकार संकल्पबद्ध है । मुझे थोड़ा समय और दिया जाय । 2-3 बिन्दुओं को मैं और रखना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री ऐरी जी आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तराखण्ड राज्य बनाने की घोषणा भी की है और उसकी पूरी रूप-रेखा बनाकर भारत सरकार को भेजने की बात भी कही गयी है । मैं चाहूंगा कि "उत्तराखण्ड" शब्द ही रहना चाहिए । भारतीय जनता पार्टी ने मात्र एक राजनैतिक लाभ का काम किया है । उत्तरांचल के विकास और उत्तरांचल राज्य बनाने की तरफ उनका कोई प्रयास नहीं है । केवल नाम बदल दिया गया । भारत के किसी भी वैदिक पुस्तकों में, पुराणों में, धर्मग्रन्थों में उत्तरांचल शब्द नहीं है, सभी जगह उत्तराखण्ड का उल्लेख मिलता है । इसलिये इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर "उत्तराखण्ड" रखा जाय। भारतीय जनता पार्टी ने गलत नामकरण किया है, इसलिये इसको बदलना आवश्यक है ।

मान्यवर, जहां तक उत्तराखण्ड के विकास की बात है, इस संबंध में मैं 2-3 बातें अवश्य कहना चाहूंगा । जो हिल कैडर है, उस हिल कैडर को हर विभाग में प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी स्तर तक के पदों पर लागू किया जाय । यह उत्तराखण्ड की जनता की भावना है ताकि लोग वहां के विकास को मनोयोग के साथ कर सकें और पलायन की मनोवृत्ति से बच सके ।

दूसरा, पर्वतीय विकास का बजट का जो आवंटन का तरीका है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि हर विकास कार्य के लिये फाइलें वित्त विभाग में भेजी जाती हैं, जबकि पैसा हमारे नाम से होता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार वहां के पर्वतीय क्षेत्र के किसी सक्षम अधिकारी को दिया जाना चाहिए ताकि हर कार्य के लिये वित्त विभाग में न जाना पड़े ।

तीसरी बात यह है कि पर्वतीय विकास हेतु एक अलग से अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद का सृजन किया जाना चाहिए, जिसके नियंत्रण में वहां का विकास व प्रशासनिक व्यवस्था आदि रहनी चाहिए । इसके अलावा भी कुछ बातें और हैं, जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, शिक्षा विभाग में अभी नियुक्तियां हो रही हैं परन्तु अभी कुछ अंशकालिक शिक्षक बचे हैं, जिनकी नियुक्ति नहीं हो पायी है इसलिये उनको स्थाई नियुक्ति दी जाय । साथ ही कुछ तदर्थ रूप से शिक्षक नियुक्त हैं, उनको भी स्थाई नियुक्ति प्रदान की जाय । आपके शासनकाल में भी अंशकालिक शिक्षक नियुक्त हुए हैं । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि कुछ अंशकालिक शिक्षक बच गये हैं, इसलिये उनको नियुक्ति प्रदान की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ, समय-समय पर अन्य सुझाव देते हुए मैं श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर श्री हृदय नारायण दीक्षित जी द्वारा रखे गये समर्थन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नजमउद्दीन–

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी बाबा साहेब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास योजना लागू किये हैं उसके अन्तर्गत उसमें जाति विहीन समाज के लोगों को बसाया जाय तथा अनुत्पादक एवं बंजर भूमि है, उसे कृषि योग्य बनाकर, गरीबों, पिछड़े वर्गों में और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों में तथा अल्पसंख्यक भूमिहीनों के नाम आवंटित की जाय।

(समय 4 बजे)

साथ ही साथ जो भी कृषि में काम आने वाले सभी संसाधन हैं, औजार हैं, वह कर मुक्त किये जायें।

मंडल कमीशन की बात महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आयी है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जो 27 प्रतिशत आरक्षण है उसको समयबद्ध किया जाय एक साल के अन्दर जो भी सरकारी नौकरियां रिक्त हों उनको पूरा कर दिया जाय और जो भी अधिकारी इसमें शिथिलता बरतें उसको अपराधिक दण्ड दिया जाय। साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी बनती है उसकी व्यवस्था की जाय। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जातीय आधार पर मौजूदा हालत में सरकारी नौकरियों में जिनकी संख्या अधिक है उस पर सीलिंग नियम तत्काल लगायी जाय और उनकी संख्या कम कर दी जाय। साम्प्रदायिकता को रोकने के लिये 15 अगस्त, 1947 के बाद प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थलों का निर्माण नजूल/सरकारी भूमि पर बिना सरकार की अनुमति के हुआ है उसका तत्काल अधिग्रहण किया जाय तथा सरकारी धन धर्म प्रचार में न लगाया जाय। जिस प्रकार राष्ट्रीय दिवसों पर जेलसे कैदी छोड़े जाते हैं उसी प्रकार बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस के सुअवसर पर कैदी छोड़े जायें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री नजमउद्दीन–

पहले वालों को कितना समय दिया।

श्री अधिष्ठाता–

वह पार्टी के नेता हैं।

श्री नजमउद्दीन–

हम नये सदस्य हैं 5 मिनट का समय और दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों के लिये 5 मिनट का समय निर्धारित है। आप समाप्त करें।

श्री नजमउद्दीन–

कक्षा एक से 10 तक पूर्ण सरकारी खर्च पर शिक्षा दी जाय और शिक्षा संबंधी सुझाव में है कि 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा लागू हो, त्रिभाषा का फार्मूला लागू किया जाय तथा पाठ्यक्रम को वैज्ञानिक आधार पर बनाया जाय उसमें अंधविश्वास का समावेश न किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री नजमउद्दीन–

मेरा निर्वाचन क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। आजादी के 45 साल बाद भी वहां पक्की सड़कें नहीं हैं - केवल 20 कि०मी० सड़क का निर्माण हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर संसदीय कार्य मंत्री जी को दे दीजिये।

श्री नजमउद्दीन–

हमारे क्षेत्र में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है उस पर विशेष ध्यान दिया जाय। सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा एवं जल निकासी की व्यवस्था की जाय तथा मड़ियाहूं ब्रांच के कि०मी० 15.8(0) पर साइफन निर्माण होना चाहिए। मैं राज्यपाल महोदयके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, हमारा पर्वतीय क्षेत्र बहुत पिछड़ा है पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं वहां रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। मेरे चकराता निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों का काम अधूरा पड़ा हुआ है उसे पूरा किया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में वन अधिनियम के तहत मार्गों का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है मैं चाहूंगा कि वन अधिनियम में शिथिलता की जाय और निर्माण कार्य तेजी से चलाये जायं। मेरे क्षेत्र में लकवाड़ बांध परियोजना का कार्य बन्द है मैं चाहूंगा कि इसको शीघ्रता से चलाया जाय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो 10 हजार तक ऋण माफी की थी वह लागू नहीं हुआ है, लोगों के ऋण माफ नहीं हुए हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि 10 हजार तक के ऋण माफी की जो घोषणा की थी उसे लागू किया जाय।

मेरे क्षेत्र में पर्यटन का काफी स्कोप है यहां पर्यटन का विकास किया जाय। डाक पत्थर, चकराता, त्यूनी, मुडाली, दसऊ, हनोल, नागथातकोटी इडाली पर्यटन क्षेत्र के लिये बहुत महत्व के हैं यहां पर्यटन स्थल बनाये जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है जिसका समाधान किया जाय। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चकराता में जहां जनजाति के लोग अधिकतर रहते हैं उनके लिए लिए डिग्री कालेज की स्थापना की जाय। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि डाक पत्थर में स्वीकृत डिग्री कालेज में इसी सत्र से पठन-पाठन का कार्य शुरू किया जाय।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग-धन्धों की स्थापना की जाय। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चकराता में जो उद्योग धन्धे लगे हैं वे बीमार हैं, इसलिये उनको चालू किया जाय और हमारे क्षेत्र में कुछ नये उद्योग-धन्धे लगाये जायें।

मान्यवर, मैं जिस जनजाति क्षेत्र से चुनकर यहां आया हूं, वहां शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिये चाहता हूं कि वहां शिक्षा की सुचारु रूप से व्यवस्था की जाय और अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाय। इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मदन भइया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय से अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

आजादी के बाद उ० प्र० में पहली बार सपा व बसपा के गठबन्धन की जो सरकार बनी है, उससे समाज के निर्बल, दलित, शोषित, उपेक्षित, अल्पसंख्यक एवं किसानों तथा युवा वर्ग में एक नयी आशा व उमंग का संचार हुआ है। पहली बार समाज के इन वर्गों को सत्ता में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश के करोड़ों जनों के हृदय सम्राट माननीय मुलायम सिंह जी ने जब से प्रदेश का मुख्य मंत्री पद ग्रहण किया है उनके हर निर्णय की तरफ जनता की निगाहें टिकी हुई हैं।

श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे हैं वह लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय अथवा इन्हें पढ़ने से रोकें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग व्यवधान न पैदा करें और माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें।

श्री मदन भइया–

मान्यवर, आज पहली बार लोकतंत्र के इतिहास में माननीय मुलायम सिंह जी ने कथनी और करनी के अन्तर को समाप्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पूर्व प्रदेश की जनता से जो वायदे किये थे उनमें से काफी वायदों को प्रथम सप्ताह ही में वह अमलीजामा पहना चुके हैं। प्रदेश के किसानों को

निर्बाध रूप से 16 घंटे बिजली देने की जो घोषणा की है, मैं अपनी ओर से व अपने क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं।

प्रदेश का युवा एवं छात्र वर्ग मुख्यमंत्री जी का हमेशा ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने न केवल नकल विरोधी काले कानून को समाप्त किया है वरन् भाजपा शासन के दौरान हजारों छात्र व छात्राओं पर जो मुकदमें अदालतों में लम्बित थे उनको समाप्त करके प्रदेश के छात्र वर्ग को अपराधी वर्ग से निकालने का सराहनीय कार्य किया है।

मान्यवर, शासन द्वारा महर्षि बाल्मीकी जयन्ती, डा० अम्बेदकर जयन्ती व गुरू तेज बहादुर के शहीद दिवस पर सरकारी अवकाश की जो घोषणा की है उसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री मदन भइया–

6 दिसम्बर, 1992 की घटनाओं में हमारे धर्म निरपेक्ष ढांचे पर कुठाराघात किया है वह सर्व विदित है। सपा एवं बसपा के गठबन्धन को विगत चुनाव में जो जनादेश प्राप्त हुआ है, उससे स्पष्ट है कि राज्य की जनता साम्प्रदायिक पार्टियों के विरुद्ध है और साम्प्रदायिक सौहार्द एवं भाईचारे में विश्वास रखती है।

मान्यवर, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व मे राज्य में सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा होगा तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में हम आगे बढ़ने में सक्षम होंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षों से लम्बित हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वाद-कारियों को शीघ्र संवैधानिक न्याय प्राप्त कराने हेतु उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापना हेतु जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट को अविलम्ब लागू करने की मांग करता हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करते हुए गन्ने का मूल्य तत्काल बढ़ाये जाने की मांग करता हूं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगा हुआ है, पिछले सरकारों ने उसके समुचित विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वहां पर सड़कें, बिजली, पेयजल आदि की तत्काल अच्छी और प्रभावी व्यवस्था के आदेश जारी किये जाएं। अन्त में, मुख्य मंत्री जी ने और उनकी लोकप्रिय सरकार ने विगत दो सप्ताह में दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के हित में जो क्रान्तिकारी निर्णय लिए हैं, उसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका पूरा-पूरा समर्थन करता हूं।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण वर्तमान सरकार की नीति का खुलासा हुआ करता है, जिस प्रकार से इस सरकार की नीतियां आपस में उलझी हुई हैं और परस्पर घटकों के बीच विचारों में भारी अन्तर है, वह इसमें स्पष्ट हो रहा है। एक तरफ तो राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के स्तर पर चिन्ता जाहिर की है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों में नकल की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए नकल विरोधी अधिनियम को वापस ले लिया गया है। एक तरफ किसानों के हित की बात कही गई है, वहीं पर धारा 28 ए अर्जन अधिनियम भूमि अधिग्रहण का उनका जो वर्ष 1962 से 80 करोड़ रुपया सरकार की ओर बकाया है, उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि किसानों की दुहाई देने वाली सरकार ने किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करके उन पर बहुमंजिले भवन तो बना लिए हैं, किन्तु उनके मुआवजे का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है, जिससे उनको आज अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इस अभिभाषण में उस भूमि मुआवजे के भुगतान का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। जहां तक सरकार की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है, वहां उद्योगों के सही संचालन के लिए शान्तिपूर्ण वातावरण बनाए रखने का इसमें कोई वायदा नहीं किया गया है मैं उस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, वह दिल्ली का दरवाजा गाजियाबाद है, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। अभी ही वहां पर मुलायम सिंह जी की जीत के बाद उनकी सरकार बनने के बाद 14 नौजवान लोगों ने रिवाल्वर से फायर करके वहां की सड़कों पर मोटर साइकिल पर सवार होकर एक जुलूस निकाला था और कहा था कि अब सावधान, आ गयी है मुलायम सिंह की सरकार।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मुक्तिनाथ यादव–

इसे निकाल दिया जाए, मान्यवर, यह गलत है, हमारे मुख्य मंत्री का नाम इस तरह नहीं लेना चाहिए।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मैं यह कहना चाहता हूं जहां राज्यपाल ने शिक्षा के लिए सबको शिक्षा देने की बात कही है, वहां गाजियाबाद के अनेक विद्यालय ऐसे हैं, जहां प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या सौ-सवा सौ से भी उपर है, लेकिन ऐसे स्थानों पर नये विद्यालय खोलने की उसमें कोई योजना नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली से उत्तर प्रदेश में घुसते हैं, तो गाजियाबाद में घुसते ही लोगों को पता चल जाता है कि अब उत्तर प्रदेश में आ गए, सड़कों की दुर्दशा देखकर। इसके साथ ही वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रथम नगर गाजियाबाद में आवश्यक नागरिक सुविधाएं लागू हों। आवश्यक नागरिक सुविधाएं वहां प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ कराई जाएं। पहले लोगों को पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए। अभिभाषण में यह कहीं नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय त्यागी जी अब समाप्त करें।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, जिस तरह से सरकार की नीति उलझी हुई है, जिस प्रकार से सरकार का इरादा उलझा हुआ है मैं इस अभिभाषण संशोधन पर बल देता हूं और इसके साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने भगवत जी को बुला लिया है।

* श्री भगवत पाल–

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा रखे धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं थोड़े से शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आया हूं जहां छठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को 25 किलो मीटर जाना पड़ता है और नवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को 45–50 किलोमीटर जाना पड़ता है। मान्यवर, यह प्रदेश का सबसे जटिलतम क्षेत्र है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे पांच मिनट का समय अवश्य दें।

श्री अधिष्ठाता–

समय सीमा का ध्यान रखें। अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री भगवत पाल–

मान्यवर, लाल बत्ती हो जाने पर तो मुझे बैठना ही पड़ेगा। मान्यवर, पत्थर मजदूर जो उस क्षेत्र के हैं। बीस रुपये की मजदूरी में रोज पत्थर तोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 20 रुपये की मजदूरी करने वाले मजदूरों के ऊपर टैक्स लगा दिया। यह भारतीय जनता पार्टी बिक्रीकर को समाप्त करने का वादा करके सत्ता में आयी थी। इसी ने इन पत्थर मजदूरों के ऊपर टैक्स लगा दिया। यह स्थिति बहुत नाजुक है। यह हमारी सरकार, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार आई है, इसने बिक्रीकर को समाप्त करने का फैसला किया है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इन पत्थर मजदूरों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, वह समाप्त करना चाहिए। इसी तरह से यहां पर जंगल क्षेत्र में चरवाहों का मामला है बहुत सी सरकारें आईं और चली गई लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार को कहना चाहता हूं कि जो भेड़–बकरी, पशु आदि छोटे जानवरों को चराने वाले लोग हैं जिन्हें रोजी-रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसे लोगों पर टैक्स चलाया जाता है। पशुओं को जंगल में चराने का अधिकार इन्हें होता है, इन्हें जंगल में पशु चराने के लिये जगह मिलनी चाहिए। पहले भी सरकारें आईं उनसे भी निवेदन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जब पिछली बार सरकार में आई तो इसने इन लोगों से जिन पर 20 पैसे चरवाही लगती थी उसको बढ़ाकर 80 पैसे कर दिया। इस तरह से मान्यवर, इनके साथ भी अत्याचार हो रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सार में संक्षिप्त में कहें।

श्री भगवत पाल–

मान्यवर, इन चरवाहों के ऊपर लगा टैक्स समाप्त होना चाहिए। मिर्जापुर प्रदेश का बड़ा जनपद है यहां पर जंगल पहाड़ होने के बावजूद सारे प्रदेश को शक्ति मिलती है लेकिन मान्यवर, जब से सोनभद्र अलग हो गया है मिर्जापुर दो हिस्से में बंट गया है। यहां रोजी-रोटी के लिये कोई साधन नहीं रह गये हैं केवल जंगल पहाड़ रह गये हैं। यहां पर रोजी-रोटी की दिशा से भी कुछ उद्योग धन्धे स्थापित किये जाने चाहिए। उद्योगों के मामले में इसे प्राथमिकता दी जाय ताकि यहां के लोग रोजी-रोटी की व्यवस्था कर सकें। भदोही को एक अलग जनपद बनाने के लिये पिछली सरकार ने भी काफी लम्बा चौड़ा वादा किया था। तमाम वायदों के बीच यह सरकार मुकर गयी। मान्यवर, इस सरकार का नारा था आज पांच प्रदेश कल सारा देश। अपने नारे के हिसाब से मान्यवर, पांच प्रदेश से क्या दस प्रदेश से जायेंगे। भदोही को आपने जिला बनाकर इस क्षेत्र के साथ बहुत अच्छा न्याय किया है। मैं जन जातियों के बाहुल्य वाले जनपद से आता हूं। जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। लेकिन पूरे क्षेत्र में मिर्जापुर बुन्देलखण्ड आदि जगहों के आदिवासी जहां हैं वहां एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो सरकारी नौकरी में हो।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री भगवत पाल–

एक भी मौका उनको ऐसा नहीं मिला है। सरकारी नौकरिबों में जैसवार, कोल, भील आदि ऐसी जातियों के व्यक्तियों को कोटे का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री भगवत पाल–

मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जनजातियों के लोगों को मौका मिलना चाहिए। अन्तिम बात मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में ४५ गांव पिछड़े हुए हैं वहां न तो सड़क है न बिजली है यहां तक कि बिजली के खम्भे तक नहीं है। मेरा दावा है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री भगवत पाल–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, मै आपका ध्यान बाराबंकी जनपद की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी । बाराबंकी लखनऊ के बहुत पास है वहां जो विद्युतीकरण है वह मात्र 35 प्रतिशत है । जबकि तमाम जिलों में विद्युतीकरण 65 से 70 प्रतिशत के बीच हो गया है । इधर एक हफ्ते में मेरे क्षेत्र में काफी डकैतियां और चोरियां हो रही हैं । महिलाओं के ऊपर रात के अंधेरे में अत्याचार हुए हैं और इसके कारण लोगों में असुरक्षा की भावना जागी है । मान्यवर, जगदीशपुर एक गांव है वहां पर 25-30 डकैतों के द्वारा डकैतियां डाली गयीं । डकैतियों की बाढ़ सी आ गई है । श्रीमन्, मेरा जो क्षेत्र है वह घाघरा की तराई का क्षेत्र है जहां की कई समस्यायें हैं बाढ़ की समस्या है पानी की समस्या है । छड़ान की वजह से, तहसील से मार्ग न जुड़े होने से बहुत समस्या है । सरसवां घाट पर पुल न होने से तहसील से मात्र पांच किलोमीटर दूर है लेकिन उस क्षेत्र के लोगों को पांच-दस किलोमीटर के लिए पचास किलोमीटर का मार्ग तय करना पड़ता है। मान्यवर, हमारे यहां जो बन्धे बनाए गए हैं और बन्धों के किनारे जो गांव बसे हुए हैं बाढ़ आने से वहां काफी नुकसान होता है । गणेशपुर से सिरौलीगुंग तक यही स्थिति है । मान्यवर, बाराबंकी जनपद में जैसे देवां है उसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में महादेवा है । मान्यवर, 1952 में महादेवा और अयोध्या को भी राज्य सरकार के अन्तर्गत अधिग्रहीत किया गया लेकिन वह आज तक फाइलों में दबा कर रखा गया है । महादेवा पौराणिक स्थल है कांवरी भी यहां से होकर जाते हैं । लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने जाते हैं । तो उसके विकास के लिए मैं चाहूंगी कि सरकार उचित प्रबन्ध करे और जो शासनादेश में फाइलों को दबा रखा है उसे बाहर लाया जाय । इसी प्रकार से विद्यालय शिक्षा का अभाव है ग्रामीण क्षेत्र होने नाते सड़कों का जो अभाव है वह सब पूरा होना चाहिए इन शब्दों के साथ मै अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं ।

श्री विनय कुमार पाण्डे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य हृदय नारायण दीक्षित द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में बोलने का मौका दिया है । मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता का, जिसने इस 12 वीं विधान सभा में समता के रूप को दृष्टिगत किया है और समता के सिद्धान्त में अपना विश्वास व्यक्त किया है । समाज के हर वर्ग को सत्ता में भागीदारी करने का अवसर मिला है । उत्तर प्रदेश कृषि ही प्रधान प्रदेश है । मैं कृषि को व्यवसाय का दर्जा देने के पक्ष में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे प्रदेश में सुगन्ध एवं औषधीय पादपो की खेती एवं उसे औद्योगिक दर्जा देने की प्रबल संभावनायें उपलब्ध हैं जिसकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष व्याप्त है । उस दोष को समाप्त करने के लिए क्लर्कों को उत्पन्न करने वाली इस शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए । इसकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जिससे नवयुवकों में व्याप्त निराशा और कुण्ठा समाप्त हो और वो आत्मबल से प्रेरित हो ।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं । बलरामपुर से तमाम, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है किन्तु आज तक उपेक्षित रहा है । इसलिए बलरामपुर क्षेत्र और उसकी

समस्याओं के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पिछली सरकार जो शिलान्यास सरकार के नाम से हमारे क्षेत्र में जानी जाती है, के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कोइरी घाट के पुल का उद्घाटन किया । किन्तु इसके उद्घाटन की ओर नहीं अग्रसारित हुए और न ही कोई ध्यान दिया गया । मैं इस सदन के माध्यम से इस सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा हूं कि आप उस पुल का उद्घाटन करें । ताकि बलरामपुर की जनता ही नहीं सारे प्रदेश की जनता आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से कह सकें "झूठा है तेरा वादा वादा तेरा वादा" बलरामपुर को जिला बनाने की मांग वर्षों से चली आ रही है, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बलरामपुर जो जनपद बनने के मानक पर खरा उतरा है गोण्डा जनपद जो एक विस्तृत क्षेत्रफल वाला जनपद है । मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से कहना चाहूंगा कि बहराइच जनपद के पूर्वी जिला मुख्यालय से दूरस्थ इलाके और बलरामपुर के तराई वाले इलाके को मिलाकर एक जिला बनाया जाय जिसका नाम भले ही श्रावस्ती क्यों न रखा जाय । वह एक ऐतिहासिक पर्यटनस्थल है तथा विभिन्न धर्मों से जुड़ा हुआ स्थान है, जिसे विदेशी सहायता बराबर मिला करती है । निश्चित रूप से इससे आर्थिक भार कम पड़ेगा और विदेशी सहायता भी मिलेगी । अतः मेरा निवेदन है कि बलरामपुर अथवा श्रावस्ती नाम का एक जिला शीघ्र ही घोषित किया जाय तथा उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करने वहां पर चले । मान्यवर, राप्ती नदी की बाढ़ से वहां पर भयंकर समस्या पैदा हो जाती है बलरामपुर की जनता के लिये । मैं मांग करना चाहता हूं कि राप्ती नदी के दोनों तरफ बंधों का निर्माण कराया जाय ताकि इस क्षेत्र की जनता को बाढ़ से राहत मिल सके । मान्यवर, बलरामपुर में महिला डिग्री कालेज की स्थापना औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जानी चाहिये । मान्यवर, बाबागंज में एक राजकीय डिग्री कालेज मंजूर है उसकी स्थापना शीघ्र करायी जाय । इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री समर पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मुरादाबाद एक ऐसा जनपद है उत्तर प्रदेश के अन्दर, जो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है । वहां पर बिजली नहीं आ रही है जिससे मुरादाबाद जनपद के हजारों मजदूर भूखे मर रहे हैं । उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं । मुरादाबाद के अन्दर विवेकानन्द पुल के पास 100 गांव हैं जहां पर कोई सुविधा नहीं है । बरसात में आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है । मुरादाबाद में लालबाग नाम का एक छोटा सा क्षेत्र है जहां पर 50 हजार की आबादी है वहां पर लड़कियों के लिये कोई स्कूल नहीं है । मान्यवर, मुरादाबाद में लाइनपार जाने वाला पुल बन्द रहा जिसके कारण पिछले बरस दशहरे के दिनों में कई बच्चे व औरतें गिरकर मर गयीं । इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि एम० एल० ए०, एम० पी० तथा आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के लोगों के बच्चों को चाहे वे शेड्यूल कास्ट के हों या बैकवर्ड क्लास के हों उनको रिजर्वेशन की सुविधा नहीं दी जानी चाहिये, उनका रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिये । मुख्यमंत्री के बच्चों को भी यह सुविधा नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मिलनी चाहिये । मेरा निवेदन है कि केवल गरीब के बच्चे का ही रिजर्वेशन की सुविधा मिलनी चाहिये । मान्यवर, मुरादाबाद सबसे बड़ा जिला है जिसमें 8 तहसीलें हैं । कई छोटे-छोटे जिलों को टुकड़ों में बांटा गया है । मेरी मांग है कि मुरादाबाद जिले की अमरोहा तहसील को जिला बनाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सफदर रजा खां–

अधिष्ठाता महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं जो आपने मुझे अपने विचारों को रखने के लिये समय दिया । मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मैं उस क्षेत्र से जीतकर आया हूं जो सुल्तानपुर जनपद की आठों विधान सभा क्षेत्रों में सबसे पिछड़ा है । वहां के दलित और पिछड़े समाज के लोगों को इतना दबाया और सताया गया है कि वह वोट देने के लिये अपने घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं । मेरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैण्डीडेट के समर्थक ने उस क्षेत्र की गरीब जनता को दलित वोटरों को घर से न निकलने के लिए मजबूर किया, उनके रास्ते को रोका और वोट देने नहीं दिया । इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कैण्डीडेट हार गया । मान्यवर, जो लोग कभी-कभी माननीय कांशी राम के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वह जाति-व्यवस्था के देश में बढ़ावा दे रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि यह गलत है मुस्लिम माइनारिटी में जिस फिरके का मैं हूं । उस फिरके का वोट उस चांदा विधान सभा क्षेत्र में नहीं है । फिर भी मैं जीतकर आया जो सबूत है कि मान्यवर कांशी राम ने जातीयता व साम्प्रदायिकता को कुचलने का काम किया है । दलितों पिछड़ों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे अपना नेतृत्व करने को चुना और यहां एसेम्बली तक भेजा है । मान्यवर, जो लोग अपनी दादागिरी दिखाते थे, उनकी हार हो गयी है । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा देने के लिए कदम उठायेंगे । मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के दलित वर्ग के लोगों की सुरक्षा का इन्तजाम करें ।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया बाल मजदूर प्रथा समाप्त होनी चाहिए । मान्यवर, छोटे-छोटे बच्चे जो शिक्षा हासिल करके इस देश के कर्णधार बन सकते हैं, उनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वे मजदूरी करने के मजबूर हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के संविधान के रचयिता डा० भीमराव अम्बेदकर दलित शोषित समाज में पैदा होकर सामाजिक छुआछूत की व्यवस्था से त्रस्त होकर भी जब शिक्षा प्राप्त किये तो विश्व के 6 विद्वानों में से एक थे इसलिये हर बच्चे की शिक्षा का ध्यान रखा जाय ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, उन्होंने विश्व में अपना और देश का नाम पैदा किया । मान्यवर, अल्पसंख्यकों में राजनैतिक, सामाजिक व शैक्षिक विकास हेतु शासन प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण देना जरूरी है । इसका भी निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मरे जिले में जो समस्या है अस्पतालों की, वहां पर कमजोर लोगों को फ्री दवा नहीं मिल पाती है,

वह दवा बड़े-बड़े लोगों में दे दी जाती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए आप सड़कें व पीने का पानी, अस्पताल, नलकूप तमाम समस्यायें हैं और जो इस सरकार से मजलूमों, गरीबों, कमजोरों दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों तथा बेसहारों को आशाएं हैं उसे पूरा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती रहेगी ऐसी आशा और विश्वास मुझे है । जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, उसमें उसे जोड़ते हुए आने वाले दिनों में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनका मुझे विश्वास प्राप्त हुआ है, उसको बरकरार रखते हुए, उनके विकास के लिए, उनको आगे पहुचाने के लिए, मैं हर संभव प्रयास करता रहूंगा ।

एक सदस्य–

मुझे भी समय दिया जाये । मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने श्री नरेन्द्र सिंह को बुला लिया है ।

* श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये संशोधनों पर बल देने के लिये आपने जो मुझे अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह सरकार की नीतियों का उल्लेख महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है, लेकिन किसानों की समस्या की ओर कोई उल्लेख नहीं किया गया है । किसान पुत्र कहलाने वाले मुलायम सिंह ने किसानों के गन्ने मूल्य के भुगतान के बारे में और गन्ने के मूल्य बढ़ाने के बारे में कोई संकेत नहीं किया है, कोई बात उस संबंध में नहीं की है । इसी प्रकार से गन्ने की तो घटतौली होती है, उसको रोकने के लिये भी कोई आश्वासन नहीं दिया है । यह कहा गया है कि किसानों को प्रदेश के बाहर अपना उत्पादन ले जाने के लिये छूट होगी, लेकिन यह थोथी घोषणा है । मैं कहना चाहता हूं कि पुलिसिया और अफसरशाही का उत्पीड़न जारी है । मैं कहना चाहूंगा कि आज भी नहरों में पानी नहीं है, रबी की फसल की सिंचाई होनी है । गूलें टूट गयी हैं, जिससे खेतों तक पानी नहीं पहुंच सकता है । मान्यवर, यह घोषणा की गयी कि ग्रामीण क्षेत्र को 16 घन्टे बिजली उपलब्ध करायी जायेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में बिजली 2-3 घंटे से अधिक नहीं पहुंचती है । मान्यवर, डंकल प्रस्ताव के बारे में भी सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है ।

सरकार को इस ओर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये । मान्यवर, नकल विरोधी अध्यादेश का जहां तक सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये जिससे नकल की समस्या दूर हो और नकल न हो और इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये । मान्यवर, बेरोजगारों की सेना खड़ी हुई है । उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिये सरकार को सुनिश्चित क़दम उठाना चाहिये, जिससे बेरोजगारी का माहौल दूर हो । मान्यवर, मैं सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र की ओर आपका ध्यान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारा यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर यहां पर बिजली नहीं है। मान्यवर, घाघरा नदी की कटान से बहुत से गांव तबाह हो गये हैं, उनके किनारों पर बन्धे बनाने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये संशोधनों पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सभी को समय मिलेगा। आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री राजेन्द्र यादव को बुला लिया है।

* श्री राजेन्द्र प्रसाद–

मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं खास तौर से माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं राजधानी के एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो महोना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेरा क्षेत्र कहने को तो राजधानी से मिला हुआ है लेकिन मैं अनुरोध करता हूं और सदन के सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के पिछले कार्यकाल में जो विकास के कार्य शुरू किये गये थे वह पूर्णतया रुकवा दिये गये थे। मैं इस सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं माननीय मुलायम सिंह जी से कि पिछली सरकार ने जो विकास के कार्य को रुकवा दिये थे उन्हें पुनः चालू कराया जाय। मेरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है तहसील की जिसके लिए महोना क्षेत्र के लोगों को 80 कि० मी० की दूरी तय करके मलिहाबाद जाना पड़ता है। वह तहसील मुख्यालय बख्शी तालाब में होनी चाहिये। इसके अलावा दूसरी समस्या कन्या इण्टर कालेज की है। ब्लाक प्रमुख होने की हैसियत से मैंने एक कन्या इंटर कालेज अपने क्षेत्र में स्वीकृत कराया था लेकिन राजनाथ सिंह जो मेरे क्षेत्र के प्रत्याशी थे उन्होंने उस कन्या इंटर कालेज को रुकवा दिया। तो मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे पिछड़े क्षेत्र में एक कन्या इंटर कालेज तत्काल खुलवाने की कृपा करें जिससे क्षेत्र की जनता में विश्वास जागे।

* श्री समीर भाटी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आभारी हूं। मेरा क्षेत्र दादरी है उसमें 2 नगरों का विकास हो रहा है एक नोएडा और एक ग्रेटर नोएडा। मान्यवर, ग्रेटर नोएडा में किसानों की जमीन ली जा रही है किन्तु मुआवजा नहीं दिया जा रहा है उसमें जबरन कब्जा करके विकास किया जा रहा है। किसान लोग यदि अपनी जमीन पर कब्जा रोकने के लिए जाते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। यह बात मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय भाटी जी जो 89 में इस सदन के सदस्य थे, 91 में इस सदन के सदस्य थे उन्होंने 28 रुपया मुआवजा कराया था लेकिन मान्यवर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसने मुआवजा 50 रुपया करा दिया, यह रिकार्ड में है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं हमारे यहां एन० टी० पी० सी० बन रहा है उसका जो गन्दा पानी निकलता है वह हजारों बीघा जमीन और फसलों को बर्बाद करता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसको दिखवायें। यह बात माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं कही गयी, मैं इस बात को जुड़वाना चाहता हूं। मान्यवर, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, गंगा नदी के किनारे करीब 11 जिले हैं, घड़ोच नामक एक पशु है वह देखते ही देखते सारे खेत पर आ जाते हैं और किसानों की खड़ी को नुकसान पहुंचाने का काम करते है। यह 60-70-100 के झुंड में आते हैं। जो उसको मारने के लिये जाते हैं, वह उसको मारते हैं। यह किसानों के घरों में घुस जाते हैं जो गाय, बैल का भूसा होता है वह भूसा भी खा जाते हैं, बच्चों को मार देते हैं। पिछली सरकार ने यह वचन दिया था कि जल्दी से ही जल्दी इस समस्या का निदान किया जायेगा। इस सरकार को निश्चित रूप से इस समस्या के निदान पर विचार करना चाहिये क्योंकि हजारों एकड़ जमीन आज परती जा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि वाराणसी में काशी विद्यापीठ ब्लाक के मलैया गांव के पास गंगा नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। मलैया गांव के किसान उससे उजड़ रहे हैं उनकी जमीनें जा रही हैं जिनकी जमीनों पर पुल के खम्भे गाड़े जा रहे हैं उनको नाममात्र का मुआवजा दिया जा रहा है, जिनके घर लेकिन जा रहे हैं उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। यह दैनिक काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को घर दिलाये जायें। इस भीषण महंगाई के समय में उनके लिये कोई दूसरा घर बनाना संभव नहीं है। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में यह संशोधन जोड़ा जाना चाहिये कि जिनकी जमीन सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये ली जा रही है उन्हें दूसरी जगह जमीन दी जाय जिससे वह बस सकें।

वाराणसी शहर में 8 कि० मी० एरिया के अन्दर शहरी सीलिंग ऐक्ट लागू है। इसे शहरी सीलिंग ऐक्ट के अन्दर किसानों की भूमि को वहां लोगों को सुनवाई का मौका न देकर, किसानों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका न देकर एक तरफा कार्यवाही की जा रही है। उनकी जमीनों को बिना सुनवाई का मौका दिये, लिया जा रहा है और वह चकबन्दी में उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पर लिखी जा रही है। जिनके पास 4 बिस्वा जमीन है जिनको 12 बिस्वा का हक होना चाहिये, उनकी वह चार बिस्वा जमीन भी छीनी जा रही है। मैं कहना चाहूंगी कि शहरी सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत किसानों को अपनी बात कहने का मौका मिले, जिनकी जमीन ली जा रही है उनको अपनी बात को पुनः कहने का मौका दें। जिससे उनके साथ न्याय हो और उन्हें अदालत में न जाना पड़े। मान्यवर, वाराणसी में बिजली की भीषण समस्या है। काशी विद्यापीठ के टिकरी व रोहनियां क्षेत्र में 100 पावर के बल्ब 20 पावर और जीरो पावर के नजर आते हैं शाम के समय अधिकांश गांवों में बिजली नहीं मिलती, शाम 10 बजे के

बाद बिजली आती है । इसलिये वहां बिजली की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एक बिजलीघर काशी विद्यापीठ ब्लाक में स्थापित किया जाय ।

श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए आपके सामने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ विचार कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । आज मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारी सरकार हमारी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी जो सदन के नेता हैं उनके सत्ता में अति ही आते हमारे बी० जे० पी० के भाई लोगों ने अपने विचार बदल डाले । आज उस पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा किसान के हितों के संबंध में कुछ बातें कही गयी हैं इससे लगा कि..... आज मुस्लिम जो किसान हैं, हिन्दू जो किसान है उन दोनों के हित चाहने की बात कही गयी है । जो राम जादे, [xxx] राम कहा करते थे, आज जब किसानों के हितों की बात कही जाने लगी, मैं माननीय नेता सदन श्री मुलायम सिंह यादव जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके सत्ता में आते ही उन भाजपाइयों को सद्‌बुद्धि आनी शुरू हो गयी है । मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा जो उनकी सरकार आयी, जिसमें जिनका वोट उसे राज्य मिले, पहले होता यह था कि वोट होता था अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का और राज्य करते थे पाखण्डी, जो ब्राह्मण के रूप में राज्य करते थे, को चरितार्थ कर दिया है । मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटी फाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

(इस समय 5 बजकर 1 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

† दिनांक 17 जनवरी, 94 में असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993 को पुरः स्थापित करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1993-94 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इस अनुपूरक विधेयक के द्वारा एक हजार दो सौ बाइस करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार रुपये की स्वीकृति की मांग माननीय सदन में रखी गयी है । मान्यवर, अनुपूरक अनुदान हमारे सामने है और हम सभी जानते हैं कि यह चर्चा वह व्यय है, जो मूल बजट पास करने के बाद उसके अलावा खर्च कर लिया गया, चाहे कन्टीजेंसी फन्ड से लेकर कियां गया हो, चाहे इस प्रत्याशा में किया गया हो, कि इस की स्वीकृति तो मिलेगी । लेकिन बहुत बड़ी राशि खर्च की गयी है, इस प्रदेश की । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि कुल 83 मदों पर यह सारा पैसा खर्च किया गया है । यह बात समझ में आ सकती है कि मूल बजट के बाद कोई बहुत आवश्यक, कोई बहुत ज्वलन्त प्रश्न या समस्या हो, तो उस पर खर्च किया जाय लेकिन ऐसा न होकर एकदम 83 मदों पर यह सारा पैसा खर्च किया गया है, जिसकी आज स्वीकृति मांगी जा रही है । मान्यवर, मैंने उस पुस्तक को बड़े गौर से पढ़ा है, जिसमें सारा विवरण दिया हुआ है और मुझे यह देखकर बड़ी हैरत हुयी है कि पूरे खर्चे में कितना व्यय हुआ है, उसमें प्रदेश के विकास के लिये या किसी ऐसे काम के लिये, जिससे प्रदेश में विकास की गति आगे बढ़ सके, खर्च की राशि बहुत कम है या लगभग शून्य जैसी है ।

मैं मान सकता हूं ज्वलन्त समस्या के रूप में, जैसे निर्वाचन आ गया, उसके लिये 34 करोड़ लिये गये । लेकिन एक हजार दो सौ बाइस करोड़ कहां खर्च किये गये हैं, जैसे ऐसे निगम और परिषद्, जिन्होंने कर्ज लिया, जिन्होंने ब्याज का भुगतान नहीं किया, उनके भुगतान के ब्याज को चुकाने के लिये यह पैसा खर्च किया गया । यह पैसा ऐसी संस्थाओं को दिया गया, जो हमारे लिये अनुत्पादक हैं । मैं समझता हूं कि अगर एक-एक मद पर मैं विचार व्यक्त करूं तो समय की सीमा को ध्यान में रखकर चर्चा नहीं हो सकेगी । लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि आम बज़ट-सामान्य बजट के समय यह सरकार अगर जिन्दा रही, जीवित रही और बजट ला सकी, तो उस समय विस्तृत चर्चा करूंगा....

(समय 5 बजे)

परन्तु इसकी हर मद पर ईमानदारी से विचार होना चाहिए । मैं यह समझता हूं कि यह जो बजट का समय है और हमारे नये माननीय सदस्य आये हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि हर विषय शोर-शराबे का नहीं होता है । मैं समझता हूं कि हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी इस बात को देखेंगे कि यह विषय शोर-शराबे का नहीं है, कुछ विषय ऐसे गम्भीर होते हैं जो चर्चा के होते हैं, बहस के होते हैं, गम्भीर मंत्रणा

के होते हैं, जिस पर हम विचार करते हैं, प्रदेश के बारे में । हजारों करोड़ रुपया हमारे प्रदेश की जनता का खर्च किया गया हैं, वह किस काम में जाता है ? हम इस अनुपूरक अनुदान को पास करने जा रहे हैं । हमारी समझ में नहीं आता माननीय सदस्य इसकी गम्भीरता को क्यों नहीं समझते ? सामान्य बजट और इस अनुपूरक बजट में एक अन्तर है । अधिकांश पैसा खर्च हो गया है कि स्वीकृति मिलेगी या स्वीकृति की प्रत्याशा में पैसा खर्च हुआ है । परन्तु मैं आग्रह पूर्वक यह कहना चाहूंगा कि खर्चे की जो राशियां हैं कम से कम उनकी मानीटरिंग जरूर होनी चाहिए । हम खर्च करते हैं, चाहे सामान्य बजट हो, चाहे अनुपूरक बजट हो, आप पूरी पुस्तिका को दखेगें तो सोचेगें और इस बात के लिए विचार करेंगे कि यह पैसा किन चीजों पर खर्च किया गया है, उसकी कोई मानीटरिंग भी हुई है या नहीं । मुझे लगता है कि इसका ध्यान नहीं रखा गया है । यहां जो हम अनुदान, पैसा पास कर रहे हैं, वह दो प्रकार का है । एक वह जो खर्च हो गया है, एक वह जो खर्च अभी होना है । मैं आशा करता हूं कि हमारे इस सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार के लोग इस बात पर पैनी नजर रखेंगे कि जनता का एक-एक पैसा सही कामों पर खर्च हो । मान्यवर, इसकी मानीटरिंग होनी चाहिए ।

इसलिये होना चाहिए कि हमारा जितना धन जिलों में जाता है, जिला विकास योजनाओं पर जाता है तो किसी को तो जाना चाहिए यह पूंछने के लिये कि आखिर आपने पैसा किस काम पर खर्च किया ? आपको पांच करोड़ रुपया मिला, उसमें से चार करोड़ रुपया खर्च किया, बाकी एक करोड़ 31 मार्च तक कार्य करेंगे यह नहीं होना चाहिए । मानीटरिंग होनी चाहिए अनुश्रवण होना चाहिए यह देखा जाना चाहिए कि जो आपने 5 करोड़ में से 4 करोड़ रुपया खर्च किया, वह किस काम पर खर्च किया, क्या आपने कोई सामान खरीदा, कोई चीज खरीदी, कोई मशीन खरीदी या कोई सड़क बनायी, पुल बनाया या बांध बनाया । तो उसकी गुणवत्ता को भी देखा जाना चाहिए । यह बात भी देखी जानी चाहिए कि जिस मद पर पैसा गया उस काम पर खर्च किया गया या नहीं । जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसको बेदर्दी के साथ खर्च नहीं किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि अगर मानिटरिंग होती है तो हम प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे । मान्यवर, मैंने देखा और जो इस पूरी पुस्तक में है कि जो राशि मांगी गयी है उसमें 70 प्रतिशत पैसा कुल 5-7 ऐसी मदें हैं जिन पर खर्च किया गया है । करीब 770 करोड़ रुपये की जो मांगें हैं, उस पर मैं आपका संज्ञान लेना चाहूंगा । उद्योग, कृषि, ग्राम्य विकास, चिकित्सा, नगर विकास, ऊर्जा, कारागार, पुलिस विभाग, दैवी आपदा, माध्यमिक शिक्षा आदि ये हमारे प्रदेश के जन-जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे विभाग हैं, ऐसे विषय हैं, जिन पर पैसा खर्च हुआ है । मुझे तो देखकर आश्चर्य हुआ कि मूल बजट जो था, अनुपूरक में उससे भी ज्यादा राशि की मांग किन्ही-किन्ही मदों पर की गयी है ।

हम देखेंगे कि मूल बजट में हमने करोड़-दो करोड़ दिये, मगर आज 4 करोड़ मांग रहे हैं, तो पैसा मांगने का कारण क्या है ? मान्यवर, उद्योग की दृष्टि से देखें तो हमारा प्रदेश इस मामले में बहुत पीछे है अगर हम किसी क्षेत्र में एक कदम आगे गये हैं तो उद्योग की दृष्टि से हमारा प्रदेश चार कदम पीछे हटा है । हमारी छोटी इकाइयां मरती जा रही हैं, भारी उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सबसे पिछड़े प्रदेशों में गिना जाता है । हम कोई बड़ा उद्योग अपने प्रदेश में लगा नहीं पा रहे हैं । और मान्यवर, हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी इतना करोड़ रुपया जो हम ले रहे हैं 84 करोड़ रुपये की मांग की है लेकिन मान्यवर, क्या उद्योग की दृष्टि से हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ा पाये हैं । क्या हम अपने प्रदेश के

उद्योगपतियों को ऐसी सुविधायें लाइसेंस प्रदान कर रहे हैं या ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं उद्योग लगाने वालों को कर्ज मिल सके, उनको लोन मिल सके, उनको कच्चा माल, बिजली व जगह मिल सके। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे प्रदेश को उद्योग के उन्नति के रास्ते पर लाया जा सके। पैसा तो मांगा गया लेकिन उससे कोई ऐसा काम अब तक नहीं हुआ है जिससे प्रदेश का विकास हो। मैंने देखा कि 8 करोड़, 51 लाख रुपया राज्य कताई कम्पनी लि० तथा राज्य यार्न कम्पनी लि० को स्वीकृत ऋण की ब्याज अदायगी के लिए रखा गया है। इस प्रकार से ऋण देते जा रहे हैं और उस पर ब्याज लगता जा रहा है परन्तु वह चुका नहीं पाते हैं, फिर भी हम देते जा रहे हैं। प्रदेश का करोड़ों रुपया बरबाद हो रहा है। इसलिए रुपया देने से पहले हम यह भी देखें कि जो पैसा हम दे रहे हैं, वह वापस भी हो पायेगा या नहीं और जिस कार्य के लिए हम पैसा दे रहे हैं, वह कार्य चल भी पा रहा है या नहीं या वह संस्था उस कार्य को चला पा रही है या नहीं ? यह हमारे लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। यदि इसकी तरफ हमारा ध्यान गया तो हम औद्योगिक क्षेत्र में अच्छी शुरुआत कर सकते हैं।

मान्यवर, ऊर्जा के लिए 85 करोड़ रुपया मांगा गया है। प्रदेश में ऊर्जा की क्या हालत है, इसे सभी लोग जानते हैं। आज ही सरकार ने 4000 करोड़ तक का कर्जा ऊर्जा के लिए स्वीकृत कराया है। पहले यह 600 था कि फिर 2500 हुआ और अब 4000 करोड़ तक जा चुका है फिर भी घाटा बढ़ता ही जा रहा है। यदि विद्युत की यही स्थिति रही तो हम औद्योगिक क्षेत्र, सिंचाई आदि में बिजली नहीं दे पायेंगे। आज भी इन क्षेत्रों में बिजली नहीं मिल पा रही है। आज गांवों में बिजली की क्या स्थिति है, यह सभी लोग जानते हैं। गांवों में बिजली तो लगी है परन्तु बल्ब नहीं जल पाते हैं। नगरों में विद्युत की स्थिति बहुत खराब है। मैं आगरा से आता हूं। आगरा में बिजली के क्या हाल हैं। आगरा में बिजली के बिना लोगों को बहुत बड़ा कष्ट है। वहां के उद्योग चौपट हो रहे हैं। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए कि हम कैसे बिजली में सुधार ला सकते हैं। देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में विद्युत की स्थिति बहुत ही बदतर है। परिषद् लगातार घाटे में है और बिजली महंगी होती जा रही है, आखिर ऐसा क्यों है ? यदि इस पर हमने विचार किया तो हम औद्योगिक क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा के मामले में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। मेरे विचार से तो इस पर विचार करने के लिए एक दिन अलग से सदन का विशेष सत्र आहूत किया जाय। यदि ऐसा किया गया तो मेरी समझ में बहुत ठोस सुझाव यहां पर आयेंगे और ऊर्जा की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग प्रदान कर सकेंगे।

मान्यवर, ग्रामीण विकास में निर्बल आवास भवन योजना के अन्तर्गत कोई खास बात इसमें नहीं कही गयी है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग हैं, निर्बल वर्ग के लोग रहते हैं। उनके लिए आवासीय भवनों की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में नहीं कहा गया है। उसके लिए न पैसा गया है और न पैसा मांगा गया है। और चीजों पर तो पैसा खर्च किया गया है परन्तु इस पर पैसा खर्च नहीं किया गया है। इसलिए इस पर भी गहराई से विचार होना चाहिए।

मान्यवर, कारागार के लिए 1 करोड़ रुपये मांगा गया है। वैसे इस पर 2-3 दिन की चर्चा में काफी बातें आ चुकी हैं। हम सभी लोगों को जो चाहे उधर बैठे हैं या इधर बैठे हैं कारागार में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं कि कारागारों की क्या स्थिति है। वहां पर जो सामान मिलता है जो खाना मिलता है और वहां पर जो अन्य सेवायें हैं और वह बहुत ही खराब है और साथ ही

ही जो लोग वहां पर काम करते हैं, उनको कितनी असुविधायें हैं। इसलिए कारागार जैसे विषय पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। हम जो पैसा दे रहे हैं, वह पैसा जाता कहां है, कारागारों के सुधार में वह कितना व्यय होता है, इसकी भी उचित रूप से देख-भाल होनी चाहिए।

मान्यवर, चिकित्सा के लिए पैसा मांगा गया है। आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी सभी के लिए पैसा मांगा गया है। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आयुर्वेद के लिए 24 करोड़ 22 लाख रुपये मांगा गया है। आयुर्वेद ने हमारे प्रदेश में क्या तरक्की की है, कितने नये आयुर्वेदिक फार्मेसी खोली गयी हैं और कितनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि दी गयी है ? और क्या सुविधायें उनको दी गयी हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है। एलोपैथी के लिए 15 करोड़ 39 लाख रुपया खर्च किया है। मूल बजट में भी काफी दिया होगा। लेकिन आज हमारे अस्पतालों की हालत क्या है रोगी एड़ी रगड़-रगड़ कर मर रहे हैं, अस्पतालों में दवायें नहीं हैं डाक्टर नहीं हैं उपकरण नहीं हैं, एक्स-रे मशीन नहीं है। जो पैसा दे रहे हैं उसका होता क्या है ? अस्पतालों में बेहद दुर्दशा है जो दवायें वहां होनी चाहिए वह उपलब्ध नहीं हो रही हैं जिसके कारण जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है।

मान्यवर, इसमें पुलिस विभाग के लिए भी पैसा मांगा गया है। हमारे प्रदेश में थानों की हालत बहुत खराब है ऐसे-ऐसे थाने में जहां बैठने की जगह नहीं है हमारे आगरा में न्यू आगरा थाना है जो 5 दुकानों में बना है। दो लाख की आबादी को देखने वाला थाना दुकानों में बना है, कैसे काम करेगा। पुलिस के पास आवश्यक उपकरण नहीं हैं आतंकवाद और गुण्डागर्दी से निपटने के लिए उनके पास हथियार नहीं हैं और हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है कि ए० के० 47 राइफल कैसे चलायी जाय। थाने और चौकियों पर संभ्रान्त लोग जाने में डरते हैं, हम इस पर विचार करें कैसे यह विभाग ठीक से चले।

इसमें शिक्षा और नगर विकास के लिए भी पैसा मांगा गया है। शिक्षा में प्राइमरी और बेसिक शिक्षा के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है क्यों ? प्राइमरी शिक्षा हमारी रीढ़ की हड्डी है जहां से सीख कर बच्चा आगे बढ़ता है वहां शिक्षकों के लिए कोई सुविधा नहीं है। माध्यमिक शिक्षा के लिए पैसा जरूर मांगा गया है लेकिन बेसिक शिक्षा का ध्यान नहीं दिया गया है।

नगर विकास के लिए करीब 35 करोड़ मांगा गया है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए नगर विकास के बारे में कहना चाहता हूं ग्रामीण विकास के साथ-साथ नगर विकास के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। टाउन एरिया, नगर पालिका और नगर महापालिकाओं की हालत बड़ी दर्दनाक है। हर समय उनका हाथ पैसे के लिए फैला रहता है। यह संस्थायें दिवालिया स्थिति में हैं जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पाती हैं। आपने चुंगी खतम कर दी लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति की पूरी व्यवस्था नहीं की। जिसका परिणाम है कि सीवर की सफाई नहीं हो पा रही है। सड़कें बन नहीं पाती और सफाई होती नहीं है। नगर नरक बनते चले जा रहे हैं तो इस पर विचार किया जाय मेरा सुझाव है कि इसके लिए भारत सरकार से बैठ कर बात की जाय कि चुंगीकर, पथकर व सड़क अनुदान आदि के

मामले में वह भी अपना योगदान दें ताकि टाउन एरियाज व पालिकाओं तथा महापालिकाओं की स्थिति सुधर सके और जो सुविधायें नागरिकों को मिलनी चाहिए वह मिल सकें।

यह जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसमें से कुछ चीजों का उल्लेख मैंने किया है और मैं आशा करता हूं कि जो पैसा खर्च होगा वह आने वाले समय में ठीक से खर्च होगा ऐसा न हो कि पी० एल० ए० में अन्त में डाल दिया जाय या 31 मार्च को अधिकारियों के रहमोकरम पर छोड़ दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि इसकी मानीटरिंग ठीक ढंग से होगी और यह पैसा जनता के हित में खर्च होगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आशा करता हूं कि सदन में इस पर सार्थक चर्चा और बहस होगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हम लोगों के माइक ठीक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

जो इस समय व्यवस्था है उसकी जानकारी आप भी रखते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मुझे आश्चर्य यह हो रहा है कि इसमें भी व्यवधान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपस में बात न करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रजातन्त्र में अनुपूरक अनुदान जो सदन में प्रस्तुत होते हैं यह प्रचलित व्यवस्था का एक अंग है। किसी भी मूल बजट में अगर ऐसी मद का उल्लेख नहीं है बाद में आवश्यकता पड़ने पर उस मद में पैसा खर्च करने के लिए आवश्यक धनराशि को आकिस्मकता निधि से ले लिया जाता है और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए अनुपूरक अनुदान लेकर सरकार आती है।

या फिर किसी मूल आय-व्ययक में अधिकृत व्यय है उससे अधिक खर्च हो जाय तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए अनुपूरक अनुदान लेना पड़ता है या किसी मूल योजना के संबंध में हमने यह कल्पना की है कि इतना परिव्यय होगा लेकिन जब उस योजना में परिवर्तन हो जाय जिससे धन की अधिक आवश्यकता पड़े तो अनुपूरक अनुदान लेते हैं। इसलिए इन अनुपूरक अनुदानों को जिसको सरकार लेकर आयी है उसके संबंध में मैं कुछ बिन्दुओं पर कहना चाहता हूं।

मान्यवर, मुझे जो कल यह पुस्तक मिली है उसको मैंने सरसरी निगाह से देखा है तो राष्ट्रपति शासन में इटावा जनपद में भारत सरकार की सहायता से 55 लाख रु० की योजनायें रखी गयीं जिनके संबंध में पिछले राज्यपाल महोदय ने कुछ घोषणायें की थीं। जैसे बस्ती जिले के लिये अधिवक्ता संगठन हेतु तीन लाख रु० की योजना बनायी थी लेकिन उसका इस अनुपूरक अनुदान में कोई उल्लेख नहीं है इसलिये मैं चाहता हूं कि जो नयी सरकार आयी है वह पिछले राज्यपाल महोदय द्वारा की गयी घोषणाओं को पूरा करने हेतु इस बजट में प्राविधान करे चूंकि राज्यपाल की सरकार की निरन्तरता बनी रहती है। इसलिये उनकी योजनाओं पर भी बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए। मान्यवर, इसी तरह पिछली तमाम योजनाओं के लिये जिनके संबंध में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अस्पतालों, कुछ वार्ड, दवाइयों, उपकरणों, नगर पालिका और प्रदेश के गांवों के विकास हेतु तथा अधिवक्ता संगठन के लिये जगह-जगह पर जनहित को देखते हुए राज्यपाल महोदय ने जो कुछ घोषणायें की थीं उनके लिये इस अनुपूरक अनुदान में जिक्र नहीं किया है जिसका कि उल्लेख होना चाहिए था, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

नगर विकास मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)–

दूसरे अनुपूरक अनुदान में लायेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उच्च सदन के नेता बैठे हैं। इस सरकार की नीतियों का राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में मार्गदर्शन किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय की घोषणाओं के-बारे में यह सरकार कितनी गम्भीर है। नेता सदन कह रहे हैं कि हम दूसरे अनुपूरक अनुदान में लायेंगे।

श्री रमा शंकर कौशिक–

मैं कह रहा हूं कि दूसरा अनुपूरक अनुदान आ सकता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का जो 84 का लाख रु० का बकाया था उसके माफी के संबंध में इस अनुपूरक अनुदान में कहा गया है। आज किसानों को गन्ने के भुगतान का पैसा नहीं मिला है। हमारे जनपद में बाढ़ आयी थी और कहीं सूखे की स्थिति थी। लेकिन प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्व के जिलों में कहीं बाढ़ की स्थिति थी तो कहीं सूखे की स्थिति थी, इसलिये मैं चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति भी ठीक नहीं है और वह भी बिजली के बकायों को देने की स्थिति में नहीं हैं जिससे थोड़े पैसे के लिये उनको लाकअप में जाना पड़ रहा है और उनके घरों की कुर्की की जा रही है। तो मैं चाहूंगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान

यद्यपि संगठित नहीं हैं, फिर भी उनके जो अवशेष हैं, उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये भारतीय किसान यूनियन के साथ हुए समझौते के अनुसार माफ कर दिया जाये । छोटे-छोटे और निर्बल किसान उन अवशेषों को देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हैं । यद्यपि इनके बारे में इस अनुपूरक अनुदान में कोई उल्लेख नहीं है तो भी अगले अनुपूरक मांगों में आप इसको लेकर आ जाइये । मान्यवर, मुझे लगता है कि विकल जी ने इसके बारे में सारे पृष्ठों को नहीं देखा होगा, क्योंकि राज्य आकस्मिकता निधि से चीनी मिलों के भुगतान के लिये रुपया दिया गया है, जिसका इसमें उल्लेख है । इसमें यद्यपि बहुत जनहित के कार्य हैं, लेकिन फिर भी कुछ छूट गये हैं, उन छूटे हुए जनहितकारी कार्यों की ओर मैं ध्यान दिला रहा हूं, जिससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके और क्षेत्रीय डिस्बैलेंस दूर हो सके । पूरा प्रदेश एक साथ तभी विकास की ओर जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

यदि अन्य कोई सदस्य इस पर अपने विचार देना चाहें ।

श्री मयंकर सिंह–

नाम गये हैं मान्यवर, आपके पास, इस पर विचार देने के लिये, उसको आप देखें ।

मान्यवर, अनुपूरक अनुदान का बजट अधिकृत व्यय से जब ज्यादा किसी मद पर खर्च हो जाता है, तो उस पर खर्च किया जाता है । इसके माध्यम से 12,22,65,13,000 रुपये की मांग की गयी है । मान्यवर, पूरे बजट को अगर देखा जाये, तो पूरे बजट में किसी अनुदान संख्या में जो मद निर्धारित किये गये हैं, उसका कोई लाभ प्रदेश के पिछड़ों , दलितों, गरीब किसानों और महिलाओं को नहीं मिल रहा है । अनुदान संख्या एक से ही यदि देखा जाये, 5 लाख 11 हजार हजार की मांग की गयी है 50 नई टंकण मशीनें खरीदने के लिये और 1 लाख रुपया टेलीफोन के लिये । कम से कम दलितों और पिछड़ों की बात करने वाली सरकार के लोग एक-एक मद का अवलोकन करें, तो उन्हें इसमें बड़ी निराशा हाथ लगेगी । यदि इसे आम जनता में पढ़ाया या सुनाया जाये तो ये लोग किसानों और मजदूरों के बीच बैठ नहीं सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह अनुपूरक मांगें हैं, मेन बजट नहीं है ।

श्री मयंकर सिंह–

इसमें दोष इनकी नीति का नहीं है । मैंने बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी, द्रोपदी की सारी शक्ति उसके पांचों पतियों में निहित थी । यह सरकार इस लायक नहीं है कि बैठकर सर्वसम्मति से और दृढ़ निर्णय ले, क्योंकि इनके पांच पति हैं कांग्रेस, जनता दल, जनता पार्टी, सी० पी० आई० और सी० पी० एम० । इनके पांच पति यह इधर हैं, जिनके बल पर द्रोपदी आज इठला रही है ।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन द्रोपदी बहुत मजबूत है ।

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मयंकर सिंह–

एक करोड़ 67 लाख रु० आवासीय मद पर स्वीकृत हुए हैं, जबकि 45 लाख 87 हजार रुपये केवल आवासीय योजनाओं के लिये लिये गये हैं और शेष उसके ब्याज के भुगतान हेतु लिया गया है। हथकरघा उद्योग में मैंने पूरा पढ़ा, पिछले राष्ट्रपति शासन में बुनकरों के कर्जे कुछ माफ हुए थे, लेकिन इस सरकार ने जनता धोती के दाम बढ़ाने के लिये बुनकरों को उस पर अधिक मजदूरी देने के लिये यदि किसी धन की मांग की होती तो निश्चित ही वह स्वागत योग्य होता।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मयंकर सिंह जी कृपया इसे बजट न कहें। यह कोई बजट नहीं है। यह तो अनुपूरक मांगें हैं। संक्षिप्त में कह दें।

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, यह सारा खर्चा हो चुका है। जो सरकार ने मांगें मानी हैं उसमे कम से कम कुछ तो ऐसा होना चाहिए था कि कुछ नई योजनाएं होतीं उनके बारे में मांग की जाती तो अच्छा होता। आज हमारे प्रदेश में विद्युत की समस्या है, कृषि की समस्या है। महिलाओं के लिये शौचालय बनाये जाने की बात है इस तरह के कामों में कोई व्यय की बात नहीं है। कृषि के लिये 4 करोड़, 73 लाख, बयासी हजार रुपये की अनुदान मांग की गयी है लेकिन 1992-93 में आकस्मिकता निधि से 2 करोड़, 86 लाख, 15 हजार रुपया निकाला गया है उसमें कोई कृषि कार्य नहीं किया गया है। इस सरकार का लक्ष्य प्रदेश का विकास, उद्योगों का विकास करना नहीं है। यही मांग नहीं है जिससे इस प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लिये, गांव के गरीबों के लिये, महिलाओं के विकास के लिये कोई योजना होती या कुटीर उद्योग होते तो यह स्वागत योग्य होता। मान्यवर, मैं इस अनुदान की मांगों पर बहस और चर्चा जारी कराने का स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं समझता हूं कि इस पर काफी सदस्यों के विचार आ गये हैं। अभी इस पर विस्तार से न जायं। तीन घण्टे हमको आपको बैठना पड़ेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

* श्री शिव प्रताप शुक्ला–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे बगल में प्रमोद तिवारी बैठे हैं। अभी यह जरूर कुछ न कुछ कहेंगे। पता नहीं इन्हें हर समय [× × ×] रहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुख्तार अनीस–

माननीय, इन्होंने बहुत असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है।

श्री शिव प्रताप शुक्ला–

मान्यवर, अनुपूरक अनुदानें जो शासन ने मांगी हैं उस पर बोलने के लिये आपके समक्ष खड़ा हूं। जो अनुदान मांगें हैं मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो मांगें हैं उसका एक तरीका होना चाहिए मानीटरिंग के सम्बन्ध में। 25 सौ करोड़ रुपये से बढ़कर 4 हजार रु० करोड़ की पूरी व्यवस्था विद्युत बोर्ड को दी गयी है। जबकि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में यदि विद्युत की स्थिति को देखा जाये, वैसे तो सरकार ने घोषित किया है कि गांव में 16 घंटे बिजली मिलेगी लेकिन गांव में आप जाएं तो 6 घंटे भी बिजली नहीं पहुंचती है। मान्यवर, फिर किसलिये यह अनुपूरक लाये हैं। पिछली सरकार ने जूनियर हाईस्कूल के लिये माध्यमिक स्कूलों के लिये जो अनुदान दिया था उसका भी इस सरकार ने उपयोग नहीं किया।

(शोरगुल)

२८ विद्यालयों के लिये अनुदान दिया गया था लेकिन कुछ नहीं किया गया।

(शोरगुल)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि जिसका नाम लेकर यह सरकार सत्ता में आयी है जिस गरीब की पीठ पर पैर रखकर यह यहां आये हैं उस गरीब की मूलभूत समस्याओं पर इनका ध्यान नहीं है।

शौचालय की समस्या गरीब बस्तियों में सबसे बड़ी समस्या है यह समस्या ऐसी समस्या है, मेरा दावा है कि पिछले साल सवा साल में पुराने सार्वजनिक शौचालय जो थे वह ऐसे हो गये हैं कि कोई व्यक्ति उसमें जाना तो दूर तीन फिट दूरी से यदि चला जायेगा तो जो कहें हार जायें। मान्यवर, जो गरीबों की मूलभूत समस्यायें हैं उनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। गरीब ब्रस्तियों में सार्वजनिक शौचालयों की बड़ी भारी आवश्यकता है। मातायें बहनें जो नालियों पर बैठ जाती हैं वह बड़ी शर्म और खेद की बात है। यह शोर मचाने की बात नहीं है। नारे लगाने की बात नहीं है। आप गरीबों के जीवन की बात करते हैं तो गरीबों के लिये सोचिये। मेरा निवेदन है सर्व आवश्यक आवश्यकता पर ध्यान देते हुए गरीबों के बारे में यदि आपके दिल में गरीबों के प्रति दर्द है तो सार्वजनिक शौचालयों की समस्या पर ध्यान दें और ऐसे सार्वजनिक शौचालय आप बनवायें जहां आप खुद भी जा सकते हों ऐसी व्यवस्था आप गरीबों के लिये करें। तब आपकी सरकार अच्छी मानी जायेगी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, अच्छा होता कि प्रतिपक्ष ने इस संबंध में कोई ठोस सुझाव दिये होते । मैं तो सोच रहा था कि माननीय गुप्ता जी इस पर अपने कुछ बहुमूल्य सुझाव देंगे क्योंकि आपने वित्त विभाग भी देखा है । उससे हमको बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त होता । लेकिन आपने ऐसा न करके एक ट्रेनिंग कैम्प लगा दिया । यह तो अनुपूरक अनुदान है इसकी तो आलोचना होनी ही नहीं चाहिए थी लेकिन इसकी भी विपक्ष के लोग आलोचना कर रहे हैं । संविधान की धारा 205 के अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह बजट के अतिरिक्त जो अनुपूरक अनुदान में खर्चे होते हैं उनके लिये अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति विधान मण्डल से ली इसके लिये कोई निश्चित सीमा नहीं है । पर सामान्यतः दो बार यह अनुदान लिये जाते हैं । सभी लोग जानते हैं कि यह जो पिछला साल रहा उसमें तो राष्ट्रपति शासन ही रहा उसकी आलोचना जिस तरह से की जा रही है वह भी बगैर पढ़े लिखे जिनको कोई जानकारी भी नहीं है वह उचित नहीं है । इसमें तो बहस ही नहीं होनी चाहिए थी । अभी मयंकर सिंह जी ने कहा कि यह सरकार पिछड़े वर्ग के लिये कुछ नहीं कर रही है तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आज तो पिछड़े वर्ग को नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में जो प्राविधान किया गया है तो यह तो एक ऐतिहासिक दिन है । यह सरकार पिछली सरकार की तरह नहीं है जो कहती है कि जो कहा सो किया जो कि एकदम असत्य है ।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो कहा वही किया । माननीय विकल जी तो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने कहा कि यह सरकार एक साल भी नहीं चलेगी । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके कार्यकलापों के कारण चुनाव की नौबत आयी तो 176 सदस्य अगली बार नहीं रहेंगे बल्कि 376 से ऊपर इधर बैठेंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मा० अध्यक्ष महोदय, जो संसदीय कार्य मंत्री जी विकल जी की ओर इशारा करके कहते हैं कि आपके कारण या आपके क्रियाकलाप के कारण 376 हो जायेगा ।

(हास परिहास के मध्य)

डा० सरजीत सिंह डंग–

वह कह रहे थे कि जनता के साथ 376 करके हम आयेंगे और उसकी सजा भी भुगतेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैं माननीय प्रमोद तिवारी का बहुत आभारी हूं जो उन्होंने हमारे माननीय सदस्यों को कानून की जानकारी दे दी ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मामला हमारे और वर्मा जी के बीच का था लेकिन तिवारी जी खामखां बीच में आ गये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, विकल जी ने खासतौर से राज्य विद्युत परिषद् के संबंध में चिन्ता जतायी तो यह सिर्फ बुक एडजस्टमेंट है इसमें व्यय भारत नहीं है। भारत सरकार ने जो सहायता दी है उसकी सिर्फ विधायी स्वीकृति के लिये है। हमारा जो कुल व्यय भार है वह 1222.65 करोड़ रुपये का है लेकिन जो शुद्ध व्यय भार है वह 227.07 करोड़ का है बाकी बुक एडजस्टमेंट है। भारत सरकार से जो सहायता मिली है उसकी विधायी स्वीकृति ली जा रही है। इससे ज्यादा तो पिछले समय में आपके वक्त में हुआ है। आपके वक्त में 2726.36 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई थी।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

यह शायद 1726 है इसको आप देख लें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार यह 2726 है इसमें कोई नयी बात नहीं है। सरकार जो काम करेगी उसमें खर्च होगा। इसलिये संविधान की धारा 205 में सरकार को, विधान मण्डल को अधिकार दिया गया है कि क्षतिपूर्ति के लिये अनुपूरक अनुदान लायेंगे। लेकिन जिसके लिये हमारी आलोचना करने की हर तरह से कोशिश हो रही है, यह हमारे वक्त का कुछ है ही नहीं। यह सारी चीजें श्री राज्यपाल के शासनकाल की हैं। इसमें हम समझते हैं कि किसी लम्बी बहस की आवश्यकता नहीं है। यह 1222 करोड़ की मांग है जिसमें शुद्ध व्यय भार 227.05 करोड़ रुपये का है। माननीय मयंकर सिंह जी, यदि आपने इसको पढ़ लिया होता तो प्रश्न न उठाते। 15.25 करोड़ रुपया जो खर्च किया गया है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिये आकस्मिकता निधि से धन लिया गया है उसकी प्रतिपूर्ति के लिये यह लाया गया है। इसमें बहुत लम्बी बहस की आवश्यकता नहीं है। यह एक संवैधानिक औपचारिकता है। जो व्यय हो चुका है और जो आवश्यक परियोजनायें हैं अगल वर्ष के लिये उनको जारी रखने के लिये यह अनुपूरक अनुदान लाये गये हैं। सभी लोग इससे सहमत होंगे और इसको सर्वसम्मति से पारित किया जायगा।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। राष्ट्रपति शासन में जो घोषणायें राज्यपाल महोदय ने की थीं उनको पूरे तरीके से इसमे शामिल नहीं किया गया है। जैसे राज्यपाल महोदय लखीमपुर खीरी गये थे वहां के लिये उन्होंने घोषणायें की थीं सीतापुर, उन्नाव के लिए उन्होंने घोषणायें की थीं और विभिन्न जिलों के लिये घोषणायें की थीं उनको इस बजट में शामिल नहीं किया गया है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनको क्यों काट दिया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, राष्ट्रपति शासन के दौरान जो-जो घोषणायें विकास के संबंध में, प्रदेश के लिये महामहिम राज्यपाल ने की हैं और जो उन्होंने निश्चित रूप से देश के विकास के लिये कहा है, क्या उसको इसी में पूरा करायेंगे या उसके लिये दूसरी सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स लाकर पूरा करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि दूसरी सप्लीमेंटरी न लाना पड़े, तो अच्छा है । लेकिन जो राज्यपाल महोदय ने विकास कार्यों के लिये स्वीकृति दी है, उसके बारे में आप लिखकर देंगे, तो उसको हम दिखवा लेंगे और पूरा करेंगे ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने सीतापुर में जो विकास के कार्य थे, उसके बारे में सम्भवतः उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, ये माननीय सदस्य रोज हमसे फोन पर बात करते हैं । इसके बारे में ये हमसे फोन पर बात कर लेंगे ।

अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 5,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 5,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहममद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 2,26,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 2,26,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 5,02,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 5,02,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 2,15,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 2,15,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 12,71,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 12,71,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 55,67,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 55,67,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 3,60,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 3,60,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 84,96,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 84,96,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 4,73,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 4,73,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समय 6 बजे)

अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 1,36,07,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((कृषि) के अन्तर्गत 1,36,07,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

ग्राम विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 4,36,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 4,36,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((ग्राम्य विकास)

ग्राम विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,99,80,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,99,80,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)––

मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((पंचायती राज) के अन्तर्गत 27,56,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 27,56,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

पशुधन तथा मत्स्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)–

मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 2,05,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 2,05,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 13,82,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 13,82,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

पशुधन तथा मत्स्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 2,19,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 2,19,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((सहकारिता) के अन्तर्गत 22,84,56,,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 22,84,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 19–कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19–कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 52,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19–कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 52,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जितनी अनुपूरक मांगें बाकी हैं, सबको एक साथ ले लिया जाय वरना इसमें तो बहुत समय लग जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्तार अनीस जी अगर आप पहले राय रख दिये होते तो अच्छा होता, तो निश्चय भी हो जाता ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, आपके अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं है, आप निर्णय ले सकते हैं ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इसमें तो बहुत समय लग जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जहां तक मेरी संसदीय जानकारी है, उसके अनुसार एक-एक मद को प्रस्तुत करना होता है क्यों कि इसमें धन भी आवंटन हेतु रखा है । मात्र इतना कह देना कि मद संख्या फलां से फलां तक स्वीकृत हुई यह विधि संगत नहीं होगा । अतः पढ़ना आवश्यक है ।

नगर विकास मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)–

मान्यवर, इसे एक साथ ही रख दिया जाये ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मेरी भी यही सुझाव है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अगली मद ले रहा हूं ।

अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 5,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 5,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग

माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदानंद अंचल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 16,74,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 16,74,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 22–खेल विभाग

नगर विकास मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत 2,44,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत 2,44,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

नगर विकास मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 6,81,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 6,81,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

नगर विकास मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 12,76,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 12,76,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार)

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 1,00,00,,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस)

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 21,33,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 21,33,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 4,07,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 4,07,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 10,69,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 10,69,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 1,02,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 1,02,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 15,38,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग ((एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 15,38,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 24,22,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 24,22,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 3,01,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 3,01,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 23,97,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 23,97,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,68,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,68,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग

नगर विकास मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 34,93,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 34,93,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग

नगर विकास मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 15,24,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 15,24,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग

नगर विकास मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 42,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 42,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग

नगर विकास मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 31,34,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 31,34,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग

नगर विकास मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 9,62,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 9,62,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग

नगर विकास मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 4,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 4,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री बाबूराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 73,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 73,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 80,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 80,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग

नगर विकास मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,17,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,17,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 3,20,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49–महिला और बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 3,20,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री बाबूराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 6,74,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 6,74,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)

राजस्व मंत्री (श्री बाबूराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 50,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 50,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री बाबूराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 5,52,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 5,52,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदानन्द अंचल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 13,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 13,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 6,45,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 6,45,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 6,11,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 6,11,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 2,92,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष·

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 2,92,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 11,47,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 11,47,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 60–वन विभाग

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 4,22,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 4,22,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित कियां गया और स्वीकृत हुआ).

अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 7,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 7,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 31,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 31,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि)

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 13,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 13,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य तथा लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 5,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 5,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य तथा लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संसदीय कार्य तथा लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सुखराम सिंह यांदव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 2,65,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 2,65,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 16,17,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 16,17,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 61,55,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 61,55,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 4,80,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 4,80,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)

माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत 3,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत 3,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 3,23,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 3,23,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

राजनैतिक पेंशन, होमगार्ड्स एवं कारागार मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,43,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,43,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन)

राजनैतिक पेंशन, होमगार्ड्स एवं कारागार मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 41,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 41,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग

राजनैतिक पेंशन, होमगार्ड्स एवं कारागार मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,39,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,39,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

मान्यवर, मैं आपकी अबुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 6,83,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 6,83,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियो एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 38,04,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियो एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 38,04,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 15,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 15,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 83–सहायता एवं पुनर्वास विभाग

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83–सहायता एवं पुनर्वास विभागके अन्तर्गत 2,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83–सहायता एवं पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत 2,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 45,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 45,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 84,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 84,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समय 7 बजे)

अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,29,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,29,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 7,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 7,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 1,15,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 1,15,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 3,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन कर तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 3,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 13,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 13,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 28,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 28,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 5,90,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 5,90,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 95–उत्तरांचल विकास विभाग

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95–उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत 46,09,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95–उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत 46,09,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का अनुपूरक) विधेयक, 1993

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का अनुपूरक) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करने की सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का अनुपूरक) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का अनुपूरक) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित कर दी जायं।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का अनुपूरक) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का अनुपूरक) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 व खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का अनुपूरक) विधेयक, 1993

31 मार्च, 1994 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का अनुपूरक) अधिनियम, 1993 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1993-94 के लिये 12,22,65.13,000 रुपये का देया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 1994 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 12,22,65,13,000 रुपये (केवल बारह अरब बाइस करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित योग	
1	2		3		
1	आबकारी विभाग ..	राजस्व	5,11	..	5,11
		पूंजी	..	..	..
2	आवास विभाग ..	राजस्व	..	*1,04,83*	1,04,83
		पूंजी	..	*51,84*	51,84
3	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	2,26,42	..	2,26,42
		पूंजी	..	..	..
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	2,00	..	2,00
		पूंजी	5,00,00	..	5,00,00

1	2		3		
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	2,15,81	*42*	2,16,23
		पूंजी	1	*12,69*	12,70
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	11,30,31	..	11,30,31
		पूंजी	1,41,54	..	1,41,54
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	2,88,36	*2,74*	2,91,10
		पूंजी	52,78,87	*1,37,18*	54,16,05
8	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	3,60,00	..	3,60,00
		पूंजी	..	..	..
9	ऊर्जा विभाग ..	राजस्व	84,96,79	..	84,96,79
		पूंजी	..	..	..
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	4,73,82	..	4,73,82
	(औद्यानिक विकास)	पूंजी	..	..	..
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	1,24,39,24	..	1,24,39,24
		पूंजी	11,68,28	..	11,68,28
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	4,36,61	..	4,36,61
	(क्षेत्रीय विकास)	पूंजी	..	..	..
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	1,99,80,94	*1,60*	1,99,82,54
	(ग्राम्य विकास)	पूंजी	..	..	..
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	27,56,12	*58*	27,56,70
	(पंचायती राज)	पूंजी	..	..	..
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	1,78,66	..	1,78,66
		पूंजी	26,46	..	26,46
16	कृषि तथा अन्य संबंद्ध विभाग (दुग्धशाला	राजस्व	7,46,35	..	7,46,35
	विकास)	पूंजी	6,36,50	..	6,36,50

1	2		3		
17	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	2,19,19	..	2,19,19
		पूंजी	..	..	..
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	16,54,65	*38,17*	16,92,82
		पूंजी	6,29,91	*82,19,63*	88,49,54
19	कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व		*52,50*	52,50
		पूंजी	..	..	..
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	5,05	*26,00*	31,05
		पूंजी	..	*23,58*	23,58
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	8,74,28	..	8,74,28
		पूंजी	8,00,00	..	8,00,00
22	खेल विभाग	राजस्व	31,90	..	31,90
		पूंजी	2,12,58	..	2,12,58
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	6,81,09	*90*	6,81,99
		पूंजी	..	..	..
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	36,19	..	36,19
		पूंजी	12,40,66	..	12,40,66
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	1,00,00	..	1,00,00
		पूंजी	..	..	..
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	12,83,62	*8,33*	12,91,95
		पूंजी	8,50,00	*3,33*	8,53,33
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	4,07,33	..	4,07,33
		पूंजी	..	..	..
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	10,69,94	..	10,69,94
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	35	..	35
		पूंजी		..	..

1	2		3		
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं	राजस्व	98,00	..	98,00
	प्रशिक्षण)	पूंजी	4,25	..	4,25
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	11,66,06	62	11,66,68
		पूंजी	3,72,88	..	3,72,88
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी	राजस्व	24,22,43	..	24,22,43
	चिकित्सा)	पूंजी	..	..	..
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	3,01,50	45	3,01,95
		पूंजी	..	..	..
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	20,77,64	..	20,77,64
		पूंजी	3,20,00	..	3,20,00
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1,68,31	..	1,68,31
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	34,93,94	..	34,93,94
		पूंजी	..	..	..
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	15,24,75	..	15,24,75
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	42,25	..	42,25
		पूंजी	..	..	..
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	31,34,09	..	31,34,09
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	4,77,97	1,07,06	5,85,03
		पूंजी	4,84,20	..	4,84,20

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
43	परिवहन विभाग	राजस्व	4,72	*92*	5,64
		पूंजी	..	..	..
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	15,80	..	15,80
		पूंजी	57,73	..	57,73
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	1,60	..	1,60
		पूंजी	78,86	..	78,86
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	1,99,74	*20,00*	2,18,74
		पूंजी	18,60	..	18,60
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	..	*30*	30
		पूंजी	..	..	..
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	89,25	*3,69*	92,94
		पूंजी	2,31,14	..	2,31,14
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	27,47	*44*	27,91
		पूंजी	6,46,61	..	6,46,61
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	50,50,00	..	50,50,00
		पूंजी	..	..	..
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	5,52,14	*2,95*	5,55,09
		पूंजी	..	..	..
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	13,57	..	13,57
		पूंजी	..	..	..
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	2,00	..	2,00
		पूंजी	..	..	..
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	1,41,46	*66,48*	2,07,94
		पूंजी	5,04,32	..	5,04,32

1	2		3		
56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	48,82	*7,15*	55,98
		पूंजी	5,62,82	..	5,62,82
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	2,92,56	..	2,92,56
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	3,00,01	..	3,00,01
		पूंजी	8,47,21	..	8,47,21
60	वन विभाग	राजस्व	4,22,76	*95,35*	5,18,11
		पूंजी	..	..	..
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1	..	1
		पूंजी	..	..	..
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	..	*63*	63
		पूंजी	..	..	..
63	वित्त विभाग (कोषगाार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	78	*1,56*	2,34
		पूंजी	6,23	..	6,23
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	31,98	..	31,98
		पूंजी	..	..	..
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	13,53	..	13,53
		पूंजी	..	..	..
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	5,81	*3,18*	8,99
		पूंजी	..	..	..
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	1	..	1
		पूंजी	..	..	..
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	2,65,85	..	2,65,85
		पूंजी	..	..	..
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	16,17,18	*16,44,63*	32,61,81
		पूंजी	..	..	..

1	2		3		
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	61,37,88	8,25	61.46,13
		पूंजी	18,00	..	18,00
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	4,80,33	..	4,80,33
		पूंजी	..	..	..
74	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	3,57	..	3,57
		पूंजी	..	..	..
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	3,23,23	..	3,23,23
		पूंजी	..	..	..
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	1,43,83	..	1,43,83
		पूंजी	..	..	..
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	23,93	..	23,93
		पूंजी	17,68	..	17,68
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	2,39,12	..	2,39,12
		पूंजी	..	..	..
79	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	राजस्व	6,83,62	..	6,83,62
		पूंजी	..	..	..
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	राजस्व	35,66,25	..	35,66,25
		पूंजी	2,37,84	..	2,37,84
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	15,17	..	15,17
		पूंजी	..	..	..
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	2,38	..	2,38
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	45,15	..	45,15
		पूंजी	..	..	..
86	सूचना विभाग	राजस्व	84,87	..	84,87
		पूंजी	..	..	..

1	2			3	
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	1,09,37	..	1,09,37
		पूंजी	20,00	..	20,00
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	7,79	..	7,79
		पूंजी	..	..	..
89	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	15,09	..	15,09
		पूंजी	1,00,00	..	1,00,00
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा	राजस्व	3,76	..	3,76
	बाजीकर)	पूंजी	..	..	..
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	12,87	..	12,87
		पूंजी	1.00	..	1,00
92	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	28,02	..	28,02
		पूंजी	1	..	1
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	..	*3,14*	3,14
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	50	..	50
		पूंजी	5,90,02	..	5,90,02
95	उत्तरांचल विकास विभाग	राजस्व	13,99,27	*37*	13,99,64
		पूंजी	35,80,26	..	35,80,26
	योग ..	राजस्व	9,10,18,41	*21,47,61*	9,31,66,02
		पूंजी	2,06,47,72	*84,51,39*	2,90,99,11
	कुल योग	..	11,16,66,13	1,05,99,00	12,22,65,13

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 व खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1993–94 का अनुपूरक) विधेयक, 1993 पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1993–94 का अनुपूरक) विधेयक, 1993 पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21दिसम्बर, 1993 को नियम 51 के अंतर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

पहली सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की जनपद देवरिया में बढ़ते अपराधों से नागरिकों में व्याप्त दहशत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसे मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है ।

दूसरी सूचना श्री विनय कुमार पाण्डेय और श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश की चीनी मिलों विशेषकर बलरामपुर चीनी मिल, लि० गोण्डा तथा शाहजहांपुर की चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ने की तौल में हेराफेरी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । शासन आवश्यक कार्यवाही करके माननीय सदस्यों को अवगत करायेगा ।

तीसरी सूचना श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल की जनपद हमीरपुर में सिंचाई विभाग द्वारा नहरों में पानी की आपूर्ति न किये जाने तथा ट्यूबवेलों की बन्दी के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं और शासन माननीय सदस्यों को कृत कार्यवाही से भी अवगत करा दें ।

शेष सारी सूचनायें अस्वीकार करता हूं ।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे प्रातः फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
21 दिसम्बर, 1993

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी०–एल० 155 विधान सभा (260)–17-2-94–.8[3](डी० टी० पी०) ।